खण्ड-203, अंक-7
गुरूवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(19 मार्च, 1959 ई0)

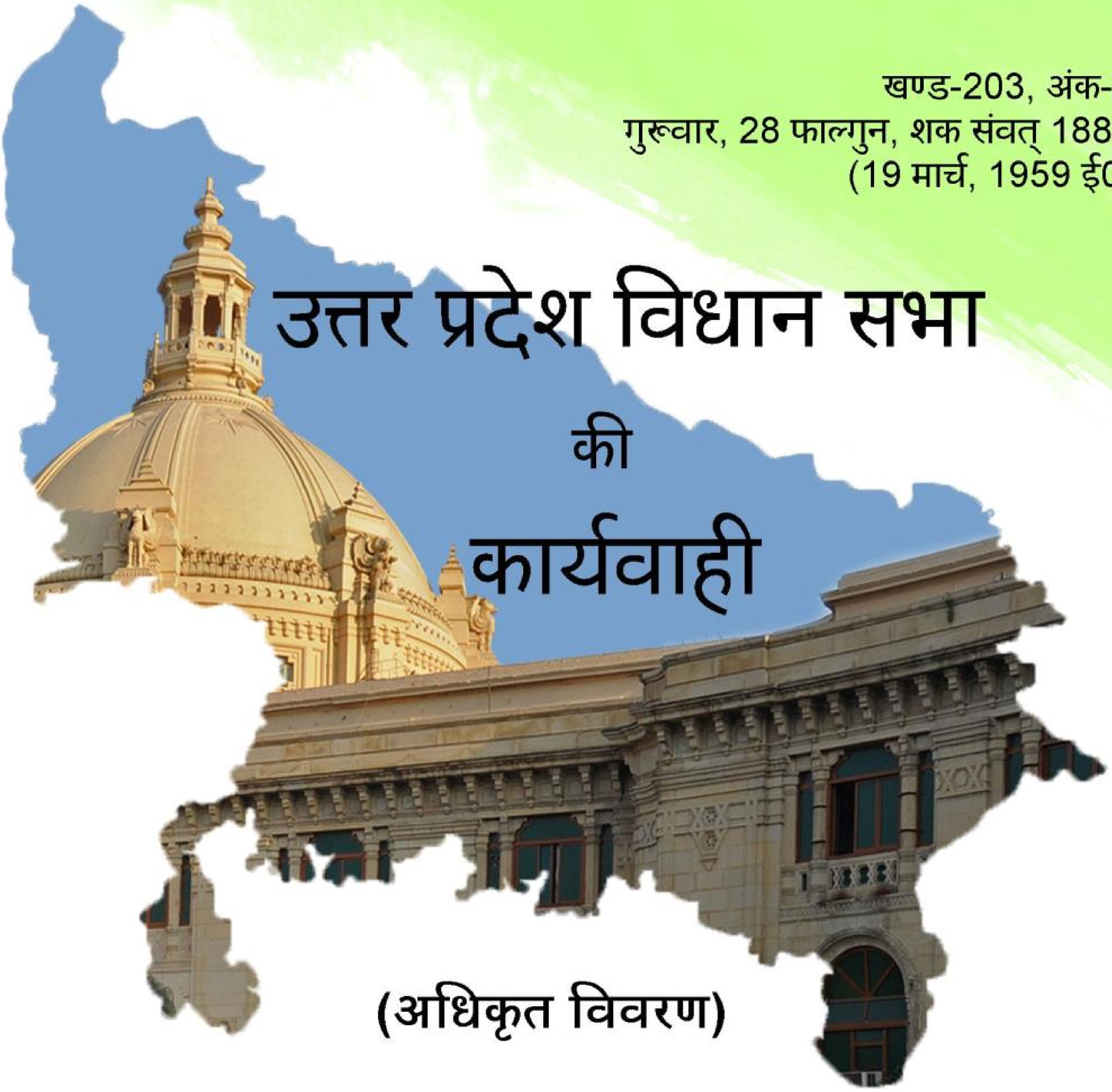

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 203 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १९ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३६१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रताभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री

फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
विशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूहलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद, 'हंस' श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वामरराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती

सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहर बक्स सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १९ मार्च, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

महानगर, लखनऊ में सचिवालय के प्रवर वर्ग के क्वार्टरों से संबंधित भूमि

**१--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या, वह महानगर, लखनऊ में स्थित सचिवालय के प्रवर वर्ग (Upper Division Assistants) के कर्मचारियों के लिये बने क्वार्टर्स के प्रत्येक ब्लाक से चारों तरफ संलग्न जमीन उस ब्लाक में रहने वाले किरायेदारों के मध्य प्रयोगार्थ समानता के आधार पर वितरित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--महानगर, लखनऊ में सचिवालय के प्रवर वर्ग के कर्मचारियों के लिये बने क्वार्टर्स के चारों ओर संलग्न जमीन प्रत्येक ब्लाक में रहने वाले कर्मचारियों के मध्य वितरण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में निर्णय निकट भविष्य में हो जायगा।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन ब्लाकों के चारों तरफ जो जमीन छोड़ी गई है वह किस हेतु छोड़ी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--वैसे २५० क्वार्टर्स बनाने को थे, इस वक्त १२७ बन चुके हैं। कुछ बनने वाले हैं इस वजह से जमीन छूटी हुई है। यह जमीन ऊपर के रहने वालों में और नीचे के रहने वालों में किस प्रकार वितरित की जाय इसी पर विचार हो रहा है।

श्री प्रतापसिंह--जो उन ब्लाकों में रहते हैं ऊपर और नीचे नियम से वेतन का १० प्रतिशत किराया दोनों को देना पड़ता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दो तरफ की जमीन नीचे वालों को और दो तरफ की ऊपर वालों को देने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सुझाव को दृष्टि में रख कर ही विचार किया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--यह निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने तो निवेदन किया कि निकट भविष्य में।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस बात की सूचना है या कोई ऐसा आश्वासन है कि वह जमीन जो वितरित की जायगी उसका प्रयोग वह किस प्रकार करेंगे--फूल पत्तियां लगायेंगे या अन्न पैदा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--जब उनको वह जमीन दे दी जायगी तो उसम वह फूल पत्ती लगा सकते हैं और अन्न भी पैदा कर सकते हैं ।

श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस समय उस जमीन पर किसी का हक नहीं है । यदि हां, तो आवश्यकता पड़ने पर वहां के किरायेदार उसका प्रयोग कर सकते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस समय जो नीचे रहने वाले हैं वह प्रयोग कर ही रहे हैं लेकिन जल्दी ही फैसला हो जायगा, नीचे और ऊपर के रहने वालों का जो झगड़ा है वह तय हो जायगा ।

तारांकित प्रश्न

रोडवेज कर्मचारियों की वर्दी का कपड़ा

*१--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में परिवहन विभाग ने राजकीय रोडवेज कर्मचारियों के हेतु कितना धन वर्दियों के लिये कपड़ा खरीदने में व्यय किया ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)--८५,६६७ रुपये ४ नये पैसे ।

*२--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त वर्दियों के कपड़े में से कितने गज खादी खरीदी गई, कितना गज हैंडलूम का कपड़ा और कितना गज मिल का कपड़ा खरीदा गया ?

डाक्टर सीताराम--४०,५०३ गज खादी, २२५ गज हैन्डलूम और ९,६२४ गज मिल का कपड़ा खरीदा गया ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ९,६२४ गज मिल का कपड़ा क्यों और कैसे खरीदा गया ?

डाक्टर सीताराम--यह जिला कारागार, उन्नाव के अधिकारियों द्वारा खरीदा गया और इस कपड़े से टोपी बनाई गई है ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खादी किन-किन जगहों से खरीदी गई और कितनी ?

डाक्टर सीताराम--खादी ६५,७३४ रु० और ९१ नये पैसे की खरीदी गई यानी ७७ फीसदी की खादी खरीदी गई । किन-किन गांधी आश्रम से खरीदी गई इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ९ हजार से अधिक जो मिल का कपड़ा खरीदा गया उसके स्थान पर खादी खरीदने में क्या आपत्ति थी ?

डाक्टर सीताराम--कोई आपत्ति तो नहीं थी, लेकिन मिल का कपड़ा खरीद कर विशेष तरह की टोपी और ओवरआल बनाया गया था जो खादी के कपड़े से अधिक अच्छी और टिकाऊ होती है । इसी कारण से उन्नाव के कारागार अधिकारियों ने खरीदा था ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यय उन्होंने अभी बताया उसमें कितना रुपया गरम वर्दी पर व्यय हुआ और कितना ठंडी वर्दी पर खर्च हुआ ?

डाक्टर सीताराम--इसमें जर्सियां ७,०१५ रु० ८० नये पैसे की खरीदी गईं। यह गरम कपड़े हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या यह सत्य है कि रोडवेज के कर्मचारियों के लिए शत प्रतिशत कपड़ा खादी का ही खरीदने का आदेश था, फिर भी यह मिल का कपड़ा क्यों खरीदा गया ?

डाक्टर सीताराम--डाइरेक्टिव अवश्य है कि खद्दर का कपड़ा खरीदा जाय और इसी कारण से करीब ७७ प्रतिशत कपड़ा खादी भंडार से खरीदा गया है और बाकी जो कपड़ा मिल से खरीदा गया है उसकी टोपियां बनाई गई हैं और ७,०१५ रु० ८० नये पैसे जो खर्च हुआ है वह जर्सी के लिए खर्च किया गया है जो कि ऊनी कपड़ा होता है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी अपने विभाग को आदेश देंगे कि रनिंग स्टाफ के लिए जो वर्दी का कपड़ा दिया गया है वह कुछ कमजोर होता है तो उसके लिए कोई मजबूत कपड़ा खरीदने का आदेश देंगे ?

डाक्टर सीताराम--कमजोर तो नहीं होता। मजबूत कपड़ा गांधी आश्रम से खरीदा जाता है।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब खादी आमतौर से वर्दी के लिए दी जाती है तो इस विभाग में खादी से क्यों इतनी नफरत रखी जाती है कि उसमें मिल से कपड़ा खरीदा जाता है ?

श्री अध्यक्ष--इस प्रश्न का उन्होंने जबाव दे दिया है।

राज्य में भारतीय व्यायामों का प्रदर्शन

*३--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने १ अप्रैल, १९५७ से लेकर अब तक भारतीय खेलों के पुनरुत्थान के लिये क्या-क्या प्रयास किये हैं ?

नियोजन उप मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)--१ अप्रैल, १९५७ से दो बार भारतीय व्यायामों के व्यापक प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६७६ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--संलग्न सूचना में यह कहा गया है कि राज्य के प्रमुख-प्रमुख स्थानों में व्यायाम प्रदर्शन हुए और उन पर १९ हजार रुपया खर्च हुआ पहली बार और २० हजार रुपया खर्च हुआ दूसरी बार, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन स्थानों पर यह प्रदर्शन हुए ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह दोनों लखनऊ में हुए।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसके अन्त में लिखा हुआ है कि परिषद् भारतीय खेलों का प्रसार करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रही है तो इन व्यायाम प्रदर्शनों के अलावा उसने और प्रयत्न क्या किये हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--कौंसिल आफ स्पोर्ट्स खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर, जिले के स्तर पर काम कर रही है, रीजनल भी उसकी शाखायें हैं, वहां भी काम हो रहा है और सूबे के सेंटर पर भी काम हो रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भारतीय खेलों में वह किन-किन खेलों को सम्मिलित करते हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---इसमें सभी किस्म के खेल हैं, मल्ल युद्ध है, आसन है, कबड्डी है, कूदना, फांदना, कुश्ती, वर्जिश वगैरह-वगैरह ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतान की कृपा करेंगे कि कबड्डी के खेल में वह भी शामिल हुए थे ?

श्री सुल्तान आलम खां---कहीं ऐसा मौका देंगे पालीवाल जी तो जरूर शरीक हुआ जायगा ।

अल्प बचत योजना के लक्ष्य में कमी

*४---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या यह सही है कि सरकार ने अल्प-बचत योजना के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को चालू साल में घटा दिया है ? अगर हां, तो कितना और क्यों ?

श्री सुल्तान आलम खां---जी हां । पूर्व निर्धारित लक्ष्य को चालू वित्तीय वर्ष में १५ करोड़ रुपये से घटाकर १२ करोड़ रुपये कर दिया गया है । इसका कारण यह है कि १९५६-५७ और १९५७-५८ की लक्ष्य प्राप्तियां क्रमशः ९·४२ करोड़ और १०·३९ करोड़ रुपये थी । अतः यह महसूस हुआ कि १२ करोड़ रुपये का लक्ष्य अधिक व्यवहारिक होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलायेगी कि १९५६-५७ और १९५७-५८ में लक्ष्य क्या था और जो प्राप्ति हुई वह लक्ष्य से कम हुई या पूरी हुई ?

श्री सुल्तान आलम खां---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी, इसको बजट में भी देखा जा सकता है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि इस अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत जो रुपया जमा होता है वह बाद में निकाल लिया जाता है ?

श्री सुल्तान आलम खां---इस मामले में जितने माननीय सदस्य हैं हम उन सब की दिलचस्पी चाहते हैं । अगर वे चाहें तो यह रुपया काफी तादाद में बढ़ सकता है और लोग निकालें भी नहीं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ में जो रुपया जमा किया गया आगामी वर्षों में उसमें से कितना निकाला गया और कितना शेष रहा ?

श्री सुल्तान आलम खां---जैसा मैंने अर्ज किया । मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं । इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ का डिप्लोमा

*५---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अब गवनमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ के प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को किस नाम (नौमेन्क्लेचर) का डिप्लोमा दिया जायगा और क्या यह डिप्लोमा अब तक दिये जाने वाले डिप्लोमा के (नौमेन्क्लेचर) के समान ही होगा ? यदि डिप्लोमा का नाम (नौमेन्क्लचर) बदल गया है तो कब से और सरकार के किस आदेश के अनुसार ?

श्रम उप मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ, के प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को डिप्लोमा नहीं दिया जाता है, इसलिये डिप्लोमा का नाम तथा उसके बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—प्रथम और दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों के अलावा आगे के वर्षों में विद्यार्थियों में किसी को कोई डिप्लोमा दिया जायगा और अगर दिया जायगा तो उसका नौमेन्क्लेचर क्या होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस संस्था में दो प्रकार के कोर्स हैं। एक तो ५ साल का है और दूसरा दो साल तथा १० महीने वगैरा के हैं। जो ५ साल वाला है उसका जो डिप्लोमा होता है वह नेशनल सर्टिफिकेट के इक्वीवेलेन्ट होता है जो आल इंडिया कौंसिल आफ टैक्निकल एजुकेशन ने प्रेस्क्राइब्ड किया है। जो दूसरा है उसको सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं और उसमें चार किस्म की चीजें हैं। लाइट मशीन मैकेनिक, पेन्टिंग क्लास, आयल इंजिन ड्राइविंग क्लास, और एलेक्ट्रिक वायरमेन क्लास। पहले नेशनल सर्टिफिकेट कोर्स के लिये ३ डिप्लोमा हैं जिसमें मैकेनिकल इंजिनियरिंग, एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग हैं।

देवरिया जिले में घरेलू उद्योगों के लिये सहायता

*६—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उद्योग विभाग की ओर से देवरिया जनपद में १९५६-५७, १९५७-५८ में किन-किन घरेलू उद्योगों के परिचालन, हेतु कितना धन कर्जे एवं अनुदान के रूप में दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत देवरिया जनपद में १९५६-५७ व १९५७-५८ में उद्योगों को दी गई आर्थिक सहायता से संबंधित सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६७७-६७८ पर)

*७—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त सहायता प्राप्त कितने प्रमुख उद्योग चालू हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उपरोक्त आर्थिक सहायता से चालू हुए प्रमुख उद्योगों की सूची 'ख' भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६७७-६७८ पर)

*८—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार उपर्युक्त उन व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखेगी जिन्होंने उक्त अवधि में उद्योग विभाग से सहायता प्राप्त की और काम चालू नहीं किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिन उपर्युक्त सहायता प्राप्त व्यक्तियों ने उद्योग चाल नहीं किया उनकी सूची 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६७७—६७८ पर)

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अनुदान के अन्तर्गत जो कर्जा या सहायता देवरिया जिले को दी गई और उससे जूते, बिस्कुट और चीनी के उद्योग में प्रगति हुई है तो क्या प्रगति इस बीच में हुई है इस पर मंत्री जी प्रकाश डालेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हर उद्योग की प्रगति की अलग-अलग सूचना मर पास नहीं है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलान की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने उद्योग के लिये कर्जा लिया और जिनको अनुदान दिया गया उन लोगों ने अभी वह काम चालू नहीं किया तो उनके विरुद्ध सरकार कुछ कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जिन लोगों ने हमारे पास से ऋण लिया और समय के अन्दर काम चालू नहीं किया उनके विरुद्ध जाब्ते की कार्यवाही हो रही है। अगर सरकार को यह विश्वास हो गया कि उन लोगों ने जो रुपया लिया था उसको समय के अन्दर किसी मुनासिब वजह के बिना इस्तेमाल नहीं किया तो उनसे वह रुपया लैन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जा सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया ऐसे लोगों को दिया गया, जिन्होंने अभी काम शुरू नहीं किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रुपया लिया और उसका उपयोग नहीं किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१६।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि चीनी के कारखाने के लिये लक्ष्मीनारायण सिंह, ग्राम जनकर बरहज, जिला देवरिया, और रामस्वरूप गुप्ता, महौली, बाजार, देवरिया, के बारे में जब एक विधायक ने सवाल उठाया था तो पूरी फाइल जिलाधीश के यहां पड़ी हुई है, लेकिन उनसे वसूली की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--ऐसी कोई सूचना नहीं है। सरकार की ओर से भी उन लोगों से पूछा गया है कि उन्होंने क्यों नहीं काम शुरू किया।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बकाया रुपया लैन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल करने में कोई सूद भी लिया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--लोन और ग्रान्ट देने के नियमों में पीनल इन्टरेस्ट का भी प्रावीजन है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सहायता देने के पहले इन लोगों की आर्थिक स्थिति की जांच कर ली गई थी कि वह काम शुरू कर सकते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--आर्थिक स्थिति और अक्ल दोनों की खासी जांच होती है और जिलाधिकारी रिपोर्ट भेजते हैं।

राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ में लिपिकों की सीनियारिटी

*९--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ में जो लिपिक १९५१ की जुलाई में परीक्षा के बाद भर्ती किये गये उनकी सीनियारिटी किस प्रकार निश्चित की जाती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उक्त परीक्षा में प्राप्त पोजीशन के अनुसार।

*१०--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या यह सच है कि उक्त प्रेस के कर्मचारियों ने जून १९५६ से आज तक अपनी सीनियारिटी जानने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये, किन्तु उन्हें कुछ नहीं बताया गया ? यदि हां, तो कितने लोगों ने इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र दिये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां। ६ कर्मचारियों ने ऐसे प्रार्थना-पत्र दिये थे। इन प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय हो चुका है और प्रार्थियों को सूचित कर दिया गया है।

श्री मुक्तिनाथराय--परीक्षा में प्राप्त पोजीशन के अनुसार क्या निर्धारित की हुई सीनियारिटी लागू की गई ? यदि हां, तो कितने लोगों की तरक्की अपर ग्रेड में हुई और कितने लोअर ग्रेड में रिवर्ट किये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसका ऐडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार सुपरिंटेंडेंट, प्रिंटिंग ऐंड स्टेशनरी को है। कितने कौन ग्रेड पाये, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मुक्तिनाथराय---सीनियारिटी निर्णीत करने में ढाई वर्ष से अधिक समय क्यों लगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---देर में निश्चय हुआ या नहीं, इस पर अभी सरकार कोई राय बनाने के स्थान में नहीं है।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार को ज्ञात है कि ऐशबाग प्रेस में कुछ व्यक्ति सन् १९५२ की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उन्होंने अधिक नम्बर पाये परन्तु अपने से कम नम्बर पाने वाले व्यक्तियों से जूनियर बनाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उत्तर में बताया गया है कि परीक्षा में जो पोजीशन लोगों को मिली उसी के मुताबिक सीनियारिटी तय हुई।

काशीपुर तथा जसपुर में 'छीपी' उद्योग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता

*११---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि काशीपुर एवं जसपुर में छीपी के उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---कुछ नहीं।

*१२---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काशीपुर, जिला नैनीताल में यू० पी० शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट कब लागू किया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१५ जनवरी, १९५९ से लागू कर दिया गया।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ की लेखा परीक्षा

*१३---**श्री मुक्तिनाथराय**---क्या इस वर्ष सरकारी आडीटर ने राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ का जो आडिट किया उस आडिट रिपोर्ट की एक प्रतिलिप सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ, की आडिट रिपोर्ट अलग से नहीं तैयार की जाती है। हां, यदि उक्त मुद्रणालय के लेखे (accounts) में कोई अनियमितताएं (irregularities) हुईं, तो वे कन्वेन्शनल आडिट रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जायंगी, जो सदन की मेज पर निर्धारित समय पर रखी जायेगी।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रेस की एकाउन्ट संबंधी अनियमिततायें आडिट रिपोर्ट में कब तक सम्मिलित कर ली जावेंगी और रिपोर्ट सरकार सदन को कब तक दे देगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---एकाउन्टेंन्ट जनरल का यह काम है, जब वह दे देंगे तो वह छपेगी।

*१४-१६---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*१७---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

सेक्सरिया शुगर फैक्टरी, बिसवां पर किसानों का बकाया

*१८--**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या देहरादून स्थित दो रेशम के कारखाने १ फरवरी सन् १९५९ से बन्द हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--(क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

*१९--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेक्सरिया शुगर फैक्टरी, बिसवां के ऊपर किसानों का कितना रुपया बाकी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१ मार्च, १९५९ को इस मिल पर केवल १९५८-५९ सीजन (२८ फरवरी, १९५९ तक) का किसानों का रु० २.१९ लाख बकाया था ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--यह धन बकाया किन परिस्थितियों में रहा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मिल से पैसा देय हो और न दे तो बकाया हो जाता है । परिस्थितियां में क्या बताऊं ?

सचिवालय के अस्थायी कर्मचारी

*२०--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष सचिवालय के द्वितीय श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों की लोक सेवा आयोग द्वारा जो स्पेशल परीक्षा ली गई थी उसका फल घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, क्योंकि लोक सेवा आयोग से परीक्षाफल अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

*२१--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या दस या दस से अधिक वर्ष तक के पुराने कर्मचारी सचिवालय में अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य के लिये कोई उपाय सोच रही है कि अस्थायी कर्मचारी तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त अस्थायी न रखे जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है अस्थायी कर्मचारी तीन वर्ष की अवधि के बाद अस्थायी न रहें अगर वे लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर ली गयी परीक्षा पास कर लें ।

*२२--**श्री प्रतापसिंह**--क्या यह सच है कि सरकार ने यह निश्चय किया है कि अब सचिवालय में केवल वही लोग अस्थायी रूप से द्वितीय श्रेणी में भर्ती किये जायंगे जो ग्रेजुएट होंगे ? यदि हां, तो क्या वह उन सब अस्थायी सहायकों की परीक्षा लेना चाहती है जो ग्रेजुएट नहीं हैं और जो उक्त स्पेशल परीक्षा में नहीं बैठे ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, यह तय हुआ है कि जो लोग, उस तिथि से जिससे कि (minimum educational qualifications) बी० ए० की डिग्री कर दी गई है, पहले से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, वे आगे होने वाली परीक्षाओं में बैठ सकते हैं । अगली परीक्षा कब होगी, यह अभी बताना कठिन है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिनकी वजह से अभी तक परीक्षाफल प्राप्त नहीं हो सका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसका उत्तर तो पब्लिक सर्विस कमीशन ही दे सकता है । हम तो उनसे बार-बार तकाजा कर रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सेक्रेटेरियट के बाहर के जो लोग इन परीक्षाओं में बैठे थे उनका परीक्षाफल घोषित होने के बाद उनकी नियुक्तियां प्रारम्भ कर दी गई हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चूंकि ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जो लोग ३ वर्ष से अपने पद पर काम कर रहे हैं उन पर उन्हें स्थायी किया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं सदन में कई बार कह चुका हूं कि पी० एस० सी० को यह बात मंजूर नहीं है । वह कहते हैं कि उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों को ही हम स्थायी कर सकते हैं ।

*२३---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---[न्याय मंत्री से संबंधित २० अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखनऊ में शाप्स ऐण्ड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के अधीन चालान

*२५---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या मुख्य मंत्री लखनऊ में शाप्स ऐन्ड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स ऐक्ट के अधीन चालान के संबंध में २८ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के उस निर्णय से संबंधित कि जो दूकानदार नौकर नहीं रखते उनको हफ्ते में एक दिन अपनी दूकान बन्द रखना लाजिमी नहीं है क्या सरकार ने उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर की थी ? यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---(क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने माननीय बेंच के उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये जिले के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो कब ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जस्टिस मुल्ला का एक फैसला हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मालिक बिना मजदूर के दूकान करता है उस पर शाप्स ऐक्ट के उपबन्ध लागू नहीं होते । हमने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिये हाईकोर्ट से परमीशन मांगी । जिस डिवीजन बेंच के सामने हमारी एप्लीकेशन गई उन्होंने कहा कि जस्टिस मुल्ला का यह व्यू ठीक नहीं है और हमको सुप्रीम कोर्ट में जाने की परमिशन भी नहीं दी । तो उस फैसले के बाद यह तय हो गया कि उसकी आवश्यकता नहीं है ।

भटनी चीनी मिल को गन्ने की सप्लाई

*२६---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भटनी चीनी मिल, जिला देवरिया में गन्ना पेरने का काम कब से प्रारम्भ हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वर्तमान सीजन में इस मिल ने गन्ना पेरने का काम २८ नवम्बर, १९५८ से प्रारम्भ किया ।

*२७---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विल्थरा रोड, जिला बलिया रेलवे गन्ना सेन्टर से गन्ना लेने का प्रबन्ध उक्त मिल ने बलिया तथा आजमगढ़ की सोसाइटियों से अलग-अलग कब से किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उक्त मिल ने निर्दिष्ट सीजन में बिल्थरा रोड (बलिया) रेल सेंटर पर बलिया तथा आजमगढ़ सोसाइटियों से अलग-अलग गन्ना लेने का प्रबन्ध क्रमशः २४-१२-१९५८ तथा ७-१-१९५९ से किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह भटनी मिल जो २८ नवम्बर को खुल गयी थी तो बिल्थरा रोड पर इतनी देर से गन्ना लेने की व्यवस्था क्यों हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस सम्बन्ध में इस सदन में कई बार जवाब दिया जा चुका है और भाषण भी हो चुका है। जब उसकी व्यवस्था पूरी हो गयी तब से चालू किया गया।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन स्टेशनों का माननीय मंत्री जी ने नाम लिया है क्या उनके बारे में उनको यह भी ज्ञात है कि वहां पर गन्ना अब भी खड़ा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस स्टेशन के गन्ने को पिराने के लिये जितनी दिलचस्पी हमने दिखायी है और जितनी सख्ती की गयी है, वह रामसुन्दर जी को भी मालूम है। वे प्रश्न करते हैं, हम उत्तर देते हैं। इसके लिये उनको धन्यवाद है लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं और कर रहे हैं कि वह गन्ना पिर जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि एक ही स्टेशन पर जितनी सोसाइटीज हैं उन का गन्ना अलग-अलग तारीखों में लेने के कारण क्या थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--गन्ना खरीदने के लिये तमाम किस्म की व्यवस्था की जाती है, उसमें जो दिक्कतें आती हैं उनसे माननीय सदस्य भी परिचित हैं। मैं समझता हूं कि जो कुछ इस सदन में कहा जा चुका है वह काफी है। मैं इसका भरोसा उनको दिलाता हूं कि किसी सोसाइटी का गन्ना बाकी रहने वाला नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है कि यह भटनी मिल कब तक चलेगी और फिर इस बात को ध्यान में रख कर कि किसानों का अभी बहुत सा गन्ना खेतों में खड़ा है, सरकार दूसरी मिलों से भी उसको पिरवाने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस प्रकार से गन्ने की सोसाइटीज को किसी दिक्कत में न डालें। हमें इस बात को ही मद्देनजर रखते हुए कितनी कोशिश करनी पड़ी कि गन्ना पिराई के लिये किसको दिया जाय। जैसा कि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया, अगर उनको यह खयाल हो गया कि यह गन्ना दूसरों को भी दिया जा सकता है तो वह कल से ही ढीले हो जायेंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के सभी प्रयत्नों के बाद भी वह गन्ना पिरवाने में असमर्थ रही है तो उसकी इस असमर्थता का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--असमर्थता की बात को हमने कही नहीं। गन्ना रहने तक मिल को चलाया जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या माननीय मंत्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि रबी की कटाई से पहले ही गन्ना समाप्त हो जाय चाहे जिस मिल को भी वह देना पड़े ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--गन्ना काफी तेजी से खपाया जा रहा है और इसका इल्म माननीय रामसुन्दर जी को भी है।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--क्या सरकार ऐसे आदेश देने की कृपा करेगी कि फसल कटाई से पूर्व ही सारा गन्ना मिलों को चला जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैंने तो आपको एक विश्वास दिलाया है कि सारा गन्ना पिर जायगा, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि किस तारीख को कटाई शुरू होगी और मैं यह भी नहीं कह सकता कि किस तारीख तक पिराई समाप्त हो जायगी।

श्री सुरथबहादुरशाह--मेरा जो रिक्वेस्ट था वह स्टेट की सब मिलों के बारे में था। तो क्या सरकार इस प्रदेश की सभी मिलों को यह आदेश देगी कि रबी की कटाई के पहले जितना गन्ना बाकी रहे वे मिल ले लें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस सवाल का इससे कोई सम्बन्ध तो नहीं है लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम बहुत तेजी से गन्ना पेरा रहे हैं। बल्कि बदकिस्मती यह है कि चीनी का उत्पादन हमारे यहां कम हो गया है और मिलों को काफी गन्ना नहीं मिलता जिससे वे बन्द हो रही हैं। हमें तो डर लग रहा है कि जितनी चीनी की जरूरत इस देश और प्रदेश को है उतनी चीनी हम दे भी सकेंगे या नहीं दे सकेंगे।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह गन्ना कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जितने दिन तक वह पेरा नहीं जा सकेगा तब तक पेरा जायगा, यह कोशिश पूरी रहेगी।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार का प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेरने के कार्य को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में, कोई कंट्रोल है या उनको पूरी छूट है कि वे जब चाहें तब गन्ना पेरना शुरू करें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह आम सवाल है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें छूट का प्रश्न नहीं है। हर मिल अपनी अलग-अलग डेट तय करती है और हम भी उनको ऐडवाइस करते हैं कि फलां समय से गन्ना पेरना शुरू कर दो तो गन्ने से अच्छी रिकवरी होगी और उससे फायदा उठा सकते हो।

*२८--**श्री शिवप्रसाद नागर**--[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित इक्कीसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२९--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--[वित्त मंत्री से सम्बन्धित अठारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३०--**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)--[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*३१--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित बाइसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विकास खण्डों को दी गयी कारें

*३२--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल कितने विकास खंड कार्य कर रहे हैं, और उनमें से कितने विकास खंडों में सरकारी कारें हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--इस समय उत्तर प्रदेश में ४२६ विकास खंडों में कार्य हो रहा है जिनमें से ४०८ विकास खंडों को सरकारी जीपें दी गई हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि विकास खंड में जो कारें दी गयी हैं उनसे खर्च अधिक है और उतना काम नहीं हो रहा है लिहाजा वे कारें वापस ले ली जायं और उनके स्थान पर साइकिलें या मोटर साइकिलें दे दी जायं ?

श्री सुल्तान आलम खां--जो माननीय सदस्य ने अभी बयान दिया उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। जो जीपें मिली हैं वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनके मुताल्लिक यह हिदायत जारी हो गयी है कि ४५० मील से ज्यादा एक महीने में उस पर सफर न हो और उसके मुताबिक काम हो रहा है और कोई दिक्कत सामने नहीं आयी।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ओखलखाड़ा ब्लाक या और पहाड़ी स्थानों पर जो ब्लाक्स हैं वहां से मोटर रोड ३०-३० मील दूर है और वहां पर जीप का कोई इस्तेमाल नहीं होता है ?

श्री सुल्तान आलम खां--पहाड़ों पर भी जहां तक जीप से सफर हो सकता है वहां तक होता है और बी० डी० ओ० जरूरत पड़ने पर पैदल भी सफर करते हैं या घोड़े पर भी सफर करते हैं।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या यह सही है कि ये जीपें कर्मचारी लोग अपने निजी कार्यों में भी इस्तेमाल करते हैं ?

श्री अध्यक्ष--अगर यह मालूम हो जाय तो वे कर्मचारी निकाल न दिये जायं। इसको वे कैसे बतला सकते हैं कि यह सही है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि विकास खंड क्षेत्र की दूरी १० मील से अधिक नहीं होती, कारों को हटा कर उनकी जगह साइकिल आदि देने की कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां--ऐसा कोई सवाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन विकास खंडों को जो जीपें दी गई हैं वे किस फंड से दी गयी हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--अमेरिकन फंड से ये जीपें दी गयी हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार बतायेगी कि जो यह अमेरिकन फंड से जीपें दी गई हैं इसमें कोई ऐसा भी प्रतिबन्ध है कि यदि राज्य सरकार इन्हें बी० डी० ओज से वापस लेना चाहे तो नहीं ले सकती ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह तो सवाल उठा ही नहीं और न इस पर कभी गौर किया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी का जिलों के पंच सम्मेलनों के प्रस्ताव पर ध्यान गया है जिसमें सरकार से प्रार्थना की गई है कि इन बी० डी० ओज० से सरकारी कारें ले ली जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, इस तरफ हमारा ध्यान गया है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि जो शिकायतें की जाती हैं कि इनका दुरुपयोग होता है निजी काम में इसमें बहुत ज्यादा तथ्य है, लेकिन इस पर जरूर गौर कर रहे हैं कि यदि कोई कायदा कानून बाधक न हो, अमेरिका से जो शर्तें हुई हैं वे बाधक न हों, तो क्या कोई सवारी ऐसी सोची जा सकती है जिससे बी० डी० ओ० ज्यादा उपयोगी ढंग से काम कर सकें और ज्यादा इंटीरियर में जा सकें। यह मैं सोच रहा हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सरकार को जानकारी है कि जो विकास क्षेत्रों के एरिया निर्धारित किये गये हैं वे ठीक से नहीं निर्धारित हैं इसलिये उसमें व्यय ज्यादा पड़ता है ? तो क्या सरकार इनको पुनःसंगठित करने का विचार कर रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां---ऐसी कोई शिकायत तो आयी नहीं। और अगर कोई बात ऐसी बतलायी जायगी तो जरूर उसके ऊपर गौर किया जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि जीप पर चलने से बी० डी० ओ० जनता के उतने सम्पर्क में नहीं आ पाते जितनी उन्हें आने की आवश्यकता है, इसलिये इन जीपों को हटाने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने तो अपनी समझ में इसी सवाल का जवाब दिया था।

अवकाश प्राप्त गजटेड अफसरों का प्राइवेट सर्विस में जाना

*३३---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कुछ ऐसे आदेश जारी किये हैं कि गजेटेड आफिसर रिटायरमेंट के बाद अपने विभाग से सम्बन्धित किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी नहीं कर सकेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिस्टर पन्त, रिटायर्ड केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश जो कि केन ग्रोवर्स के प्रतिनिधि थे अब वे सरकार से पेंशन भी पा रहे हैं और हिन्दुस्तान शुगर मिल के नौकर भी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं जानता नहीं। लेकिन बहुत से सरकारी नौकर पेंशन लेने के बाद कहीं न कहीं काम करते हैं उसका ब्यौरा तो हमारे पास रहता नहीं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि यदि अवकाश प्राप्त कर्मचारी जो पुनः काम करते हैं इससे बेकारी में और वृद्धि हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---होती है या न होती हो किसी प्राइवेट आदमी को हम रोक नहीं सकते कि वह किसको नौकर रखे और किसको न रखे।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या कोई ऐसा नियम बनाने पर विचार करेंगे मुख्य मंत्री जी कि जो गजटेड अफसर केन डिपार्टमेंट में रिटायर होकर पेंशन पाते रहें और उसके बाद फिर उसी से सम्बन्धित किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी न कर सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है।

*३४---**श्री देवनारायण भारतीय**---[न्याय मंत्री से सम्बन्धित पन्द्रहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी जिले में खनिज पदार्थों की खोज

*३५---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या पिछले सन् १९५५-५६-५७ तथा १९५८ में झांसी जिले की पर्वतीय भूमि की कोई जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो कब ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९५५-५८ में कोई जांच नहीं हुई है। फरवरी, १९५९ में हुई है।

*३६---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर झांसी जिले में किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से खनिज पदार्थ पाये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केवल बुढ़पुरा ग्राम में सीसा (Lead) पाया गया है जिसका वाणिज्य की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है।

*३७---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार उक्त खनिज पदार्थों के उपयोग करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। यह प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले में केन सेस की वसूली

*३८---श्री बलदेवसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में सन् १९५७ तथा १९५८ में कितना रुपया केन सेस का वसूल हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गोंडा जिले में सन् १९५७ व १९५८ में केन सेस का क्रमशः १५·६७ लाख रु० तथा १७·३२ लाख रु० वसूल हुआ।

श्री बलदेवसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में कितना रुपया केन सेस का बाकी रह गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कितना बाकी है मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। प्रश्न सीमित था कि कितना वसूल हुआ, उतनी ही सूचना है।

श्री बलदेवसिंह---क्या यह सही है कि यह केन सेस महज इसलिये लगाया गया था कि वहां के गांव के रास्तों को ठीक किया जायगा ? यदि हां, तो इस साल में कितने रास्तों की दुरुस्ती की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह मैं स्वीकार नहीं करता कि केन सेस केवल रास्ते ठीक होने के लिये लगाया गया था। लेकिन जहां तक सम्बन्ध रास्तों का है, वह भी इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यदि माननीय सदस्य प्रश्न करेंगे तो मैं जवाब दूंगा।

*३९---श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---[हटा दिया गया।]

गोला गोकरननाथ चीनी मिल्स में बोनस का वितरण

*४०---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ के सीजन में गोला-गोकरननाथ की हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि० ने कितने-कितने रुपये प्रति वर्ष मजदूरों को बोनस में बांटा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

		रु०
	१९५३-५४ में	३,२०,१३४
	१९५४-५५ में	३,९१,४९०
	१९५५-५६ में	३,८५,९०५
और	१९५६-५७ में	३,९२,७७२

की धनराशि बोनस के रूप में भुगतान की गई। १९५७-५८ में बोनस के रूप में वितरित की गई धनराशि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कितने मुनाफे के ऊपर बोनस दिया गया है ? मुनाफा कितना हुआ और बोनस क्या उससे कुछ कम है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---चीनी मिलों में मुनाफे पर बोनस मांगना---मुनाफे से बोनस का कोई सम्बन्ध नहीं है। त्रिदलीय समिति बैठती है। केन क्रसिंग, रिकवरी, ड्यूरेशन आफ सीजन---इन तीनों चीजों को देख कर हर मिल में अलग-अलग धनराशि नियुक्ति की जाती है। उस निर्धारित धनराशि को इन्होंने वितरित किया है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि त्रिदलीय समिति की सिफारिश पर सरकारी आदेश के मुताबिक बोनस उतना ही दिया गया है या कुछ कम दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सरकारी आदेश के मुताबिक बोनस की धनराशि इस मिल में अलग रख दी गई। उस धनराशि को लोगों ने लिया। यह जरूर है कि दो, तीन सालों में कुछ रुपया बच गया जिसको कि लेने के लिये लोग नहीं खड़े हुए। किसी साल में ५५० रुपया, किसी साल में ३९० रुपया और किसी साल में ९२८ रुपया, इस तरह से बहुत बड़ी धनराशि नहीं बची, लेकिन जो नियत किया था, मिल ने उसे अलग रख दिया। जो लोग नहीं आये, कोई दिक्कत हो गई हो या कोई मर गया हो, तो उसकी वजह से पैसा बाकी रह गया।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सन् १९५७-५८ के जो आकड़े अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पाये हैं, यह कब तक प्राप्त हो जायंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मिल फिगर्स इकट्ठा कर रही है। पर्चेज सेन्टर्स वगैरह हैं जहां एम्पलाइज हैं, वहां से खबर आएगी। जल्दी से जल्दी आएगी देर का तो कोई सवाल नहीं है।

*४१-४२--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३-४४--**कुमारी कमलकुमारी गोईंदी** (जिला इलाहबाद)--[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रसार खण्ड

*४५--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५८-५९ में कितने नये राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड उत्तर प्रदेश में खुले हैं और १९५९-६० में कितने नये ब्लाक खोलने की योजना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उत्तर प्रदेश में १९५८-५९ में ३७ प्रथम श्रेणी के खंड तथा ५६ पूर्व प्रसार (pre-extension) खंड खोले गये। आगामी वर्ष १९५९-६० में उपरोक्त ५६ पूर्व प्रसार खंड प्रथम श्रेणी के खंड में परिवर्तित कर दिये जायेंगे तथा ७४ पूर्व प्रसार खंड और खोले जायंगे।

श्री विश्रामराय--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व प्रसार खंडों में कितना रुपया खर्च होता है ?

श्री सुल्तान आलम खां--पूर्व प्रसार खंड में जो एक साल के लिये चालू रहता है १८ हजार रुपया खर्च किया जाता है और फिर यह रुपया, जो फर्स्ट स्टेज खंड का आता है पांच साल का और जिसमें १२ लाख रुपया दिया जाता है, उसमें वसूल कर लिया जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह १९५८-५९ और १९५९-६० में जो खोले जाने वाले प्रसार खंड हैं उनकी सूची क्या मंत्री जी मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां--१९५८-५९ की सूची तो है लेकिन १९५९-६० की मौजूद नहीं है।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आबू कांफ्रेंस के बाद ब्लाक्स की बजट पोजीशन क्या होगी ?

श्री सुल्तान आलम खां--अभी तो तीन तरह के ब्लाक्स होंगे, एक स्टेज १ के, एक स्टेज २ के और कुछ आई० डी० ब्लाक्स होंगे। स्टेज १ के ब्लाक्स पर १२ लाख रुपया खर्च होगा ५ साल में और स्टेज २ पर ५ लाख रुपया खर्च होगा।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मकसद कि हमारे सूबे का हर गांव किसी न किसी विकास खंड में आ जाय, वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां--आशा की जाती है कि अक्तूबर, सन् १९६३ तक सब आ जांय।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रसार खंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खोले जा रहे हैं या उससे कम या अधिक खोले जा रहे हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--पिछले साल से जो हमारा टार्गेट कम कर दिया गया है, इसलिए कम खोले जा रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि १२ लाख रुपया और ५ लाख रुपया जो अभी मंत्री जी ने बताया उसमें से कितना धन बी०डी०सी० को खर्च करने का अधिकार दिया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह मैं अलग-अलग नहीं बता सकता, लेकिन १२ लाख रुपया जो स्टेज १ में खर्च होगा जिसमें से १८,८०० रुपया पहले स्टेज पर खर्च होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव--इन पूर्व प्रसार खंडों में जो विशेष रूप से कृषि पर ध्यान दिया जाता है इस बात को ध्यान में रख कर क्या १८,००० की रकम को कम समझ कर और बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां--इस पर गौर कर लिया जायगा।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रसार खंडों के हेडक्वार्टर्स स्थानीय ग्राम सभायें तय करेंगी या जिला प्लानिंग कमेटी ?

श्री सुल्तान आलम खां--उनका स्थान तो सरकार तय करेगी, लेकिन करने से पहले बी० डी० सी० की भी राय ली जाती है और अगर जरूरत समझी जाती है तो जिला अन्तरिम परिषद् की भी राय सुनी जाती है और माननीय सदस्यों के सुझावों पर भी गौर किया जाता है।

चीनी का लागत मूल्य

*४६--**श्री गेंदासिंह**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो सूचना विधान परिषद में गत दिसम्बर में मुख्य मंत्री ने चीनी के लागत मूल्य के संबंध में दी थी वह किस आधार पर थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--गन्ना आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर।

*४७--**श्री गेंदासिंह**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्होंने चीनी अथवा गन्ना के लागत मूल्य के संबंध में प्लानिंग रिसर्च एन्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट से भी कोई सूचना प्राप्त की है ? यदि हां, तो क्या उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह---केन आयुक्त ने जो सूचना दी उसके विरुद्ध तो कोई सूचना अब तक सरकार के पास नहीं आई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इसकी सूचना इस प्रश्न के संबंध में मेरे पास नहीं आई है इसलिये कहना कठिन होगा कि केन आयुक्त के विरुद्ध कोई सूचना आई या नहीं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि किसी भी सरकारी सोर्स से या किसी अधिकारी द्वारा कोई सूचना इस सूचना के अतिरिक्त नहीं आई है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त ने जो रिपोर्ट दी उसमें क्या लागत कीमत उन्होंने बतायी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उन्होंने जो अपना एस्टीमेट बनाया है वह यह है कि १३५ दिन का क्रशिंग हो और ९·९४ रिकवरी हो तो ३३-३४ रुपया कास्ट आफ प्रोडक्शन होगा जो कैपिटल पर १० प्रतिशत का मुनाफा भी इनक्लूड करता है ।

श्री गेंदासिंह--इस पर कोई छान-बीन की सरकार ने ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जिस छान-बीन के आधार पर गन्ना आयुक्त ने ये फिगर दी है उस पर सरकार का भरोसा न करने की कोई वजह नहीं है । उन्होंने विशेषज्ञों से और जो शुगर के संबंध में विशेषज्ञ समितियां सरकारी संस्थाएं हैं उनसे जानकारी करने के बाद तब अपनी राय बनायी ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त ने शुगर की लागत के बारे में अपने विचार व्यक्त किये, मगर उसके बारे में अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, इसके क्या कारण हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस संबंध में हमारे प्रदेश की सरकार की और यू० पी० शुगर कंट्रोल बोर्ड की जो राय है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजी गयी थी कि वह इसको दिखवायें । गन्ना आयुक्त के पास जो जानकारी का स्रोत है उससे उतने पक्के तौर से गन्ने की कीमत का अन्दाज करना कठिन था । शुगर के काम के संबंध में टैरिफ बोर्ड बैठा हुआ है । चीनी के दामों को तय करते वक्त टैरिफ बोर्ड के सदस्य सब बातों को देखेंगे । ऐसा हम समझते हैं ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार को जानकारी है कि सूचना विभाग द्वारा एक पुस्तिका श्री दीपनारायणमणि के नाम से छापी गयी जिसमें यह कहा गया कि ३६ रुपये मन शुगर की लागत होती है, तो सूचना विभाग में ऐसी किताब क्यों छापी गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या उस पुस्तिका में लिखा हुआ है कि ३६ रुपया मन की लागत में घाटा या मुनाफा है या ३६ रुपया मन चीनी का दाम निर्धारित हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--माननीय मणि जी की पुस्तिका देखने का मुझे सौभाग्य नहीं हुआ ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी उन्होंने कहा कि आपने केन बोर्ड की सलाह केन्द्रीय सरकार के पास भेज दी, तो वह क्या सलाह थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इससे ज्यादा नहीं कह सकता कि शुगर की प्राइस टैरिफ बोर्ड के सुपुर्द की गयी है । पता नहीं वह क्या-क्या बातें देखेगा ।

मऊनाथ भंजन में हाकिम परगना का मुख्यावास स्थापित करने पर विचार

*४८--**श्री विश्रामराय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन में हाकिम परगना का कार्यालय रखने का निश्चय किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री विश्रामराय--क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वह कौन-सा प्रशासकीय कारण है कि जिससे इस प्रश्न पर विचार करना पड़ रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर वहां पर कोई दफ्तर रहेंगे तो एक प्रशासकीय कारण तो यह है कि उनके लिये फिर मकान होना चाहिये । मकान न हों तो वह बनवाने पड़ेंगे और रुपया खर्च करना पड़ेगा । तो यही विचार करना पड़ता है कि मकान बनवाने पड़ेंगे तो कितना खर्चा होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और कब तक रहेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं जानता हूं साल, डेढ़ साल हुआ इस सदन में सवाल उठा था, तब से तो विचाराधीन है ही और जब तक फैसला न हो जाय तब तक विचाराधीन रहेगा ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या मकान की कठिनाई के अलावा अन्य कोई कठिनाई तो नहीं है सरकार के सामने, उस मामले को अन्तिम रूप से निर्णय देने में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मुझे ज्ञात है कोई कठिनाई नहीं है ।

*४९--**श्री देवनारायण भारतीय**--[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५०-५१--**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)--[राजस्व मंत्री से संबंधित ८ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ३४-३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५२--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

इलाहाबाद में रोडवेज के शेड बढ़ाने की प्रार्थना

*५३--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जिन सड़कों पर रोडवेज गाड़ी चलती है उनमें से किन-किन पर मुसाफिरों को बैठने के लिये शेड बनवाये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम--कचहरी, हिन्दू होस्टल और नया बहराना में ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन सड़कों पर अभी तक शेड नहीं बने हैं वह शीघ्रातिशीघ्र बना दिये जायंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम--इलाहाबाद में रोडवेज की गाड़ियां चौक से दारागंज तथा अन्य कई रूट्स पर चलती हैं । सब मार्गों पर तो इस वक्त धनाभाव के कारण शेड बनवाने में कठिनाई है, लेकन दारागंज में इस साल शेड बनाने की योजना है ।

*५४--५५--**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)--[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५६--**कुमारी कमलकुमारी गोईंदी**--[खाद्य मंत्री से संबंधित २३ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ३३ के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

मुरादाबाद के बर्तन व्यवसाइयों को ब्रास का कोटा न मिलना

*५७--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर मुरादाबाद के बर्तनों के काम करने वाले कितने व्यक्तियों को वर्ष सन् १९५८ ई० में राज्य सरकार की सिफारिश से केन्द्रीय सरकार से ब्रास का कोटा कन्ट्रोल रेट पर मिला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किसी को नहीं ।

एक पत्नी के जीवन में दूसरा विवाह करने के लिये राज्य कर्मचारियों के लिये नियम

*५८--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस राज्य में यह नियम लागू है कि सरकारी अधिकारी एक स्त्री के रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं । ऐसा नियम अवश्य है कि कोई सरकारी कर्मचारी जिसकी एक पत्नी जीवित हो, इस बात के होते हुए भी कि तत्समय उस पर लागू किसी वैयक्तिक विधि के अधीन उसे इस प्रकार का दूसरा विवाह करने की अनुमति प्राप्त है, सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नियम के होते हुए भी लखनऊ में किसी अधिकारी ने दूसरी शादी की है और सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे इसका ठीक पता नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी रखने पर बुरा असर पड़ता है सरकार इस नियम को बना देगी कि एक पत्नी रहते हुए कोई दूसरी शादी न करे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हिन्दुओं के लिये ऐसे नियम बने हुए हैं लेकिन मुसलमानों के लिये कोई ऐसे नियम नहीं हैं । ऐसा कोई नियम अगर बनेगा तो वह अखिल भारतीय आधार पर ही बनेगा कोई उत्तर प्रदेश के लिये नहीं बनेगा ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से यह नियम लागू हुआ है तब स उनकी सूचना के अनुसार इसके उल्लंघन की कितनी शिकायतें उनको प्राप्त हुई हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे ठीक याद नहीं पड़ता है । शायद एक दो आई होंगी लेकिन इतनी कम आई हैं कि मुझे याद तक नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मुख्य मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि जो सरकारी अधिकारी नियम का उल्लंघन करते हैं सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आगे के लिये ऐसा है कि उनके कैरेक्टर रोल में लिख दिया जाता है और उनकी तरक्की रोक दी जाती है । उसी तरीके से अगर कोई स्त्री किसी सरकारी आफिसर से विवाह करती है जिसकी पहली पत्नी मौजूद हो तो वह भी यदि सरकारी नौकरी चाहती है तो उसके लिये भी यही सब रुकावटें होती हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या इस बात को देखते हुए कि किसी हिन्दू के लिये यह नियम विरुद्ध है कि वह एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करे तो सूचना आने पर उसको नौकरी से निकालने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नौकरी से निकालने की तो मैं नहीं जानता, लेकिन हिन्दू मैरिजेज ऐक्ट बन जाने के बाद तो सरकारी आज्ञा न हो तो भी उस कानून के उल्लंघन का जो दोषी होगा उसको कानून के मुताबिक दंड मिलेगा ही ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जनता के लिये यह कानून लागू करने की कृपा करेंगे जिससे जिनके एक पत्नी है वह दूसरी शादी न करे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो हिन्दू मैरिजेज ऐक्ट है वह सभी के लिये लागू है । जितने लोग जनता में हैं वह सब सरकारी नौकर नहीं हैं इसलिये उनके लिये नियम बनाना कठिन है ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकारी अधिकारियों में विधायकों की भी गणना है ?

श्री अध्यक्ष---अब आप यह स्वयं समझ सकते हैं । अपने को जिसमें चाहें रखें ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह से दूसरी औरतों से शादी करने की वैधता किस तरह से सिद्ध की जायगी, पुरानी धार्मिक शादी के आधार पर शादी की गयी हो या रजिस्ट्रेशन से उस आधार पर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---स्त्री और पुरुष का एक साथ रहना जिसको मैरेज कहा जा सके वह सब इसके अन्दर आते हैं ।

सिंगनिया ग्राम में हिंसक पशु का आतंक

*५९---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के परगना श्रीनगर में शारदा नदी के किनारे से लेकर उल्ल नदी के किनारे तक एक शेर कहीं से आकर इस घनी आबादी में रहने लगा है ? यदि हां, तो वह किन-किन गांवों में अब तक कितने पशु तथा कितने मनुष्यों को मार चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जांच करने से मालूम हुआ है कि इस इलाके में कोई शेर नहीं आया है । किन्तु इस इलाके के सिंगनिया गांव के निकट के जंगल में तेंदुए के प्रकार के एक जानवर के आने की सूचना गत १८ फरवरी को मिली थी । इस जानवर की काफी तलाश की गई किन्तु गत १२ मार्च तक वह नहीं मिल पाया । उस तारीख तक इस जानवर ने सिंगनिया गांव में दो गायें मारी थीं । किसी मनुष्य का या किसी दूसरे पशु का इस जानवर द्वारा मारा जाना या घायल किया जाना नहीं पाया गया । इसकी तलाश जारी है ।

देहली-सहारनपुर सड़क पर बस सर्विस योजना

*६०---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी १ अप्रैल, कि क्या देहली-सहारनपुर रोड पर सरकारी बस चलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां ।

*६१---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)---[समाज कल्याण मंत्री से संबंधित १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६२---**डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा** (जिला सीतापुर)---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

नोट---तारांकित प्रश्न ५८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*६३---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६४---श्री रामस्वरूप वर्मा---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ क्षेत्र में रोडवेज के कर्मचारियों की छटनी

*६५---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५७ से ३० सितम्बर, १९५८ तक लखनऊ (रोडवेज) रीजन में रोडवेज के कितने कन्डक्टर व ड्राइवर एक माह की नोटिस अथवा तनख्वाह देकर नौकरी से पृथक किये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम---राजकीय रोडवेज, लखनऊ में १ जनवरी, १९५७ से ३० सितम्बर, १९५८ तक ७ ड्राइवर व १३ कन्डक्टर १ माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन नोटिस के बदले में देकर नौकरी से पृथक किये गये ।

गोरखपुर क्षेत्र में बसें और टैक्सियां

*६६---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय रोडवेज के गोरखपुर रीजन में कितनी यात्रियों को ढोने वाली बसें और कितनी टैक्सियां ३० सितम्बर, १९५८ को थीं ?

डाक्टर सीताराम---राजकीय रोडवेज के गोरखपुर रीजन में ३० सितम्बर, १९५८ को यात्रियों को ढोने वाली ३४१ बसें तथा ३८ टैक्सियां थीं ।

रोडवेज विभाग में परिगणित तथा पिछड़ी जातियों के अधिकारी

*६७---श्री हरदयालसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग में कितने जनरल मैनेजर व असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, उनमें क्रमशः कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

डाक्टर सीताराम---उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग में ९ जनरल मैनेजर्स तथा ३० असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स हैं । इनमें से परिगणित जाति या पिछड़े वर्ग का कोई नहीं है ।

*६८---श्री हरदयालसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग में कितने सीनियर स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट व जूनियर स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट अलग-अलग हैं ? उनमें क्रमशः कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

डाक्टर सीताराम---७४ सीनियर स्टेशन इंचार्ज तथा १४१ जूनियर स्टेशन इंचार्ज हैं । एक सीनियर स्टेशन इंचार्ज तथा दो जूनियर स्टेशन इंचार्ज पिछड़े वर्ग के हैं तथा एक जूनियर स्टेशन इंचार्ज परिगणित जाति के हैं ।

आलमबाग, लखनऊ में प्रेस का सामान ले जाने वाली लारी को पकड़ना

*६९---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ में आलमबाग (लखनऊ) थाने की पुलिस ने एक लारी कानपुर जाते हुये पकड़ी थी, जिसमें वैसे ही सामान (materials) भरे थे जो प्रेस के काम में आते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- जी हां ।

*७०---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या यह सच है कि सूचना मिलने पर ऐशबाग राजकीय प्रेस, लखनऊ के असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट श्री स्यूल मौके पर गये और उन्होंने इस सम्बन्ध में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को कोई रिपोर्ट दी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। सूचना मिलने पर श्री स्यूल थाने पर गये परन्तु उन्हें उक्त लारी में राजकीय मुद्रणालय की कोई वस्तु नहीं मिली। इस आशय की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। अतएव तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*७१---**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या सरकार उक्त रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही का पूरा ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री स्यूल ने इस सम्बन्ध में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट, राजकीय प्रेस, लखनऊ को कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दिया अतएव यह प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज के रात्रि-विश्राम-गृह

*७२---**श्री उग्रसेन**---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में १९५१ के पहले के कितने ड्राइवर, कन्डेक्टर, बुकिंग क्लर्क, ए० टी० आई० अभी तक स्थायी नहीं किये गये?

डाक्टर सीताराम---आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७३---**श्री उग्रसेन**---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रोडवेज रीजन में कितने गाड़ियों के रात्रिसंस्थान स्थान (halting stations) हैं? और उनमें से कितने पर कर्मचारियों के लिये विश्राम गृह का निर्माण हुआ है?

डाक्टर सीताराम---गोरखपुर रीजन में ९६ halting stations हैं उनमें से ४ स्टेशनों पर कर्मचारियों के लिये पक्के विश्राम गृह बने हुये हैं और १२ स्टेशनों पर टिन के शेड या एक कमरा कर्मचारियों के ठहरने के लिये बना है।

*७४---**श्री उग्रसेन**---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विश्राम गृहों में रनिंग स्टाफ के लिये किन-किन सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है?

डाक्टर सीताराम---उक्त विश्राम गृहों में कर्मचारियों की सुविधा के लिये शौचालय, जल तथा रोशनी का प्रबन्ध है।

सहारनपुर जिले में हरिजन कल्याणार्थ अनुदान

*७५---**श्रीमती शकुन्तला देवी** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार सन् १९५५ से १९५८ तक प्लानिंग विभाग से कितने कुयें तथा मकान बनाने हेतु प्रतिशत के हिसाब से कितना अनुदान हरिजनों को दिया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला सहारनपुर में सन् १९५५ से १९५८ तक निम्नलिखित धन हरिजनों को प्लानिंग विभाग द्वारा कुयें तथा मकान बनाने हेतु दिया गया।

(१) नियोजन विभाग से १०६ हरिजन कुओं के निर्माण हेतु १,७१,५७९·०० रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में दी गई। बाढ़ के इलाके में निर्मित कुओं पर कुल व्यय का ६६ प्रतिशत अनुदान दिया गया तथा अन्य इलाकों पर ५० प्रतिशत अनुदान दिया गया।

(२) हरिजन कल्याण विभाग से २४ हरिजन कुओं के निर्माण तथा मरम्मत हेतु २२,४८४·९६ एवं ६२ हरिजनों को मकान निर्माण हेतु १४,५१०·०० का अनुदान दिया गया। यह सम्पूर्ण अनुदान ५० प्रतिशत के हिसाब से दिया गया है।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा होल्डर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग

*७६---श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय इन्डस्ट्रीज विभाग से संचालित टेक्निकल इन्स्टीटयूट्स से इस वर्ष के मेकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा पासशुदा को उचित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिये आधुनिक मशीनरीज से जानकारी कराने हेतु बड़े-बड़े कारखानों में भेजने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है।

उन्नाव उद्योग कार्यालय में ऋण व अनुदान के लिए प्रार्थना-पत्र

*७७---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् १९५७ से आज तक कितने प्रार्थना-पत्र कर्ज व अनुदान के लिये उद्योग दफ्तर, उन्नाव, में प्राप्त हुये और कितने मंजूर हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जनवरी, १९५७ से दिसम्बर, १९५८ तक उन्नाव उद्योग कार्यालय में ऋण व अनुदान हेतु १०२ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये जिनमें से ३९ स्वीकृत हुये।

शाहजहांपुर जिले में सिंचाई के साधनों के लिये तकावी

*७८---श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में सरकार ने १९५७ व १९५८ में आबपाशी के लिये ट्यूबवेल तथा साधारण कूपों के लिये कितना धन किन-किन लोगों को तकावी पर दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६७९ पर)

परिवहन विभाग में हिन्दी

*७९---श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेशीय गवर्नमेंट रोडवेज विभाग का कार्य हिन्दी में होता है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, काफी काम हिन्दी में होता है।

परिवहन विभाग की महिला कर्मचारी

*८०---श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय रोडवेज विभाग, उत्तर प्रदेश, में कितनी महिलायें कार्य कर रही हैं और किन पदों पर ?

डाक्टर सीताराम---कुल ३० महिलायें हैं, जिनमें १ जनरल क्लर्क, १७ जूनियर क्लर्क, १ सहायक बुकिंग क्लर्क, ६ कंडक्टर, १ पानीवाली, १ मजदूर और ३ जमादारिन हैं।

*८१---श्रीमती चन्द्रावती---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस विभाग द्वारा जो सहायता सेवकों को साबुन, वर्दी आदि के रूप में दी जाती थी वह किन कारणों से बन्द कर दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम---परिवहन संस्था में कर्मचारियों को साबुन कभी नहीं दिया गया। जिन कर्मचारियों को वर्दी मिलने के सरकारी आदेश हैं उनको उचित समय पर बराबर वर्दी मिलती रहती है तथा उसके धुलाई के लिये भी भत्ता मिलता है।

मिलों की तालाबन्दी

*८२---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इस सम्बन्ध में कितनी मिलें बन्द हैं और उससे कितने मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेण्टरों में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के लोग

*८३---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने एक्सटेन्शन ट्रेनिंग सेन्टर हैं, उनमें से कितने व्यक्ति सन् १९५७ व १९५८ में ट्रेनिंग में अलग-अलग आये और उनमें कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८४---**श्री भजनलाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के उपरोक्त ट्रेनिंग सेन्टरों में कितने-कितने व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहे हैं तथा उनमें कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

हैण्डलूम के रिबेट की रकम

*८५---**श्री धर्मदत्त वैद्य** (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हैन्डलूम के कपड़े की बिक्री पर प्रति रुपया कितना रिबेट दिया जाता है और उसका कितना प्रतिशत रिजर्व डिपाजिट में जमा किया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(क) ६ नये पैसे प्रति रुपया ।

(ख) ३० प्रतिशत ।

*८६---**श्री धर्मदत्त वैद्य**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस तरह प्रदेश में रिजर्व फण्ड में जमा की गई धनराशि से वह कोई सहकारी स्पिनिंग मिल खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस फंड से कितने हिस्से खरीदने का विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(क) उत्तर प्रदेश में बुनकर सहकारी समितियों द्वारा रिजर्व फंड में जमा की गई धनराशि के अतिरिक्त और भी अन्य साधनों से यू० पी० कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित स्पिनिंग मिल के लिये धन एकत्रित किया जा रहा है ।

(ख) बुनकर सहकारी समितियों के हिस्सों की संख्या उनकी स्वेच्छा पर आधारित है ।

*८७---**श्री धर्मदत्त वैद्य**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सोसाइटीज को रिजर्व डिपाजिट एकाउन्ट पर यू० पी० कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड कितना प्रतिशत सूद दिया करता है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बैंक सोसाइटीज को किस दर की ब्याज पर कर्ज देता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(क) डेढ़ प्रतिशत ।

(ख) बुनकर सहकारी समितियों को ढाई प्रतिशत तथा गैर बुनकर सहकारी समितियों को ६ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ।

हिन्दी प्रसार के लिये अनुदान का प्रयोग

*८८---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "राष्ट्रभाषा" हिन्दी की उन्नति के लिये सन् १९५७ और सन् १९५८ ई० के दो वर्षों में प्रदेश की किन-किन संस्थाओं को कितना-कितना धन दिया गया है ?

*८९---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि "राष्ट्रभाषा" हिन्दी की उन्नति के लिये सन् १९५७ और १९५८ के वर्षों में दिये गये धन का इस्तेमाल उक्त संस्थाओं ने कर लिया है और इसकी जांच सरकार द्वारा कर ली गई है ?

*९०---क्या सरकार उन संस्थाओं के नाम बताने की कृपा करेगी कि जिन्होंने "राष्ट्र-भाषा" हिन्दी की उन्नति के लिये सन् १९५७ और १९५८ ई० में प्राप्त धन का उपयोग अभी तक नहीं किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना एकत्रित की जा रही है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रोजगार

*९१---**श्री गेंदासिंह**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने व्यक्तियों को काम देने की व्यवस्था की गई है और उनमें से कितनों को अब तक दी जा चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(क) लगभग ३·२५ लाख व्यक्तियों को काम देने की व्यवस्था की गई है।

(ख) ३१ जनवरी, १९५८ तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्यों की वजह से १ लाख १० हजार आदमियों को काम मिल गया है। यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। शेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६८०-६८१ पर)

मुहम्मदी तहसील में गोमती के पुल पर बस दुर्घटना

*९२---**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)---क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी-लखीमपुर में मोहम्मदी तहसील स्थित गोमती के पुल से एक बस दिनांक १८-११-५८ को नदी में गिर गई ? यदि हां, तो इस दुर्घटना से कितने व्यक्तियों की जानें गईं ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, कोई व्यक्ति नहीं मरा।

अतारांकित प्रश्न

*१---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*२---**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा---मैं सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ जो विधान सभा द्वारा १२ मार्च, १९५९ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १८ मार्च, १९५९ को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं एक सूचना चाहता था। यह जो अभी हमारे श्रीमान् सचिव जी ने सूचना दी है तो क्या यह भी सही है कि हाई कोर्ट ने इसकी कुछ धारायें नल ऐंड वायड करार दी हैं ?

श्री अध्यक्ष---बिना किसी सिफारिश के वह तो वापस यहां आया है। अभी तो एक्ट बना ही नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--लेकिन इस बिल की कुछ धारायें हाई कोर्ट ने नल ऐंड वायड भी करार दी हैं ।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप सूचना दे रहे हैं ।

डाक्टर लोहिया के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना--(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब दूसरा प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का है । श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी ने और श्री रामेश्वरप्रसाद जी ने एक ही विषय के ऊपर सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही है । तो मैं दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी से पहले कहूंगा कि आप किस तरह से समझते हैं कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है । एक तो आपने इसमें सिवाय अखबार की कटिंग के और कोई दूसरी सूचना मुझे नहीं दी है । आप एक बात यह बतावें वाकयात के बारे में कि यह कहां तक सही है कि लोहियाजी ने जो भाषण दिया उसके शब्द क्या हैं और आपको उक्त शब्द ठीक-ठीक कैसे मालूम हुए हैं । दूसरे, यह भी बतावें कि अगर ये शब्द लोहिया जी के भाषण में हों तो भी उससे विशेषाधिकार की अवहेलना कैसे होती है ।

*__श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी__ (जिला देवरिया)--मान्यवर, यह मेरा बड़ा दुखद कर्त्तव्य है कि मैं एक ऐसे विषय को जिसमें डाक्टर राममनोहर लोहिया जी का सम्बन्ध है उनके विरुद्ध.....

श्री अध्यक्ष--आप पहले उनके शब्द बतलाइये ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--आ रहा हूं उसी विषय पर । लेकिन कर्त्तव्य का ध्यान रखते हुए और इस सदन की सुरक्षा और मानमर्यादा का ध्यान रखते हुए लाना पड़ा और इसीलिए मैंने अच्छी तरह से अपने को आश्वस्त कर लिया और उन सभी आधारों को जिनके बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने यह सदन का अपमान किया है मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्रीमन्, मैंने कल के समाचार-पत्र "पायनियर" को देखा और उसके ५वें पेज के ५वें स्तम्भ में यह समाचार छपा हुआ है । आपकी आज्ञा से मैं उसको पढ़ता हूं--

"Dr. Ram Manohar Lohia, the Socialist leader, to day characterised the action of the Speaker of the U. P. Legislative Assembly in expelling Mr. Raj Narain, the Socialist group leader, from the House for a period of 45 days as 'arbitrary'. The Socialist leader who was addressing a public meeting at Aminuddaula Park, said that the 'motive behind the expulsion motion was to keep Mr. Raj Narain out of the House who occasionally exposed the scandalous acts perpetrated by the State Ministers'.

Narrating the circumstances which ultimately led to the expulsion of Mr. Raj Narain, Dr. Lohia said that the chapter could have been closed at an earlier stage, had the ruling party tackled the 'minor incident' at Darulshafa tactfully and without prejudice.

Mr. Raj Narain, who also spoke on the occasion, said that whatever he did was to 'protect the prestige of Indian womanhood'.

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्रों को आपने कभी विश्वसनीय नहीं माना । तो क्या कोई सदस्य इस तरह से समाचार-पत्र को कोट करके विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--वह तो मैंने उनसे पूछा है कि उनके पास कोई और भी सूचना है अखबार के अलावा । अगर है तो बतायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कई सदस्य--इसका हिन्दी में अनुवाद कीजिये ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय सदस्य स्वयं उस सभा में गये थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--वे सभा में गये हों या नहीं, दूसरा कौन-सा सबूत देते हैं वह तो सुनिये ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--मान्यवर, मैं उसी का हिन्दी अनुवाद जो थोड़ा-सा घुमा फिरा कर "स्वतंत्र भारत" में है पढ़ देना चाहता हूं और इस अखबार में.....

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, जो आपने पढ़ा है उसी का अनुवाद कीजिये ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--कल डाक्टर राममनोहर लोहिया जी ने अपना भाषण देते हुए कहा कि अध्यक्ष, विधान सभा, का जो राजनारायण जी को सदन से निकाले जाने का आदेश है वह बिल्कुल स्वेच्छाचारिता और मनमाना ढंग का है और उन्होंने यह भी कहा कि ४५ दिन के लिए निकाले जाने का जो प्रस्ताव है वह किसी दुर्भावना से रखा गया था और इसी कारण से वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और उसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं कि माननीय राजनारायण जी मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों पर आरोप लगाया करते थे इसीलिये यह प्रस्ताव रखा गया । इसलिये यह आक्षेप हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--आपके पास अखबार के सिवाय और कोई सूचना हो तो बताइये । मैं अन्य बातों की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--जी हां, माननीय सदस्य श्री छत्रपति अम्बेश यहां उपस्थित हैं, वह उस मीटिंग में उपस्थित थे । उनका पत्र मेरे पास है । उसमें यह लिखा हुआ है:--"अध्यक्ष महोदय,

कल दिनांक १७-३-५९ को सायंकाल जब मैं अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ, के पास से होकर गुजर रहा था, तब मैंने डाक्टर लोहिया को भाषण देते देखा । मैं थोड़ी देर रुक गया । डाक्टर राममनोहर लोहिया, नेता समाजवादी दल, ने भाषण के दौरान में कहा कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ने राजनीतिक कारणों से श्री राजनारायण सिंह के निकाले जाने का प्रस्ताव सदन में १६-३-५९ को किया । अध्यक्ष, विधान सभा, का आदेश भी स्वेच्छाचारिता तथा मनमाने ढंग का था । माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर उस प्रस्ताव का समर्थन किया । मैं थोड़ी देर में पुनः चला आया । भाषणकर्त्ता ने गृह मंत्री आदि पर तथा मुख्य मंत्री पर अनेक आरोप लगाये ।" श्रीमन्, यह अम्बेश जी का पत्र है । मैंने और भी....

श्री अध्यक्ष--दूसरी बात यह है कि आप बतायें कि क्योंकर विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है । इसके लिए आपका क्या कहना है ?

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । श्रीमन्, जो सज्जन भाषण सुनने गये थे उन्होंने थोड़ी देर सुना और पूरा वक्तव्य बिना सुने चले आये तो....

श्री अध्यक्ष--आपको भी मौका मिलेगा । यह कोई आपका वैधानिक प्रश्न नहीं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी--अभी जो माननीय त्रिपाठी ने पत्र पढ़ा वह आपके लिये लिखा गया है तो वह आपके पास न पहुंचकर उनके पास कैसे पहुंच गया ? यह एक वैधानिक समस्या है और मुझे आशा है कि आप इसे सुलझाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--माननीय त्रिपाठी जी, इसको आप स्पष्ट करें ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--मान्यवर, बहुत से सदस्य वहां उपस्थित थे....

श्री अध्यक्ष--यह नहीं। 'अध्यक्ष महोदय' को यह पत्र संबोधित है तो क्या आप किसी संस्था के अध्यक्ष थे या वह पत्र मेरे लिये लिखा गया है ?

श्री जगन्नाथ लहरी--अध्यक्ष महोदय, आपका एक पत्र कैसे एक सदस्य के पास पहुंच गया ? इससे मालूम होता है कि पत्रों की चोरी कैसे हो रही है। इसको सुलझाने की कृपा कीजिये।

श्री अध्यक्ष--यह पत्र वे दूत बनकर मेरे पास लाने वाले थे।

श्री जगन्नाथ लहरी--दूत को फौरन बाहर निकाला जाय।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि वहां मुक्तिनाथ राय आदि बहुत से सदस्य उपस्थित थे....

श्री अध्यक्ष--वह मैं नहीं कह रहा हूं। आप यह मानकर चलें कि बात ठीक थी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--मान्यवर, मैं समझता हूं कि हमारे यहां जनतंत्र की स्थापना है और हमारी विधान सभा है वह इसकी सुरक्षा के लिये सबसे बड़ी संस्था है। इसके निश्चयों का अगर हम उल्लंघन करेंगे तो इस देश में जनतंत्र नहीं चल सकता है। मैं आपके द्वारा अमेरिका के, जो सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, ऐम्बेसेडर एल्सबर्थ बंकर के भाषण ....

श्री अध्यक्ष--मैं उसके पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता। अगर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को पढ़कर आप बताना चाहें तो बताइये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--इस तरह की जो विधान सभा की कार्यवाही हुई उस कार्यवाही पर पब्लिक प्लेटफार्म पर टीका-टिप्पणी हो तो वह संविधान के अनुकूल नहीं पड़ता है। संविधान की धारा १९४ (३) और (४) की तरफ मैं संकेत करता हूं—

"(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law, and, until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution.

(4) The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise....."

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह सब मान्य है कि इंग्लिश पारलियामेंट के प्रिविलेजेज हमारे प्रिविलेजेज हैं। अगर आपको मेज पारलियामेंटरी प्रैक्टिस से कोई संबंधित उदाहरण देना हो तो बता दीजिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--मेज पारलियामेंटरी प्रैक्टिस का पंदरहवां एडीशन है; उसमें पेज ११७ पर लिखा हुआ है :--

"In 1701 the House of Commons resolved that to print or publish any books or libels reflecting on the proceedings of the House is a high violation of the rights and privileges of the House (*e*) and indignities offered to their House by words spoken or writings published reflecting on its character or proceedings have been constantly published by both the Lords and the

Commons upon the principle that such acts tend to obstruct the Houses in the performance of their functions by diminishing the respect due to them.

Reflections upon Members, the particular individual not being named or otherwise indicated, are equivalent to reflections on the House."

इसके अनुसार अगर विधान सभा में कोई कार्यवाही की जाय उसके सम्बन्ध में अगर बाहर चर्चा की जाय या किसी माननीय सदस्य के बारे में कोई संकेत किया जाय तो इस विधान सभा के विशेषाधिकारों की अवहेलना का प्रश्न उठता है। जो पत्र माननीय अम्बेश जी ने दिया उसमें कहा गया है कि डाक्टर लोहिया ने कहा कि माननीय अध्यक्ष का उनको निकाले जाने का आदेश आर्बिट्रेरी है। दूसरे, नेता सदन द्वारा जो प्रस्ताव पेश हुआ उनके सम्बन्ध में कहा गया कि उन्होंने किसी भावना से प्रेरित होकर किया है। साथ ही साथ जो निर्णय माननीय सदन ने किया था उसके बारे में भी उनका कहना है कि गलत ढंग से किया गया है।

श्री अध्यक्ष---आप अब कृपा कर बैठें।

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी, यह जान कर मुझे आश्चर्य हुआ, वहां उपस्थित नहीं थे। लिहाजा उन्होंने सुन कर कोई बात नहीं कही। दूसरे, यह भी एक गम्भीर आरोप है कि जो पत्र अध्यक्ष के लिए भेजा गया था, वह उनके हाथ में आ गया, और उन्होंने उसको सदन में पढ़ा जो अध्यक्ष के यहां होना चाहिए था। इन बातों के बाद आक्षेप के सम्बन्ध में आता हूं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया जिससे माननीय अध्यक्ष पर किसी प्रकार का रिफलेक्शन होता हो, उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई बात होती हो, या उनके निर्णय को चैलेंज किया गया हो। मुझे मालूम नहीं कि माननीय त्रिपाठी जी को यह बुद्धिविभ्रम कहां से हो गया कि सदन की कार्यवाही पर आलोचना नहीं हो सकती। रोज का काम है कि किस दल ने क्या कहा, इसकी आलोचना हुआ करती है। किस दल ने क्या किया, इसको कहने का जनता को पूर्ण अधिकार है। न तो यह बात साबित हुई कि अध्यक्ष की प्रतिष्ठा के विरुद्ध बात कही गयी, उनके निर्णय को चैलेंज किया गया और माननीय त्रिपाठी जी ने एक भी उदाहरण नहीं दिया कि किस प्रकार अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेन्ज किया गया। अब यह कि माननीय मुख्य मंत्री ने द्वेषभाव से प्रेरित होकर कहा, यह तो जनता को कहने का पूरा हक है और इसमें किसी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं उठता। जो माननीय अध्यक्ष जी के लिए पत्र लिखा गया उसमें भी यह शब्द नहीं लिखा गया कि अध्यक्ष के विरुद्ध कोई बात लोहिया जी ने कही। इसलिए, श्रीमन्, किसी प्रकार इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं तो आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इसको यहां उठाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे प्रश्न लिया ही न करें।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---माननीय सदस्य वहां थे या नहीं थे, इसकी और सूचना दे दें। यदि थे तो उन्होंने क्या कहा, यह भी बता दें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मुझे दुःख है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न यहां उठाया गया।

श्री अध्यक्ष---उठा नहीं, सूचना दी गई है प्रश्न यह है। कि उसे उठाने की अनुमति दी जाय या नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---सूचना दी गई। माननीय लोहिया जी के जो तथाकथित शब्द बताये गये कि उन्होंने ये शब्द कहे और माननीय त्रिपाठी जी ने अपने समर्थन में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से जो कुछ पढ़कर सुनाया उस सब के आधार पर वैसे तो कानून और कायदे से मेरा निश्चित मत है कि इससे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है और आपको कोई अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जनतंत्र की रक्षा कोई कानून और कायदे से ही नहीं हो सकती। मेरा तो शुरू से मत जो था वही आज भी है कि हमें तो इस कांड की

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

समाप्ति करनी चाहिए हम सब को मिल कर। हम सब इस तरह की बातें उठाकर उस आग को और जला रहे हैं। इससे जनतंत्र खतरे में पड़ेगा। कानून और कायदों से बड़ी चीज है जनतंत्र, जनहित और सदन की मर्यादा। इसलिए मैं कानून और कायदों में न पड़ कर इस आधार पर प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर अनुमति न दें और बेहतर तो यह समझता हूं कि श्री त्रिपाठी जी इस पर अनुमति न मांगें और इसको वापस ले लें।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने थोड़ी-सी दिक्कत यह है कि जिस स्पीच की रिपोर्ट पढ़ी गई उसमें कुछ थोड़ा-सा मेरा भी जिक्र है। बहरहाल, फिर भी अपनी राय यथासम्भव आबजेक्टिव होकर आपके सामने रखने का यत्न करूंगा। यह तो मैं समझता हूं कि बगैर बहुत गहराई में गये हुए जो कुछ हमारे सामने पढ़ा गया उससे शायद प्रिविलेज का सवाल कानूनी दृष्टि से तो बन जाता है। मगर बनता हो या न बनता हो, मैं भी इस बात में माननीय पालीवाल जी से सहमत हूं कि इस मामले को और आगे न बढ़ाया जाय। जहां तक हमने सुना है, जिस स्पीच की चर्चा है उसके तीन अंग हैं। एक अंग से तो प्रजा समाजवादी पार्टी और उसके नेता के ऊपर कुछ इस किस्म का आक्षेप है कि वह सरकार से मिल गये हैं। मैं समझता हूं कि वह पार्टी इतनी मजबूत है कि वह अपनी रक्षा खुद कर सकती है। उसके लिए इस किस्म के सवाल की जरूरत नहीं है। दूसरा आपके ऊपर आक्षेप है और वह आक्षेप अनुचित है, मैं समझता हूं कि सदन का हर सदस्य इस बात को मानेगा, यहीं नहीं बल्कि सदन के बाहर भी। आपकी जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस विषय में भी यहां विचार करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात है कुछ मंत्रियों के संबंध में और विशेष रूप से मेरे संबंध में। यों तो मेरा ऐसा खयाल है कि इस सदन का कोई भी सदस्य, मंत्री हो या कोई भी हो, जब वह कोई प्रस्ताव सदन के सामने रखता है और सदन उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो यह सवाल कभी नहीं उठ सकता कि उस प्रस्ताव के रखने वाले के दिल में उद्देश्य क्या था। सदन तो वह चीज है जिसमें प्रत्यक्ष कोई चीज उसके सामने आती है। मैंने एक प्रस्ताव रखा। इसी सदन ने उसको स्वीकार किया और बात वहीं खत्म हुई। मेरा उद्देश्य क्या था, उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहरहाल, जहां तक उद्देश्य की बात है या तो मैं जानता हूं या डाक्टर लोहिया साहब जानते होंगे या कोई उनके अनुयायी जानते होंगे। जहां तक डाक्टर लोहिया साहब की बात है मेरी तो हैसियत ही क्या है, मुझसे बड़े लोगों की बाबत भी उनको बहुत-सी जानकारी है, इसी लखनऊ में उनकी एक स्पीच की रिपोर्ट मेरे पास...

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह दूसरी स्पीच तो इस प्रश्न में नहीं आयेगी....

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इसलिए कह रहा था कि उनको बहुत-सी जानकारी है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जिस किस्म की बातें वह कहते रहते हैं उनको महत्व देना वह भी इस सदन की शान के खिलाफ है। इस उनकी स्पीच को सीरियसली विचार करना उसमें इस सदन का अवमान तो जो होता है वह होता है, लेकिन उसमें उनकी मान-वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि....

श्री रामस्वरूप वर्मा---प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी, प्रिविलेज कैसे बनता है, विशेषाधिकार कैसे बनता है, इस बात को न रखकर एक परसनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और जो स्पीच उन्होंने दी है या तो उसको एक्सपंज कर दिया जाय या फिर मुझे भी अधिकार मिले कि मैं डाक्टर लोहिया की तरफ से उत्तर दूं और बताऊं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा।

श्री अध्यक्ष---(मुख्य मंत्री से) आप कृपया अपनी बहस वहीं तक सीमित रखें कि इस प्रश्न को उठाने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैं यह प्रस्ताव करता हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह स्पीच एक्सपंज कर दी जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, किसी का नाम लेकर जो यहां मौजूद न हो जिक्र करने के बारे में आपने बार-बार रूलिंग दी है कि वह यहां डा० लोहिया के विषय में नहीं हो सकता । फिर भी, माननीय मुख्य मंत्री जो यहां कह रहे हैं वह एक्सपंज होना चाहिए । मुख्य मंत्री जी के मान बढ़ाने से डाक्टर लोहिया का मान नहीं बढ़ेगा । उनकी भी अपनी खासी हैसियत है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसलिए मैं तो जिन दो माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया है, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सब बातों को गौर करके वे कृपा करके अपने इन प्रस्तावों को वापस ले लें ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि जो शिकायत देवरिया जिले के माननीय सदस्य ने उपस्थित की है उस पर कुछ अर्ज करूं । मेरी राय में और मेरी यह निश्चित राय है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न में इस सदन के माननीय सदस्यों को कुछ छुईमुई नहीं होना चाहिए । लेकिन साथ-साथ मेरा यह भी निश्चित मत है कि जब इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हो तो उसे दरगुजर नहीं करना चाहिए । मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि अखबार में जो समाचार प्रकाशित हुआ है इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं और मान्यवर यदि आज्ञा दें तो आठ-सात प्रमाण मैं पेश कर दूं कि केवल इस प्रकार के प्रकाशन पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रिविलेजेज़ कमेटी के सुपुर्द हुआ है । यूनाइटेड किंगडम और हिन्दुस्तान में भी ऐसी कार्यवाही की है । लेकिन मैं उसमें नहीं जाता । जितना अखबार में छपा है चाहे वह मान्यवर के सम्बन्ध में हो, अथवा उसका सम्बन्ध इस सरकार के किसी मिनिस्टर से या इस सदन के किसी सदस्य से हो मेरी निश्चित राय है कि वह ब्रीच आफ प्रिविलेज है इस हाउस का । लेकिन फिर भी तमाम बातों को देखते हुए और इस सदन की मान-मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, साथ ही तुलसीदास जी की कहावत के अनुसार मान्यवर से बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस बात के कहते हुए भी कि प्राइमाफैसी केस बनता है किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---अब मैं और भाषणों की इजाजत नहीं दूंगा । प्रश्न यह था कि नियम ६४ के अनुसार मैं प्रश्न उपस्थित करने की अनुमति दूं या न दूं । यह अनुमति देना मेरे लिए बिल्कुल डिस्क्रीशनरी है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं आर्बिट्रेरी के अर्थ जो कि डिक्शनरी में दिये हैं, कई अर्थ हैं । आर्बिट्रेरी का एक तो अर्थ है 'डिस्क्रीशनरी' । अगर मैं कोई फैसला अपने डिस्क्रीशन से करता हूं तो वह उस अर्थ में केवल आर्बिट्रेरी होता है । इसमें कोई शक नहीं है । आपके स्टैंडिंग आर्डर के अनुसार, जो आपके रूल्स हैं उनके मातहत मुझे यह डिस्क्रीशन दी गई है । तो कभी-कभी यह बात होते हुये भी प्राग दर्शन में (Prima Facie) ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है, तो भी मैं प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं देता । वह निर्णय बिल्कुल आर्बिट्रेरी उक्त माने में कहा जा सकता है । इसलिये आर्बिट्रेरी शब्द जो मेरे लिये इस्तेमाल किया गया और जिन लोगों ने उसे इस्तेमाल किया उनकी दृष्टि से माइल्ड हो सकता है । मेरे निर्णय के लिये जो आर्बिट्रेरी शब्द का प्रयोग किया गया उसका लीगल अर्थ एक दृष्टि से डिस्क्रीशनरी होता है और कानूनी भाषा में ऐसा अर्थ लिया भी जा सकता है ।

एक सदस्य--इसकी हिन्दी कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---उसका कानूनी अर्थ यह होता है कि अध्यक्ष मर्जी के मुताबिक स्वयं निश्चय कर सकता है । इसमें कोई स्पष्ट आक्षेप की बात नहीं है । यह बात सही है कि अध्यक्ष डिस्क्रीशन में औचित्य देखकर ही प्रश्न उठाने की मंजरी देता है । तो जहां तक अध्यक्ष के निर्णय के बारे में जो शब्द उपयोग में लाये गये बताया जाता है वे अध्यक्ष

[श्री अध्यक्ष]

के ऊपर लाञ्छन लगाने के लिये थे, ऐसा मैं यह नहीं मानता हूं और अगर ये शब्द कहे गये हों तो भी मैं रामस्वरूप वर्मा जी से इस बात में सहमत हूं कि लाञ्छन लगाने का लोहिया जी का उद्देश्य नहीं था।

जहां तक विरोधी दल के नेता या मुख्य मंत्री जी का प्रश्न है, इसमें नियमों में और मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में नजीर भी मुझको मिली है कि किसी एक सदस्य के खिलाफ भी, जो सदस्य की हैसियत से यहां पर काम करता है, उसके ऊपर लाञ्छन लगाया गया हो, जिससे उसकी इज्जत घट जाती हो, तो वह प्राइमाफेसी केस सदन के अवमान का बन जाता है, चाहे वह वाकयात के ब्यौरे में जाकर इस तरह से साबित न हो, लेकिन फिर भी यह प्राइमाफेसी केस बन जाता है। लेकिन दोनों विरोधी दल के नेता और मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि इसमें औचित्य नहीं है कि इस बात को बढ़ाया जाय, सदन में मेल होना चाहिये जिससे शान्ति से वाद विवाद यहां पर सदन में हो सके। बार-बार इस तरह के प्रश्न अगर विशेषाधिकार के उठाये जायंगे तो सदन की आबोहवा भी गरम बनी रहेगी और ठंडे दिल से विचार नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं ऐसी हालत में उचित नहीं समझता कि प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाय।

मैं समझता हूं जिन सदस्यों ने इसको उपस्थित करने की अनुमति चाही है वह भी अब इन बातों को सुनने के बाद स्वयं ही इसको वापस लेने का एलान कर देंगे।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---श्रीमन्, मैं आपके विचार, विरोधीदल के नेता के विचार और माननीय मुख्य मंत्री के विचार सुनने के बाद इस विचार का हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उससे सहमत हूं। इसलिये आपकी आज्ञा से मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---श्रीमन्, मैंने आपकी भावनाओं को सुना और माननीय मुख्य मंत्री के सुझावों को भी सुना। अब मैं स्पष्ट इस विचार का हूं कि वह प्रश्न इसके अन्दर आता है, लेकिन मैं इसको आपके ऊपर ही छोड़ता हूं, जैसा आप उचित समझें करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब यहां पर ब्रीच आफ प्रिविलेज के प्रश्न उठाये जाय तो मेरा यह निश्चित मत है कि आप उनको क्षमा न करें सदन के सम्मान की सुरक्षा हेतु। वे यहां पर जरूर लाये जायं।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये तो मुझे डिस्क्रीशन है, मैं उसका उपयोग करूंगा जिससे यह सदनरूपी परिवार रोज आपस में झगड़ा पैदा न करे।

इलाहाबाद में बलुआघाट के पास नाले का पानी यमुना में गिरने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर स्वायत्त शासन मन्त्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब श्री कल्याणचन्द मोहिले द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर स्वशासन मन्त्री का वक्तव्य होगा।

***स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)**---अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि बलुआघाट के पास जो खुला हुआ नाला बहुत दिनों से गिरता था, सन् १९४८ में यमुना में बाढ़ आने के कारण उसके द्वारा शहर में पानी आ गया। उसके बाद उसकी वजह से यह व्यवस्था की गयी कि वहां पर बांध बना दिया जाय और साथ ही साथ इस नाले को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीवर लाइन में डाल दिया जाय। बहुत सा भाग तो उसका सीवर लाइन में फ्लो कर जाता था और कुछ हिस्सा ओवर फ्लो करता था और वह नदी में गिरता था। कुछ वर्ष हुए उस नाले को पक्का कर दिया गया था। ७–८ रोज पहले की बात है कि उसमें कोई रुकावट पैदा हो गयी और पानी सीवर लाइन में जाने के बजाय ओवरफ्लो करने लगा और नदी में जाने लगा। आशा की जाती है कि २–३ दिन में यह रुकावट दूर कर दी जायगी और पानी सीवर लाइन में होकर जाने लगेगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)––क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बलुआघाट पर जो वाटर वर्क्स का पंपिंग स्टेशन है, जिससे नगर में पानी जाता है, वह इस नाले से कितनी दूरी पर है ?

श्री रामस्वरूप यादव––पंपिंग स्टेशन ढाई मील अपस्ट्रीम है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले––क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस घाट का पानी पंपिंग स्टेशन में गया जिसके कारण वहां के पानी में गन्दगी आ गयी तथा इसके बारे में वहां के अखबारों में काफी शिकायत इस बात की हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव––उस पंपिंग स्टेशन पर, जिससे शहर में पानी जाता है, इसका कोई असर नहीं है। यह नाला तो वहां सैकड़ों वर्षों से गिरता था। बांध ४८ में बनाया गया और फिर भी कुछ पानी ओवरफ्लो करके नदी में गिरता रहा है। लेकिन उससे पीने के पानी में कोई अव्यवस्था नहीं हुई।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)––क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि काफी दिनों से यह पानी बन्द है ? अब तक म्युनिसिपल बोर्ड ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया ? इस समय वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव––मैंने कहा कि यह रुकावट केवल ८–१० दिनों से ही हुई है और आशा की जाती है कि यह रुकावट दो–तीन दिन में दूर हो जायगी। जो पानी सीवर लाइन ले सकती है वही तो लेगी बाकी पानी तो ओवरफ्लो करता ही रहेगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषय की सूचना

श्री अध्यक्ष––श्री कल्याणचन्द मोहिले का एक और प्रश्न लोक महत्व का मेरे पास आया है जिसमें कहा गया है कि कानपुर में मूलगंज और अनवर गंज से करीब १५० वेश्यायें गिरफ्तार कर ली गयी हैं। इसको उठाने की मैं इजाजत नहीं देता हूं क्योंकि कानून के हिसाब से ही यह कार्यवाही हो रही है। मैं नहीं समझता कि यह बहुत महत्व का प्रश्न है। वह कहते हैं कि यह होली का अवसर है। इसलिये इसके प्रति वह कुछ सीरियस भी नहीं मालूम होते।

५ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न २८ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन†

***श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)**––अध्यक्ष महोदय, ५ मार्च, १९५९ को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या २८ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सिलसिले में श्री उग्रसेन जी के उस प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें कि उन्होंने यह पूछा था कि क्या यह सही है कि जो जायदाद सेन्ट्रल जूट मिल्स की साहू जैन कैमिकल फैक्ट्री के कर्ज के संबंध में सिक्योरिटी के तौर पर थी, उसे उसने वापस लिया है और अब उस कम्पनी की कोई जायदाद कर्ज की सिक्योरिटी में नहीं है। इस संबंध में जो उत्तर दिया गया था उसका एक अंश अधोलिखित है––

---

†५ मार्च, १९५९ की कार्यवाही में तद्नुसार संशोधन कर दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

"इसके बावजूद भी कलकत्ता जूट मिल की संपत्ति काफी अर्से तक हमारे यहां रेहन रखी रही। अभी हाल में जब ढाई करोड़ की संपत्ति यहां की हमारे यहां रेहन हो गयी है तब हमने कलकत्ता जूट मिल की संपत्ति को छोड़ा है।"

आपसे निवेदन है कि यह उत्तर निम्न प्रकार शोधित किया जाय --

"इसके बावजूद भी कलकत्ता जूट मिल्स कम्पनी की संपत्ति अभी तक हमारे यहां रहन है। किन्तु कम्पनी ने वाराणसी स्थित साहू कैमिकल्स की १,६०,४५,७०० रुपये की संपत्ति को बंधक करके उसी मात्रा में न्यू सेन्ट्रल मिल्स कंपनी, कलकत्ता, की संपत्ति को मुक्त करने की मांग सरकार से की है और इस संबंध में यथोचित कार्यवाही की जा रही है।"

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--श्रीमन्, मैं इस पर एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--इस पर आप बाद में प्रश्न भेज सकते हैं।

श्री अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से हटाने के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब श्री रामस्वरूप वर्मा ने माननीय अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से हटाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये नियम २७१ (२) के अन्तर्गत सदन की अनुज्ञा मांगने का जो प्रस्ताव रखा है उस पर अनुज्ञा देने के बारे में विचार होगा। तो उसको मैं पहले वैधानिक करार देता हूं लेकिन प्रथा यह रखता हूं इस समय कि जब अध्यक्ष के खिलाफ ही किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाता है तो अध्यक्ष स्वयं कुर्सी छोड़ देता है और उपाध्यक्ष सभापतित्व करें। यद्यपि संविधान के अनुसार जब विचार के लिये हटाने का प्रस्ताव उपस्थित हो तब के लिये यह प्रथा दी हुई है लेकिन मैं समझता हूं कि अनुज्ञा देने के लिये भी जब प्रस्ताव सामने आवे तो उस वक्त भी अध्यक्ष को सदन में उपस्थित नहीं रहना चाहिये बल्कि उपाध्यक्ष को ही उस समय सदन की कार्यवाही चलानी चाहिये और अनुज्ञा की कार्यवाही वगैरह करनी चाहिये। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करता हूं कि अब वह कुर्सी पर आकर बैठें और मैं थोड़ी देर के लिये बाहर चला जाता हूं।

(इस समय ११ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

श्री उपाध्यक्ष--मैं सदन का, खासतौर पर श्री रामस्वरूप वर्मा जी का, ध्यान नियम २७१(२) की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है--

"(२) जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव हो वह प्रस्ताव वापस ले सकेगा, परन्तु यदि वह ऐसा न करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगेगा। इस प्रक्रम पर किसी भाषण की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु प्रस्तावक प्रस्ताव लाने के कारणों का संक्षेप में उल्लेख कर सकेगा।"

तो अब मैं माननीय रामस्वरूप वर्मा को सदन की अनुज्ञा मांगने के लिये आदेश देता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--आपकी आज्ञा से पहले मैं प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

***श्री रामेश्वरप्रसाद** (जिला रायबरेली)--श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस संबंध में मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम २७० की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई अविश्वास

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रस्ताव आवे तो उसके लिये १४ दिन का नोटिस सेक्रेटरी को देना जरूरी होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई नोटिस दिया गया था। दूसरा प्रश्न इस प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में है। नियम १०८ में जो प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें लिखी हुई हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इस तरह से हैं--

"(२) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे।

(३) उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि रूल्स में तो ये बातें लिखी हुई हैं, लेकिन एजेण्डे में जो छपा हुआ है उसे आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है . . .

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--श्रीमन्, मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें। जब एक वैधानिक प्रश्न सामने हो तो कोई दूसरा वैधानिक प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री रामेश्वरप्रसाद--मैं कह रहा था कि श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा जिस भाषा का प्रयोग इस प्रस्ताव में हुआ है उसे आप एजेंडे पर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है "एक पक्षीय निर्णय दिया"। तो यह व्यंगात्मक हो गया। दूसरी बात लिखी है कि "सर्वथा असंसदीय, अलोकतांत्रिक अमर्यादित तथा सत्य पर परदा डालने वाली और पक्षपात-पूर्ण थी।"

तो मैं इन शब्दों के तहत में कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव है वह नियमावली के नियम १०८ के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप जब अनुज्ञा दें उनको इस प्रस्ताव के पेश करने की तब इन दोनों रूल्स पर गौर कर लें। अगर मेरा वैधानिक प्रश्न सही है तो उनको पेश करने की अनुज्ञा न दी जाय।

श्री देवनारायण भारतीय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने जो वैधानिक प्रश्न उठाया है मैं उस प्रश्न की वैधानिकता को ही आपत्तिजनक ठहराता हूं। श्रीमन्, आपके पदासीन होने से पहले माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दे दी थी कि यह प्रस्ताव वैध है। फिर मैं समझता हूं कि किसी भी नियम के आधार पर माननीय रामेश्वर प्रसाद जी का यह प्रश्न उपस्थित करना अनुचित है। उसकी वैधता को आलोचना का विषय बनाना उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि वह प्रश्न उठा करके रामेश्वर प्रसाद जी ने सदन और माननीय अध्यक्ष का अपमान किया है जिसके लिये मैं चाहता हूं कि उनके प्रति विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जाय। मैं इसका नोटिस देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--जहां तक नियम १०८ की तरफ माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने ध्यान दिलाया उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि माननीय अध्यक्ष स्वयं उसको वैध घोषित करके जा चुके हैं। मैं उनकी रूलिंग रिवाइज करने के लिये यहां नहीं बैठा हूं। इसलिये प्रस्ताव जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। और जहां तक नियम २७० का सवाल है उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो अनुज्ञा मांगने का और दूसरे विचार का। संविधान में यह कहा गया है कि उस पर विचार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि नोटिस देने के बाद १४ दिन गुजर न गये हों, लेकिन अनुज्ञा मांगने का समय कोई भी हो सकता है। तो अब पहला प्रक्रम अनुज्ञा मांगने का है। इसलिये मैंने उनको अनुज्ञा मांगने की इजाजत दी है और वह नियमानुकूल है।

श्री देवनारायण भारतीय--मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठें। आपने सुना नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सदन से अनुज्ञा चाहता हूं।

"यह सदन वर्तमान अध्यक्ष को उनके अध्यक्ष पद से हटाने का निम्नलिखित कारणों से निश्चय करता है क्योंकि:--

(१) माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री नेकराम शर्मा के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर एक-पक्षीय निर्णय दिया है।

(२) माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्राकृतिक न्याय के अनुसार श्री राजनारायण को व्यक्तिगत सफाई देने का अवसर नहीं दिया।

(३) माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था उक्त संबंध में सर्वथा असंसदीय, अलोकतांत्रिक, अमर्यादित तथा सत्य पर पर्दा डालने वाली और पक्षपातपूर्ण थी।"

श्रीमन्, मैं उन कारणों के संबंध में बहुत संक्षेप में कह दूं जिनकी वजह से मुझे बाध्य होकर यह प्रस्ताव लाना पड़ा है। श्रीमन्, यह इस प्रदेश के संसदीय इतिहास में पहला अवसर है जब अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिये प्रस्ताव यहां आया है। श्रीमन्, मुझे वह बात भी स्मरण है जब इसी आदरणीय सदन के अध्यक्ष राजर्षि टंडन जी ने मुस्लिम लीग. . .

श्री उपाध्यक्ष--आप भाषण देने लगे। आप क्यों अनुज्ञा मांग रहे हैं, वही कारण बतायें. . .

श्री रामस्वरूप वर्मा--वही कारण बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं नियम से मजबूर हूं। आप अपने भाषण को सीमित रखें, विषय के गुण-दोष पर न जायं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--यह कठोर कर्त्तव्य मुझे इसलिये करना पड़ रहा है कि जिस विवाद के संबंध में यहां पर माननीय अध्यक्ष ने फैसला दिया उस घटना को यहां के लगभग २०० सदस्यों ने देखा होगा। श्रीमन्, उन सदस्यों से कोई पूछताछ नहीं हुई, और माननीय अध्यक्ष ने एक-पक्षीय बात पर ही, एक व्यक्ति के कथन पर, विश्वास करके यह फैसला यहां सुना दिया, जिससे सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मान को ही ठेस नहीं पहुंची, उनका तिरस्कार भी हुआ है। मैं बड़ी विनम्रता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि इस आदरणीय सदन के सदस्यों के सम्मान की सुरक्षा का भार माननीय अध्यक्ष वहन करते हैं और करना चाहिये। श्रीमन्, भारत में भारतीय नारी के सम्मान की सुरक्षा के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने यह अपना फैसला दिया है. . .

श्री उपाध्यक्ष--फिर आप विषय के गुण-दोष पर जा रहे हैं। आपने तीन कारण लिख कर दिये हैं, उन्हीं को समझा करके सदन से अनुज्ञा मांगिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा--एक दम तो कह नहीं सकता हूं, श्रीमन्।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)--प्वाइंट आफ आर्डर। यह महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें कि, भविष्य में भी चल कर, यदि आप कोई व्यवस्था दे देते हैं तो वह सहायक प्रतीत होगी। इसमें रूल २७१(२) में यह है। मेरे पास हिन्दी की कापी नहीं है, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं--

"The member in whose name the motion stands may withdraw the motion, but if he does not do so he shall ask for the leave of the House to move the motion. No speech shall be permitted at this stage, but the mover may briefly state the reasons for bringing the motion."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, यह अविश्वास का प्रस्ताव है, इसमें तीन कारण दिये गये हैं। मैं व्यव्यस्था यह चाहता हूं कि रूल २७१ (२) को देखते हुए माननीय सदस्य और भी कारणों को संक्षेप में भाषण न देते हुए माननीय सदस्यों के सम्मुख उपस्थित कर सकते हैं। अतः इसकी व्यवस्था दी जाय कि वह सिर्फ सीमित रहेंगे उन्हीं तीन कारणों पर या उन तीनों करणों के अलावा और भी चीजों के आधार पर ब्रीफ स्टेटमेंट सदन के सम्मुख दे सकते हैं या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--आपकी क्या राय है?

श्री अवधेशप्रतापसिंह--मेरी राय है कि जहां तक यह रूल है, इससे कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि जो कारण रिजोलूशन में आये हैं उन्हीं तीनों के आधार पर वह स्टेटमेंट दे सकते हैं बल्कि और भी रीजन्स हों तो उसके आधार पर वह अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, स्पीच न हो। और, श्रीमन, फिर स्पीच और स्टेटमेंट के बीच में जो डिस्टिंकशन है वह तो मैं समझता हूं कि हर माननीय सदस्य को ज्ञात है। लेकिन यह कह देना या यह प्रतिबन्ध लगा देना कि सिर्फ उन्हीं तीनों पर स्टेटमेंट देंगे, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि माननीय अध्यक्ष के खिलाफ "उनको अपने पद से हटाया जाय" केवल इतना भी प्रस्ताव आ सकता था और उस हालत में नियम २७१ के मुताबिक उनको संक्षेप में कारणों को बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इस परिस्थिति विशेष में माननीय सदस्य ने स्वयं तीन कारण दे रक्खे हैं और एक घटना से उसका संबन्ध है। जहां तक उस घटना से सम्बन्ध है, उस पर वाद--विवाद का अवसर नहीं है। कोई उसके विषय पर उसके गुण-दोष पर नहीं बोलेगा। माननीय अध्यक्ष का जो निर्णय उस दिन हुआ या माननीय राजनारायण जी को स्पष्टीकरण का मौका होना चाहिये, यही आधार हो सकता है जिसमें माननीय अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव आ सकता है। इसीलिये मैंने निवेदन किया कि इन्हीं सीमित कारणों का स्पष्टीकरण करके सदन की अनुज्ञा मांगिये। मैं यह कहने की इजाजत नहीं दूंगा कि माननीय अध्यक्ष ने तीन वर्ष पहले क्या किया या पांच वर्ष पहले क्या किया। एक विशेष परिस्थिति में विशेष कारणों से उन्होंने माननीय अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव सामने रक्खा है। इसीलिये मैंने ऐसा उनसे निवेदन किया।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं?

श्री उपाध्यक्ष--मेरी व्यवस्था पर कोई निवेदन नहीं हो सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैं आपका ध्यान प्रस्ताव के तीसरे कारण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें मैंने असंसदीय, अलोकतान्त्रिक, अमर्यादित तथा सत्य पर पर्दा डालने वाली और पक्षपातपूर्ण, इन पांच बातों का जिक्र किया है। श्रीमन्, इन कारणों पर तो आप हमको इजाजत देंगे कि हम प्रकाश डाल सकें?

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठ जाइये। अभी तो अनुज्ञा आप मांग रहे हैं सदन से। उसके बाद माननीय सदस्य यदि निर्धारित संख्या में खड़े होंगे तो प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा मिलेगी। तब वास्तविक कार्यवाही प्रस्ताव पर होगी। तब विषय के गुणदोष पर वाद-विवाद होने की बात आयेगी। जहां तक सत्य पर पर्दा डालने की बात आती है, इसका सहारा लेकर आप यह चाहें कि सत्य क्या था, इसकी मैं इजाजत इसलिये नहीं दूंगा कि वह मौका जब विवाद होगा, विचार का प्रक्रम आयेगा, तब आयेगा। उस समय काफी तफसील में जाने का मौका मिलेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--ठीक है, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। मैं यह कह रहा था कि जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन के २०० आदरणीय सदस्यों को विश्वास में न लेकर अपनी एकपक्षीय व्यवस्था यहां पर दे दी, उसके कारण सदन के सदस्यों में भारी हलचल मची। मैं सदन के सदस्यों को इस सम्बन्ध में साक्षी बनाना चाहता हूं और

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

निवेदन करूंगा कि सदन के सदस्यों के हृदय में बड़ी ठेस पहुंची है और जो धक्का उनको लगा है उससे अनेक सदस्य उनके सम्मान पर विचलित हो गये। हमें इस सम्बन्ध में यह भी पता चला है कि कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने इस घटना पर व्यवस्था के विरोध में अपना सदस्यता से त्याग-पत्र कांग्रेस संसदीय बोर्ड को दे दिया है। उनके फैसले के एकपक्षीय होने के कारण, सदन के सदस्यों की सम्मान की सुरक्षा के लिये और संसदीय परम्परा के विकास के लिये हम इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव करते हैं।

दूसरी तरफ हमारी एक और मजबूरी है। हम कहां तक बरदाश्त करें, जब अध्यक्ष आसन से पक्षपातपूर्ण व्यवस्था हो तो हम क्या करें? आप देखें कि माननीय राजनारायण जी को अध्यक्ष ने जब सफाई देने से मना किया,वह एक शब्द भी नहीं कह पाये जबकि हरेक आदमी जिस के खिलाफ आरोप हो वह सफाई दे सकता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने राज नारायण जी को उनके विनती, अनुग्रह करने पर भी कि हमको दो शब्द आप कहने दें, आप हमें रास्ता बता दें कि हम कहां जायं--लेकिन इस पर भी उन्होंने कहा कि आप बैठ जायं और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बाहर चले जायं। इस पर राजनारायण जी उठकर सामने तक आ गये, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने फिर भी उनको प्रचारा कि मैं आपको इंगित करता हूं और फिर उन्हें यहां आकर बैठना पड़ा। क्या अध्यक्ष महोदय का ऐसा एकपक्षीय निर्णय, ऐसी व्यवस्था, उनका ऐसा असंसदीय भाषा का प्रयोग सही था? इस पर राजनारायण जी ने कहा कि श्रीमन्, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस पर इस तरह के शब्द कि 'आप अन्यायी हैं, आप गलत काम करते हैं'--कहना किसी अध्यक्ष के लिये शोभा नहीं देते। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक पक्ष से प्रभावित होकर कह रहे हैं और अध्यक्ष के सम्मान व निष्पक्षता की बात उनके सम्मुख नहीं है।

मैं निवेदन करूं कि इन कठिनाइयों के कारण माननीय सदस्यों के हृदय में ठेस पहुंची है और किस तरह से सदन का सम्मान गिरा है इस की बाहर चर्चा है और मेरे पास अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि माननीय अध्यक्ष का यह काम असंसदीय था, अलोकतांत्रिक था, सदन की मर्यादा के विरुद्ध था और इसी कारण मुझे यह प्रस्ताव लाना पड़ा।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मैं कुछ नहीं हूं और लेशमात्र या रंचमात्र भी क्रोध मुझे नहीं है वरन् बात इतनी है कि इस आदरणीय सदन के जिन सदस्यों ने मुझे प्रस्ताव लाने को प्रेरित किया है यदि वे मुझे इसकी अनुज्ञा देने के पक्ष में राय देंगे तो मुझे विश्वास है कि यहां प्रस्ताव पर विचार करने हेतु स्वीकृति फिर आयगी और अच्छी परम्परा कायम होगी। यह एक कठोर कर्त्तव्य है कि इस तरह का प्रस्ताव लाया जाय। कहीं भी इस प्रदेश के या और किसी प्रदेश के अध्यक्ष जब अध्यक्ष पद पर पीठासीन होते हैं तो वह अपने चरित्र को निष्पक्ष रखने की चेष्टा करते हैं। हमें याद है कि आदरणीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने एक बार यहां कहा था कि यदि एक सदस्य भी कहेगा कि मुझे अध्यक्ष की व्यवस्था में विश्वास नहीं है तो मैं स्वयं ही यह पद छोड़ दूंगा और यह नौबत ही नहीं आई कि मुस्लिम लीग को अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने आपको इस बात को कहने के लिये मना किया था.....

श्री रामस्वरूप वर्मा--जब आप बार-बार कहते हैं तो मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से एक ही बात और निवेदन करता हूं कि इन कारणों को देखते हुये इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान की सुरक्षा के लिये, स्वस्थ लोकतंत्रात्मक परम्पराओं के विकास के लिये, संसदीय परम्पराओं की प्रतिष्टा के लिये और सबसे अधिक इस आदरणीय सदन की मर्यादा, गौरव, गरिमा, प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये वे निश्चित रूप से इसको विचार करने की अनुज्ञा देने के पक्ष में अपना मत देंगे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है आप से ।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठिये, अब और किसी भाषण की इजाजत मैं नहीं दूंगा ।

श्री टीकाराम पुजारी---एक छोटा-सा निवेदन है, श्रीमन् । हमको बड़ी परेशानी हो गयी है । बीमारी यह है कि ये नेता हमको तंग करते हैं, न यहां बैठने देते हैं न बाहर बैठने देते हैं । हम गरीबों को यहां भी तंग करते हैं और वहां भी करते हैं । यह कानूनी . . . .

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना स्थान ग्रहण करेंगे । अब जो माननीय सदस्य माननीय रामस्वरूप वर्मा के प्रस्ताव पर अनुज्ञा देना चाहें वे अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(२४ सदस्य खड़े हुये)

केवल २४ सदस्य इस अनुज्ञा के पक्ष में खड़े हुये जबकि नियमानुसार जो सदन की संख्या है उसका पंचमांश होना चाहिये । इसलिये मैं रामस्वरूप जी वर्मा को सूचित करता हूं कि सदन ने इस प्रस्ताव को रखने की अनुज्ञा उनको नहीं दी ।

(इस समय ११ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

(तालियां)

श्री राजनारायण के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से जो प्रस्ताव कल मैंने आपकी सेवा में उपस्थित किया था कि माननीय राजनारायण जी का निलम्बन समाप्त किया जाय, उसके लिये यह उपयुक्त समय समझता हूं और शीघ्र ही उस पर फैसला ले लिया जाय ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, गेंदासिंह जी ने जो कल प्रस्ताव उपस्थित किया था उसका मैंने समर्थन किया था और जो गेंदासिंह जी ने आज बात कही है, मैं समझता हूं वह उचित है और वह किया जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं भी पूरी तरह से समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुये सदन के सभी सदस्यों से आपके द्वारा यह प्रार्थना और अपील करता हूं कि यह प्रस्ताव बिना किसी वाद-विवाद के पास होना चाहिये ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव गेंदासिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं भी इस बात की हार्दिक अपील करता हूं पूरे आदरणीय सदन से कि बिना किसी वाद-विवाद के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय और जो अप्रिय कहानी बहुत दिनों से चल रही है उसको हमेशा के लिये समाप्त कर दिया जाय ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मेरी राय है और मैं बहुत नम्रतापूर्वक इस सदन के माननीय सदस्यों की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनकी और सदन की मर्यादा के अनुकूल होगा कि जो सजा श्री राजनारायण, नेता समाजवादी दल, को दी गयी है वह आज से समाप्त कर दी जाय ।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, जो सजा दी गयी थी उसका प्रस्ताव मैंने पेश किया था और कुछ लोगों का ऐसा खयाल था और अब भी होगा कि मैंने किसी निजी द्वेष के कारण उस प्रस्ताव को पेश किया और शायद और भी कुछ लोगों का जो इस तरफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]
भी बैठे हुये हैं उनका भी ऐसा खयाल हो कि मैंने किसी द्वेष से ऐसा किया है तो मैं उनसे कह सकता हूं कि इसमें द्वेष का कोई सवाल नहीं है। सब यह चाहते हैं कि सदन की एक मर्यादा है, इस सदन के कामों में एक खास डिकोरम, एक शील और एक खास स्तर होना चाहिये, वही विचार प्रस्ताव पेश करते समय मेरा प्रेरक था।

सजा के उठा देने के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्य मुझ से मिले भी थे और मैंने उनसे कहा था कि मुझको कोई द्वेष नहीं है। मैं यही आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव हमने पेश किया है उसके मंजूर हो जाने पर उसका अच्छा प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा और हम सभी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जो भी काम हो राजनीतिक दृष्टि से जो भी वैर-विरोध का प्रदर्शन करें, लेकिन वह हो डिकोरम से, सौजन्य से और शील के साथ ताकि हम प्रदेश की जनता के सामने एक अच्छी मिसाल रख सकें। इसी आशा से मैं भी उस प्रस्ताव के साथ अपनी सहमति प्रकट करता हूं जो अभी यहां रखा गया और मैं भी चाहता हूं कि जो सजा दी गयी है उसकी अवधि समाप्त कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि श्री राजनारायण के निलम्बन का जो समय है वह आज, अभी से, यह प्रस्ताव पारित होने पर, समाप्त कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--- अनुदान संख्या २०---लेखा शीर्षक ३६---वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदान संख्या २० शिक्षा के विषय पर विचार होगा।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---श्रीमन् ....

श्री अध्यक्ष---जरा शांति कायम रखें। शिक्षा का जो अनुदान है उसको हम लोग शांति के साथ सुनें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३६---वैज्ञानिक विभाग और लेखा शीर्षक ३७---शिक्षा के अन्तर्गत १६,२०,०७,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से आज सबसे महत्वपूर्ण विषय पर अनुदान की मांग करने के लिये आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं। कुछ ऐसा संयोग है कि आज ऐसे दिन मुझे इस अनुदान को प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिस दिन इस आदरणीय सदन के सदस्य प्रायः २ घंटे से एक विक्षुब्ध वातावरण के मध्य रहे और मैं आपकी आज्ञा से अपने आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि यह होली का अवसर है और जो होली सो हो ली। अब आप इस तरफ ध्यान दें और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक जिसका कि बड़ा गहरा सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति से, छोटे से लेकर बड़े तक, है, उस विषय पर ध्यान दें और उसी तरफ अपने मन को नियोजित करें।

मान्यवर, इस बजट के सम्बन्ध में हमारे प्रदेश में बड़ी प्रतीक्षा कदाचित् रही है क्योंकि जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने सारे उत्तर प्रदेश के सारे आय-व्ययक को इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया उस दिन उन्होंने अपने भाषण में एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उन्होंने यह घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में डिग्री कालेजेज से लेकर के जूनियर हाई स्कूल तक के जे० टी० सी० के जो अध्यापक हैं उनके वेतन के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करने का सरकार ने

निश्चय किया है और वह उसे करने जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि वह क्रम क्या होगा इस आदरणीय सदन के सम्मुख शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुये रख दिया जायगा। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे प्रदेश में इस एक महीने के बीच में काफी उत्सुकता के साथ इसकी प्रतीक्षा होती रही है क्योंकि वेतन के क्रम का सम्बन्ध प्रदेश में बड़े व्यापक क्षेत्र, अध्यापकों, से रहा है जिन अध्यापकों का सम्बन्ध लाखों विद्यार्थियों से और अपने प्रदेश के करोड़ों नर-नारियों से रहता है। आज इस बजट को प्रस्तुत करते हुये आपकी आज्ञा से उस क्रम को भी मैं उद्घोषित करूंगा। सम्प्रति, मेरी ऐसी प्रार्थना है कि संक्षेप में शिक्षा के विषय में कुछ कहने की आप अनुज्ञा दें और अभी तो करीब १० घंटे इस पर विचार-विमर्श होना है, फिर अन्त में जो कुछ निवेदन करना होगा करूंगा।

एक सदस्य––अपना भाषण समाप्त करने के पहले कुछ तो बता दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी––धैर्य रखिये, बताता हूं। कहा जाता है कि कभी-कभी बहुत जल्दी का काम कोई भले आदमी का नहीं हुआ करता है। मैं केवल दो-तीन बातों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिससे कि जो इस पर वाद-विवाद और विचार-विमर्श होगा उसमें कुछ सहायता मिले।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)––श्रीमन्, बिना मंत्री जी के वह घोषणा किये हुये जिसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा है मैं समझता हूं कि यहां के विवाद का आधार ही नहीं बन पायेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी––मैंने निवेदन किया कि अपने इस भाषण को समाप्त करने के पहले ही उसकी घोषणा कर दूंगा और आपकी आज्ञा होगी तो उस वेतन-क्रम को छपा भी रखा है, हम उसे वितरित भी कर देंगे ताकि माननीय सदस्यों के सम्मुख वह रहे।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जरा धैर्य रखें क्योंकि इन्तजारी में ही मजा रहता है!

श्री गौरीशंकर राय––अब यह मुहब्बत न रह करके भूख हो गयी है इसलिये अधीर हो रहे हैं!!

श्री कमलापति त्रिपाठी––शिक्षा का प्रसार हमारे प्रदेश में पिछले दस वर्षों में तीव्र गति से हुआ है और यह निर्विवाद सत्य है कि किसी भी देश का नियोजित विकास, उसकी प्रगति, उसका उत्थान एक ही आधार पर हो सकता है और वह यह कि जो मनुष्य है उसके जीवन का निर्माण किया जाय। किसी भी आर्थिक या भौतिक उन्नति का लाभ मनुष्य तभी उठा सकता है जब हमारे मनुष्य का भी संस्कार हो और उसकी भी रचना हो सके, उसका भी निर्माण हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कार्य का सबसे बड़ा साधन और स्रोत शिक्षा ही है। हमारे उत्तर प्रदेश में जहां हजारों वर्षों की उसकी संस्कृति और शिक्षा का इतिहास है पराधीनता के काल में जैसा चौमुखी अधःपतन हुआ शिक्षा का भी अधःपतन हुआ। पिछले दस वर्षों में हमारी शिक्षा में बड़ी प्रगति हुई है। प्रगति के कुछ आंकड़े इस समय मैं देना चाहता हूं। १९४६–४७ में हमारे प्राइमरी स्कूलों में जो विद्यार्थियों की संख्या थी उससे आज १०२ प्रतिशत बढ़ी है, अध्यापकों की संख्या १०१प्रतिशत बढ़ी है और स्कूलों की संख्या ७५ प्रतिशत बढ़ी है। ऐसे ही जूनियर हाई स्कूलों में ८४ प्रतिशत बढ़ी है, अध्यापकों की ८६ प्रतिशत बढ़ी है और विद्यालयों की ११५ प्रतिशत बढ़ी है। हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो संख्या बढ़ी है वह देखने योग्य है। विद्यार्थियों की संख्या २५६ प्रतिशत बढ़ी है, अध्यापकों की २३४ प्रतिशत बढ़ी है, और विद्यालयों की २११ प्रतिशत बढ़ी है। ऐसे ही डिग्री कालेजेज के सम्बन्ध में ध्यान दें तो मालूम होगा कि डिग्री कालेजेज के विद्यार्थियों की संख्या आज

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

६० हजार के करीब पहुंच गई है, अध्यापकों की संख्या ४ हजार तक पहुंच गई है और यूनिवर्सिटीज में दस वर्ष पूर्व जहां १० हजार विद्यार्थी थे वहां आज ३० हजार से अधिक हैं। खर्चा भी उस समय ३० लाख होता था जो अब करीब ५२ लाख होता है ।

हमारे प्लान के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पर ५६.१ प्रतिशत खर्चा हो रहा है, माध्यमिक शिक्षा पर २५.६ प्रतिशत, विश्वविद्यालयों पर १०.७ प्रतिशत तथा अन्य शैक्षिक योजनाओं पर २.९ प्रतिशत और हमारा साधारण तथा प्लान का सारा रुपया देखें तो ऐसा लगता है कि प्राइमरी पर ४६ प्रतिशत, सेकेंडरी पर २१.६३ प्रतिशत तथा डिग्री कालेजेज और यूनिवर्सिटीज पर ९.२४ प्रतिशत और जितनी हमारी शैक्षिक योजनायें हैं उन पर २० प्रतिशत खर्च हो रहा है। मान्यवर, यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि सारे विभाग का जो खर्चा है वह केवल ३ प्रतिशत है, हमारे सारे बजट का। इसके माने यह हैं कि हमारे बजट का ९७ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है और ३ प्रतिशत विभाग पर खर्चा होता है ।

हमारे प्रदेश में आज शिक्षा की व्यवस्था केवल शिक्षा विभाग के साथ ही नहीं है बल्कि कुछ शिक्षायें विभिन्न विभाग के साथ चलती हैं जैसे कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा। यदि इनका खर्च भी जोड़ लिया जाय तो टोटल रेवेन्यू का १८ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो रहा है जबकि इससे दस वर्ष पूर्व केवल १० प्रतिशत था। यह संक्षेप में, शिक्षा के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है और विकास हुआ है, उसकी ओर ध्यान दिलाने की चेष्टा की गई है ।

इस बात में सन्देह नहीं है कि हमारे यहां बालिकाओं की शिक्षा में कमी रही है यद्यपि इसमें काफी प्रगति हुई है और लड़कियों की शिक्षा दस वर्ष में ३०० प्रतिशत बढ़ी है प्राइमरी में। इस समय ६ लाख बालिकायें प्राइमरी स्कूलो में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और ४०० प्रतिशत हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ती हैं । पहले २३ हजार थीं जो अब १ लाख ८ हजार हो गई है। इसी तरह से डिग्री कालेजेज में ४०० प्रतिशत तादाद बढ़ी है। पहले १५०० बालिकायें थीं अब ६ हजार शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। फिर भी हमारे लिये खेद की बात है कि बावजूद इन तमाम प्रगति के हमारे प्रदेश में ओवरआल लें तो हमारे बालकों की शिक्षा आज हमारी तमाम आबादी के मुकाबले में २०.५ से अधिक नहीं है और बालिकाओं की केवल ३.८ है। दस वर्षों में इस विस्तार के बावजूद, जैसा कि बजट के आंकड़ों से भी आप देखें १९४६-४७ में केवल ३ करोड़ २३ लाख रुपये का शिक्षा का बजट था और आज १६ करोड़ २० लाख का बजट है। बावजूद इसके बालकों की संख्या २०.८ और बालिकाओं की ३.८ है जो हमारे लिए संतोष की बात नहीं हो सकती है न इस पर प्रसन्नता हो सकती है क्योंकि शिक्षा का प्रसार जनतांत्रिक युग में आवश्यक ही है। इस देश के गौरव के अनुकूल, जिसकी शिक्षा और संस्कृति में इतनी महानता रही है, यह अनुपात प्रसन्नता का विषय नहीं है। इसमें और वृद्धि की आवश्यकता है। आज प्राइमरी की शिक्षा भी ३३ फीसदी से ज्यादा नहीं है। हमारे बच्चों के स्कूलों की संख्या ३५ हजार के ऊपर है और ८५ हजार के करीब अध्यापक हैं। इनमें ३५ लाख बच्चे पढ़ते हैं। काफी संख्या है। फिर भी बच्चों का प्रतिशत ३३ फीसदी से अधिक नहीं है। यह भी देख कर हमें दुख होता है। वैसे संख्या ३५ लाख काफी है, लेकिन जो हमारी आबादी है उसके अनुपात में हमारा प्रदेश कुछ प्रदेशों की अपेक्षा पीछे है। यह जन-संख्या में भारतवर्ष का सब से बड़ा प्रदेश है और वह प्रगतिशील होने का भी दावा करता है, यह अनुपात उसके लिये दुख की बात है। इस दिशा में भी हमको आगे बढ़ना है।

मान्यवर, जो काम हम आगे करना चाहते हैं उसके विषय में कोई लम्बा चौड़ा व्याख्यात्मक भाषण नहीं करना है। यदि आवश्यक हुआ तो कल, विचार-विमर्श के उत्तर में प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। हमें बाध्य हो कर द्वितीय पचवर्षीय योजना में कमी करनी पड़ी। सारे प्लान में कट हुआ है। देश में जितना बड़ा प्लान बनाया उतने साधन एकत्र करने में कठिनाइयां पड़ीं। उसका प्रयास हो रहा है। सम्भव हो रहा है कि जो काम आज हो रहा है अगले वर्ष में पूरा हो सके। हमारा ३० करोड़ का प्लान था, वह कुछ घटाया गया फिर भी जिन कामों

को हमने प्रारम्भ किया था उनमें किसी प्रकार की विशेष कमी न आने पाये यह प्रयास किया जाता रहा है। हमारे प्रदेश की शिक्षा में सभी स्तरों में सुधार करने के लिये इस आदरणीय सदन ने भी कृपा कर के उसमें सहायता दी और बहुत से कानून भी यहां पारित हुए। यूनिवर्सिटियों के विषय में, प्रायः सभी युनिवर्सिटियों के विधान में परिवर्तन हुए हैं। सदन ने उस पर विचार किया है और एक बहुत बड़ी बात जो हुई सदन की अनुकम्पा से वह है इंटरमीडिएट एजूकेशन (एमेन्डमेन्ट) बिल का पास होना। वह ऐक्ट बन रहा है। सैनिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी यहां से विधेयक पारित हुआ है और इस बात की चेष्टा की गई है कि उन्हें हम कार्यान्वित करने में पूरी शक्ति से लग जायं। जैसा कि माननीय सदस्यों को पूरी तरह से ज्ञात है, हमारा इंटरमीडियेट एजूकेशन बिल जो ऐक्ट के रूप में हो गया वह लागू हो गया है, इनफोर्स कर दिया गया है। उसके बहुत से अंशों को। केवल वही अंश बाकी रह गये हैं कि जिस अंश के लिये रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है और रेगुलेशन बनाने की बहुत तेजी के साथ चेष्टा की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही उसके रेगुलेशन बन कर सदन के सामने आ जायंगे। जितने लागू किये जा सकते थे वे लागू कर दिये गये हैं। उस बिल के बनाने का, ऐक्ट बनाने का जिसका परिणाम प्रदेश की शिक्षा पर कम से कम हायर सेकंडरी एजूकेशन पर अच्छा प्रभाव होना चाहिए। ऐसा बहुत दिनों से खयाल था और सरकार इस बात को स्वीकार करती रही है कि हायर सेकेंडरी स्तर को ठीक करने के लिये और वही क्या कोई भी जो शिक्षा का क्रम हो उस के स्तर को ऊंचा करने के लिए, उसे प्रशस्त बनाने के लिये और उस सारी शिक्षा की व्यवस्था में एक नये प्राण का संचार करने के लिये यह आवश्यक है कि अध्यापकों का स्थान जो होना चाहिये सारे सोपान में उसे हम दृढ़ बनावें और उन्हें समाज की सारी परम्परा में और व्यवस्था में वह स्थान प्राप्त हो जो उनका एक स्वाभाविक स्थान है और जो उन्हें मिलना चाहिये।

हमारे बहुत से हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं। उनकी व्यवस्था और दुर्व्यवस्था के संबंध में इस समय मुझे कुछ कहना नहीं है। इस विषय पर एक विधेयक बना, अधिनियम बना है जिससे हमारे अध्यापकों की सेवा में सुविधा प्राप्त हो, उनकी नियुक्ति इत्यादि, उनके अनुशासन संबंधी इन सब विषयों में भी कोई एक व्यवस्था आये। उनके वेतन इत्यादि के संबंध में एक व्यवस्था आये और एक अच्छे ढंग से उसका संचालन हो सके। वह बन कर लागू हो गया है और मैं आशा करता हूं कि उसका अच्छा प्रभाव प्रदेश की शिक्षा के ऊपर पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा सारे शिक्षा के क्रम में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रारम्भिक का तो है ही। अब तो प्राग प्रारम्भिक का भी बड़ा महत्व है। उसे समुन्नत करने के विचार से अध्यापकों के वेतन-क्रम के सम्बन्ध में सरकार की ओर से बार-बार कहा जाता रहा है कि हम अपने उन अध्यापकों के वेतन-क्रम को कुछ पुनः संशोधित करें और ऐसा क्रम बनावें जिससे कि हम अध्यापकों को कुछ आश्वस्त कर सकें। कानून के द्वारा जो उन्हें सुविधा प्राप्त हो रही है वह हो ही, समाज के दृष्टिकोण को प्रभावित कर के जो आदर उनको मिल सकता है वह हो ही। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से उन्हें कुछ ऐसा आश्वस्त किया जाय कि उनकी समझ में कुछ यह आये कि सरकार की भी और जनता की भी दृष्टि इस तरफ है और वह आश्वस्त हो कर देश के सबसे महत्वपूर्ण अंग जो शिक्षा का है उसमें अपना समय दे सकें। बार बार इस विषय पर यहां भी चर्चा हुई है और सरकार ने सदा ही अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की है।

हमने जो क्रम का निर्धारण किया है उस क्रम को, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, जहां तक डिग्री कालेज का संबंध है, हमारे यहां डिग्री कालेज दो प्रकार के हैं। एक तो डिग्री कालेज है न० १ जहां केवल बी० ए० तक की पढ़ाई होती है और दूसरा है न० २ जहां पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा मिलती है एम० ए० में पढ़ाई होती है और रिसर्च इत्यादि होती है। तो प्रथम न० १ के डिग्री कालेज, जिसमें कि बी० ए० तक की पढ़ाई होती है, जो वेतन-क्रम रखा गया है वह है ६५०–४०–८५०–द० रो०–

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

५०–९०० । वह आप नोट क्यों करें ? मैं अभी उसको बटवा दूंगा । हमने इसे छपवा रखा है और अध्यक्ष जी की आज्ञा से अभी मैं उसे वितरित भी करा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज है उनका क्रम है ८००–५०–१,०००–द० रो०–५०–१२०० । यह प्रिंसिपल्स का है, विभागाध्यक्ष का है । डिग्री कालेज नम्बर १ में ३००–२०–५००–द० रो०–२५–६०० । डिग्री कालेज नम्बर २ में ३५०–२०–५५०–द० रो०–२५–६५०–द० रो०–३०–८०० । सीनियर टीचर्स का नम्बर १ में है---२७५–१५–४१०–द० रो०–२०–५५० और पोस्ट ग्रेज्युएट डिग्री कालेज में ३२५–२०–५२५–द० रो०–२५–६२५ । कहीं-कहीं जूनियर टीचर्स भी होते हैं । उनका है–२२५–१५–३६० – द० रो० –१५–४५० । पोस्ट ग्रेज्युएट डिग्री कालेज में २५०–१५–४००–द० रो०–२०–५०० । इंटरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल का २५०–२५–४७५–द० रो०–३०–६२५– ५०–६७५ । हेड मास्टर हाई स्कूल का २२५–१५–३४५–द० रो०–२०–४२५ । जो सहायक अध्यापक होते हैं इंटरमीडियेट कालेज के उनका १७५–१०–२१५–द० रो० १५–३५० , ट्रेंड ग्रेज्युएट का १२०–६–१६८ – द० रो० –९– २४०–द० रो०–१०–३०० । ट्रेंड अण्डर ग्रेज्युएट का ७५–५–११०– द० रो० –६– १४०–द० रो० –७–१६८–द० रो०–८–२०० । जे० टी० सी० का ६०–३–९०– द० रो०–५–१२० । तो यह क्रम वेतन का डिग्री कालेज से लेकर जे० टी० सी० तक का निर्धारित हुआ है और अभी कदाचित जब मैं बैठूंगा तो उसे बांट दिया जायगा ।

एक सदस्य---प्राइमरी स्कूल का ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्राइमरी टीचर्स के बारे में इस वर्ष ढाई रुपया उनके वेतन के भत्ते में वृद्धि की गई है और अभी वह अध्यापक जिनका कि वेतन १०० से २०० के बीच में है ५ रुपया उनके वेतन के भत्ते में वृद्धि हुई है । पिछले पांच चार वर्षों के बीच में प्राइमरी टीचर्स के वेतन में हमने कई बार वृद्धि की है । एक तो ६ रुपये का डी० ए० उनके ग्रेड में शामिल किया । फिर पिछले साल में ५ रुपये उन्हें और भत्ते में दिया गया । इस साल ढाई रुपया और दिया गया । इस प्रकार उनका वेतन-क्रम करीब-करीब साढ़े ४८ अब तक पहुंच चुका है । इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से उन्हें भत्ता मिलता रहता है वह भत्ता भी उन्हें मिलता रहेगा । प्राइमरी टीचर्स की तादाद भी हमारे यहां करीब-करीब ८५ हजार है और उनकी संख्या में दिन प्रति दिन और वृद्धि होना भी अनिवार्य है । इस वर्ष ही जो ढाई रुपया और ५ रु० की वृद्धि की गई है उससे अन्दाज ऐसा लगता है कि अन्दाज क्या वह तो जोड़ा जाड़ा ही गया है, केवल इतने से ही करीब २४ लाख की वृद्धि उनके वेतन में होगी । उनका ऐसा खयाल था कि ५० रुपया उनका प्रारम्भिक वेतन हो जाना चाहिये और बराबर हम इस बात को कहते भी रहे हैं कि उनका प्रारम्भिक वेतन ५० रुपया हो जाय । इस वर्ष भी इस दिशा में वृद्धि हुई है और इस प्रकार साढ़े ४८ तक उनका प्रारम्भिक वेतन पहुंच चुका है, यद्यपि इतनी वृद्धि का जो सरकार पर भार पड़ता है वह प्रत्यक्ष है । आज जो यह वेतन-क्रम दिया जा रहा है, मैं बड़ी नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इस उत्तर प्रदेशीय सरकार का यह बड़े भारी साहस का काम है और उसकी इस भावना का परिणाम है कि वह अध्यापकों के प्रति आदर और सम्मान रखे और यह चाहती है कि उनका स्थान स्थिर हो । आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कुछ समय पूर्व हमारे विश्वविद्यालयों के वेतनक्रम को निर्धारित किया । वे ऐसे वेतन-क्रम हैं जो कदाचित भारतवर्ष के किसी प्रदेश में नहीं है । उस वेतन-क्रम को लेकर उसके लिये तमाम विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में परिवर्तन किया गया है । इससे बहुत बड़ा सन्तोष विश्वविद्यालय के अध्यापकों को हुआ है । आज उसके समस्त स्तर में इस प्रकार की वृद्धि, यह

जानते हुये कि इसका बहुत बड़ा भार उत्तर प्रदेश की सरकार के कोष पर पड़ने वाला है, इस दृष्टि से कि इस शिक्षा का स्थान मनुष्य के जीवन में सर्वोत्कृष्ट होता है, करने का साहस किया है कि इस वेतन-क्रम को निर्धारित करे और तद्नुसार जो कुछ भी भार पड़ता हो उसको उठाने के लिये तैयार है।

मान्यवर, एक सूचना यह देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर दी जाय इस का प्रयास आज १० वर्ष से होता रहा है। उस काल से उसका प्रयास होता रहा है जब यह शिक्षा विभाग हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी के हाथ में रहा और बड़ी तीव्र गति से प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार को बढ़ाने की चेष्टा प्रारम्भ हुई। प्रायः एक बहुत बड़ा कदम इस तरफ बढ़ा और वह क्रिया चली बावजूद इसके, जैसा कि मैंने निवेदन किया, कि आज हमारे ३५ फीसदी बालक हमारे यहां प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह मानी हुई बात है और संविधान के डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में यह लिखा हुआ है कि संविधान बनने के बाद १० वर्ष के अन्दर हमारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर दी जाय। यह डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में लिखा हुआ है। सन् १९६० वह सन् था; आपके उस संविधान के डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स के मुताबिक सारे देश में सन् ६० तक प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो जाती परन्तु जैसा कि अभी आप को पता होगा कि भारत सरकार ने देश के साधनों की सीमा को देखते हुये, जो भार बढ़ रहा है उसको देखते हुये यह निश्चय किया है कि यह ६० की मियाद बढ़ाई जाय और उन्होंने ६ वर्ष उसमें और बढ़ा दिया और उसको ६६ कर दिया। तब तक इस बात की कोशिश की जाय कि हमारे देश और सभी प्रदेशों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो जाय क्योंकि शिक्षा को यूनिवर्सल बनाने के लिये प्रारम्भ से शुरू करना होगा। उनके लिये ६ वर्ष की मियाद बढ़ाई गई। हमारे यहां इसका प्रयास पहले ही प्रारम्भ हो गया था।

अभी आदरणीय सदन के सदस्यों को ज्ञात होगा कि प्रधान मंत्री का एक व्याख्यान छपा था जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बड़ी एम्बीशस स्कीम बना रखी है कि ६६ तक प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर दे फिर भी सन्देह है कि इस काम के भार को वहन कर सकेंगे या नहीं। २,३ दिन हुये यह भाषण उनका छपा था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के किसी भाषण की रिपोर्ट भी निकली थी जिससे पता लगा कि देश भर में प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिये जो योजना उन्होंने बना रखी है वह ३०० करोड़ की है। सभी स्टेट्स से उन्होंने पूछा भी था कि प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने में क्या खर्च पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से जो स्कीम उनके पास भेजी गई है वह आती है क़रीब ८१ करोड़ के। उसमें एक बहुत बड़ा परिमाण है अनावर्त्तक खर्च का। प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जन-संख्या के आधार पर पीछे है ही। हम स्वयं इस भार को उठाने में सर्वथा असमर्थ हैं और भारत सरकार से आग्रह कर रखा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में यदि यह रखा जाय तो उत्तर प्रदेश की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। सम्प्रति यह उसका स्वरूप है। सन् ६० तक हम इस चीज़ को नहीं कर सके तो आगामी तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसे यथासम्भव पूरा करने की चेष्टा होनी ही चाहिये। हमारे यहां प्रारम्भिक शिक्षा दर्जा ५ तक पूरी शिक्षा निःशुल्क है। हां, अनिवार्य हम नहीं कर सके। अनिवार्य करें तो बालक बालिकाओं की संख्या १ करोड़ से ऊपर होगी। इसे हम ५,६ वर्ष में करने की उम्मीद करते हैं। डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यह है कि ६ वर्ष से १४ वर्ष तक लिखा है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय। इसके माने हैं कि दर्जा ८ तक की हुई। पर भारत सरकार ने ११ वर्ष से १४ वर्ष तक की बात को छोड़ते हुये ६ से ११ वर्ष तक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने के विचार में भी ६ वर्ष की मियाद बढ़ाई है। ११ से १४ तक के प्रश्न को छोड़ कर भी ६ से ११ तक के प्रश्न को भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

के अन्त तक रखने की बात सोची है। इस स्थिति में हमारा प्रदेश अपनी दिशा में अग्रसर हो रहा है और काम करता चला जा रहा है। जैसा मैंने निवेदन किया, आज हमारे बजट का १८ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो रहा है, एजूकेशन विभाग पर १३ और ४, ५ प्रतिशत दूसरे विभागों पर, जो शिक्षा संबंधी काम कर रहे हैं।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---मैं दर्जा ६ के बारे में जानना चाहता हूं जिसकी निःशुल्क कर दी गई थी।

श्री कमलापति त्रिपाठी---दर्जा ५ तक की फ़ीस सरकारी कोष से उन स्कूलों को रिइम्बर्स होती है अनुदान के रूप में।

श्री अध्यक्ष---वह दर्जा ६ के लिये जानना चाहते हैं कि क्या कभी आपने यहां कहा कि उसकी भी फीस माफ़ कर दी जायगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी---दर्जा ६ की फ़ीस अभी तक माफ़ चली आ रही है। दो दिन बहस चलेगी उसमें ये सब बातें आ सकती हैं। अब दर्जा ६ के लिये यह प्रश्न सरकार के सामने है कि क्या इस क्लास की फ़ीस-माफ़ी हम अगली जुलाई से वापिस ले लें। आज दर्जा ६ से ११ तक का प्रश्न भारत सरकार ने भी बालाये ताक़ कर रखा है। सन् ६६ तक वह दर्जा ५ तक ही अनिवार्य कर सके और उसमें हमें सहायता दे सके तो यह बड़ी बात है। दर्जा ५ के ऊपर अभी उनका कोई दृष्टिकोण साफ नहीं है। हमारी सरकार ने आज के २ वर्ष पूर्व दर्जा ६ की फ़ीस माफ़ की थी। दर्जा ७ और ८ की फ़ीस-माफ़ी का प्रश्न हमारे सामने उठता दिखाई नहीं देता है, २, ४, ५ वर्ष तक। डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में भी घोषणा कर के हम ६ वर्ष की मियाद ले रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो हम उसे पहले भी करेंगे। लेकिन जब दर्जा ६, ७ और ८ की फ़ीस का कोई प्रश्न भारत सरकार की भी दृष्टि में नहीं है और दर्जा ६ की माफ़ करने के बाद जब हम ७ और ८ दर्जों के बच्चों से वसूल करते हैं तो जूनियर के ब्लाक को हम निःशुल्क बना भी नहीं पाते हैं। साथ ही साथ अध्यापकों का वेतन भी सुधारना अत्यन्त आवश्यक है, इस दृष्टि से कि हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। इस पर अन्तिम निर्णय सरकार लेगी और इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी सरकार की और सब की पूरी ख़्वाहिश इस बात की है कि हम जहां तक शिक्षा को निःशुल्क कर सकते हों करें। हमारा इरादा तो दर्जा ७ और ८ को भी करने का था। पर इस भार को उठाना पड़ता है इस प्रदेश की जनता को और सार्वजनिक कोष को। यदि नहीं उठा सकते हैं तो लाचारी है। हम उसी गति से चल सकेंगे जिससे चलने की हममें क्षमता है और यही सम्भव भी है। इसी में प्रदेश का कल्याण है।

फीस की माफी के बारे में मैं अधिक इस समय नहीं कहना चाहता क्योंकि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दर्जा ७ और ८ की फीस-माफी का प्रश्न आज नहीं उठता है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक शिक्षा निःशुल्क हो। हमारी इच्छा यह है और रहेगी। यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं। हम चाहते हैं कि अगर क्षमता के बाहर जाकर भी सम्भव हो तो हम पूरी सुविधायें प्रदान करें ताकि शिक्षा का हमारे प्रदेश में प्रसार हो।

एक दो बातें और निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारा इरादा यह है कि हम सारी माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के लगाव तथा खास कर इंटरमीडियेट एजूकेशन की जो व्यवस्था है, उसके संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करें और उसके संबंध में एक व्यापक कानून ले आने की व्यवस्था करें जिसके द्वारा उसकी व्यवस्था, आकार, स्वरूप और उसकी जो प्रणाली है, प्रकार है, उसमें आज के युग के अनुसार परिवर्तन हो। किन्तु यह काम आसान नहीं है। अतः इसके लिये अगले वर्ष चेष्टा की जायगी, ऐसा निश्चय किया है। इन शब्दों

के साथ शिक्षा का यह अनुदान स्वीकार करने की प्रार्थना और मांग आपकी आज्ञा से, मान्यवर, सदन के सम्मुख है और उसके द्वारा जो प्रदेश की प्रगति हुई है वह हमारे सामने है। हमारी जो कमियां और आवश्यकतायें हैं वे ऐसी नहीं हैं जिनका हमको और आपको ज्ञान न हो। हमारी और आपकी सदैव यह इच्छा रही है कि उन कमियों को पूरा करें क्योंकि शिक्षा जीवन का ऐसा अंग है जिसके संबंध में कोई व्याख्या या तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सदैव से उस दिशा में प्रगति करता चला गया है, इस बोझ को अपने ऊपर उठा रहा है, जो उसका कर्त्तव्य है, धर्म है, तथा भविष्य में उठाने की कोशिश करता रहेगा। हमारे यहां शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या बढ़ी है। यह जो नया वेतन-क्रम अपनी शक्ति से बाहर भी जाकर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उद्घोषित किया है, वह इस आशा और विश्वास के साथ किया है कि इससे हमारे शिक्षा के स्तर में उन्नति आयेगी। सन् १९४७ के बाद आज तक अध्यापकों के वेतनक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

आज १२ वर्ष के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इस आशा से और इस विश्वास से, इस अनुरोध और प्रार्थना को लेकर, कि हमारे अध्यापकों पर समाज की शिक्षा का जो बड़ा भारी उत्तरदायित्व आ गया है, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगायेंगे। जो कुछ भी उनके साधन हैं, कमियां हैं, उन साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने की चेष्टा करेंगे और हमारे देश और प्रदेश का जैसा गौरव रहा है, उसके अनुकूल ही उनको बनाने में सफल होंगे। इस आशा के साथ मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस अनुदान को वह स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)---आपकी आज्ञा से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य कट मोशन्स के प्रस्ताव प्रस्तुत करें उनको ४० मिनट और जो बाद में भाषण करें, उनको १२ मिनट का समय दिया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, कट मोशन पेश करने वाले को पहले ३० मिनट और बाद में १० मिनट दिये जायं। इस प्रकार से ४० मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

(किसी को कोई आपत्ति न होने पर)

श्री रामायण राय अपना कट मोशन प्रस्तुत करें।

***श्री रामायणराय** (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत १९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदान संख्या २०–लेखा शीर्षक ३६---वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा का जो प्रस्ताव है, उसके संबंध में मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। विश्वविद्यालय संबंधी सरकारी नीति तथा उनके कार्य में हस्तक्षेप का किया जाना उचित नहीं है। माध्यमिक पाठशालाओं की दशा खराब होना। प्राइमरी पाठशालाओं की दशा में सुधार की आवश्यकता है।

(इस समय १२ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

मान्यवर, एक विचित्र स्थिति में मुझे आज कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ा है। मुझे तो यह आशा थी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने भाषण में कुछ ऐसी घोषणा करेंगे जिनकी हम तथा वे गरीब अध्यापक, असहाय और बेकारी तथा भुखमरी के शिकार अध्यापक, बहुत अरसे से आशा लगाये थे कि उनकी आशा पूरी होगी और हमारे लिये यह भी संभव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

हो सकेगा कि हम माननीय मंत्री जी को इस कार्य के लिय बधाई द, धन्यबाद दे सकें जो उन्होंने काम किया है। लेकिन मेरी हालत इस समय ठीक वैसी ही हो रही है जैसी कि किसी आदमी की बहुत दिनों की मुराद पूरी हो, लड़का पैदा हो, लेकिन उसकी मां मर जाय। ठीक ऐसी ही असमंजस की स्थिति में मुझे यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी ने इधर के सदस्यों के बार-बार टोकने पर जो असली बात थी उसे अपनी वाक्चातुरी से, इधर-उधर के सदन के सदस्यों की दृष्टि में वह बात न आ सके, बहुत सफाई से वह नहीं कहना चाहते थे कि क्या होने जा रहा है, इसकी उन्होंने चेष्टा की। प्रारम्भ में उन्होंने यह कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले सालों में हमने बड़ी प्रगति की है। उन्होंने बतलाया कि पहले पाठशालाओं की संख्या कितनी थी और अब कितनी हो गयी, प्रारम्भ में अध्यापकों की संख्या इतनी थी और अब इतनी हो गयी, और इसके साथ ही साथ उन्होंने अध्यापकों के वेतन मान को भी हमारे समक्ष रखा। सुना था मैंने कि कोई भी एसा देश जो अपनी रचना करना चाहता है नए आदर्श के अनुकूल, उस देश की शिक्षा व्यवस्था का आदर्श होता है "प्रोब्लम आफ प्राइमरी एजूकेशन इज प्राइमरी" (Problem of primary education is primary)। ऐसा कहा करते हैं वे लोग कि जो बुनियादी शिक्षा है उस शिक्षा को इतनी सुदृढ़ भूमि देते हैं जिस भूमि पर खड़ा होकर कोई जन-समाज, नए समाज की ओर निरन्तर अग्रसर होता जाता है। लेकिन बड़ी निराशा हुई कि प्रारम्भ में उन्होंने डिग्री कालेज से शुरू किया और चलते चलते जे० टी० सी० तक आये और अन्त में जब इधर से बहुत पूछा गया तो उन्होंने धीमे से यह कहा कि ढाई रुपया प्राइमरी स्कूल के मास्टरों का भी हमने बढ़ा दिया है। मैं तो चाहता था और मैं इस विश्वास का हूं कि अगर सचमुच इसमें आपको यकीन है और आप देश को बनाना चाहते हैं जैसा कि आप रोज कहा करते हैं, योजना की चर्चा होती है, तो आपकी योजना में, पहली ही पंचवर्षीय योजना में, शिक्षा के ऊपर जो भी धन खर्च होने वाला था उसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा बुनियादी तालीम पर खर्च किया जाता। और हमारे सामने तफसील से यह बात रखी जाती कि आखिर जो पहला प्रयास हमने पहले कदम पर किया उसके क्या नतीजे निकले, क्या कठिनाइयां हमारे सामने आयीं। और ऐसे ही क्रमशः हम ऊपर जाते। तो मैं समझता हूं कि आज की स्थिति न होती।

आज हमको यह जरूर कहा जाता है कि पहला जो बजट था, जिसकी चर्चा मंत्री जी ने की, उसको बढ़ा दिया। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो वृद्धि हो रही है इस वृद्धि का कोई वैज्ञानिक आधार भी है। पिछले वर्ष भी मैंने कहा, कम से कम और क्षेत्रों की बात जाने दीजिये, शिक्षा के क्षेत्र में जब वृद्धि करनी है तो उसका कोई सिद्धांत और आधार होना चाहिये। मेरा अभिप्राय यह है कि कितने अध्यापक हों, कितने विद्यार्थी हों, उनके पठन पाठन के लिये कितनी पाठशालायें हों, इस बात का कोई औसत होना चाहिये आपके सामने। यह शिक्षा विभाग की तरफ से पुस्तिका दी गई है। इसमें १९४६ में १९,००,००० छात्र थे, वे १९५६-५७ में ४२,००,००० हो गये। अध्यापक १९४६ में १,००,००० थे, उनकी संख्या १,३४,००० हो गई। तो विद्यार्थी १९,००,००० से ४२,००,००० हो गये लेकिन अध्यापकों की संख्या का जो औसत है उसकी वृद्धि को देखिये १,००,००० से १,३४,००० हो गये। शिक्षा संस्थाओं के बारे में ठीक वही बात है। जो शिक्षा संस्थायें २४,७९३ थी उनमें वृद्धि हो गई और वे ४१,३४७ हो गईं। तो सब कुछ बढ़ा, विद्यार्थी बढ़े, शिक्षा संस्थायें बढ़ीं, लेकिन रेशियो क्या? पहले संबंध जो था वह लगभग १ और २, का था, छात्रों के बीच में एक अध्यापक लगभग २० विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। यह अब बढ़ करके १ और ४० हो गया और रोज रोज अनुशासनहीनता का हवाला दिया जाता है कि छात्र अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। जहां तक शिक्षा संस्थाओं की वृद्धि का प्रश्न है, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में उन्हें खुले दिल से देश के उन लोगों को धन्यबाद देना चाहिये जिन लोगों ने, गैरसरकारी लोगों ने, अपने अथक परिश्रम

से भीख मांग कर, नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके इन शिक्षा संस्थाओं की संख्या को बढ़ाया। इस वृद्धि में सरकार का कितना अंश है, उन्हें बताना चाहिये।

सभी को मालूम है कि जहां तक सरकारी स्कूलों का ताल्लुक है, अगर अंग्रेजों के समय में एक सरकारी स्कूल रहा होगा तो आज भी एक ही है। हां, देश के कुछ ऐसे लोगों ने जो समाज सेवा करना चाहते थे उन्होंने निर्माण के काल में अपने समय का बहुत कीमती हिस्सा लगा कर शिक्षा संस्थाओं की वृद्धि की है। लेकिन इसके लिये सरकार को अपनी पीठ नहीं ठोकनी चाहिये। सरकार की जो हकीकत है उसको भी आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज स्थित क्या है? पहले दरजे के कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, उनसे मेरी बात अधिक स्पष्ट हो जायगी। पहले दर्जे में विद्यार्थी हैं १३,४७,७५४ के करीब। वही विद्यार्थी जब दूसरे में पहुंचते हैं तो उनकी तादाद घट कर ७ लाख हो जाती है। १३ लाख से ७ लाख। जब तीसरे में पहुंचते हैं तो ५ लाख के लगभग रह जाती है। जब चौथे में पहुंचते हैं---एक बहुत बड़े प्रश्न की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। संभव है श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी जैसे पंडित लोग भी इससे कुछ ऐसा नतीजा निकाल सकें जिससे विद्यार्थियों का कुछ भला हो सके। जिन विद्यार्थियों को कुछ कारणों से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, अगर वह अपने दिल को टटोलेंगे तो समझेंगे कि वह सारे कारण उनकी जिम्मेदारी की वजह से पैदा हुये हैं। तो चौथे में जब पहुंचते हैं तो ४ लाख उनकी संख्या रह जाती है। पांचवे दर्जे में, जिसकी चर्चा हुई कि हमने अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कर रक्खी है, उसमें ३ लाख के लगभग संख्या रह जाती है। तो १३ लाख से ३ लाख संख्या हो गई। एक-चौथाई विद्यार्थी भी पांचवें दर्जे तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके कारण पर जरा गहराई से सोचना चाहिये। जो लोग अपनी पीठ ठोंक रहे हैं, आज यह समझ रहे हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में इनकलाब कर दिया, उनको इस ओर देखने की चेष्टा करनी चाहिये।

ऊपर की बात पूछी गई। मैं आपको बता दूं। इन्हीं विद्यार्थियों की संख्या हायर सेकेंड्री स्टेज तक पहुंचते-पहुंचते ३९ हजार रह जाती है। तो ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों से आपको कुछ नतीजा निकालना चाहिये। आपको कोई एक ऐसी कमेटी नियुक्त करनी चाहिये इसके लिये कि पता लगाया जाय कि आखिर क्या कारण है कि पहले दर्जे में १३ लाख विद्यार्थी हुए और घटते-घटते कुछ हजारों में संख्या रह जाती है। इनके कारणों का पता लगाइये।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं फेल होने वाले विद्यार्थियों की करुण कहानी क्या सुनाऊं? शिक्षा के संबंध में जो आंकड़े हमारे सामने हैं, उनके आधार पर, पिछले वर्ष भी मैंने निवेदन किया था कि लगातार १९४७-४८ से ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ रहे हैं, फेल होने वाले विद्यार्थियों की तादाद भी निरन्तर बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने की संख्या बढ़ रही है, उनकी अपनी संख्या घट रही है, और फिर भी हम कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की कर ली इस क्षेत्र में। मैं जहां तक समझ पाया हूं, इस सारी चीज का सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है कि आज तक हमारी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया कि आखिर एक ऐसे समाज में जिनका लक्ष्य समाजवादी समाज की रचना है, उस समाज में अपनी शिक्षा योजना कैसे चलानी चाहिये। आज हालत क्या है? मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान जो ढांचा प्रस्तुत किया गया है इन विद्यार्थियों के बनाने का, उस ढांचे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उस ढांचे की हालत यह है कि प्राइमरी एजूकेशन, कुछ सरकारी प्राइमरी पाठशालायें हैं, कुछ एकाध उदार व्यक्ति चलाया करते हैं, कुछ लोकल बोर्ड्स के द्वारा चलती हैं। जूनियर हाई स्कूल की करीब-करीब यही हालत है। लेकिन वहां पर जैसे ही बालक पहुंचता है रिओरियेंटेशन स्कीम शुरू हो जाती है। १२ पीरियड एग्रीकल्चर में वह अपने खर्च करने

[श्री रामायण राय]

लगता है। फिर जब सेकेंडरी की स्टेज में पहुंचता है तो वहां जो प्रास्पेक्टस है उस प्रासपेक्टस में अंग्रेजी को आप्शनल कहा गया है। मैं भी अपने को हिन्दी का कम हिमायती नहीं समझता, लेकिन एक तथ्य की ओर मैं संकेत करता हूं कि जो अंग्रेजी यूनिवर्सिटी स्टेज में मजबूर होकर विद्यार्थी को पढ़ना पड़ेगी उस अंग्रेजी को सेकेंडरी स्टेज में आप्शनल कर दिया है। या तो आप ऊपर से नीचे तक, यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी स्टेज तक, शिक्षा में माध्यम के प्रश्न पर एक मजबूत कदम उठायें और आप प्रमाणित टेक्स्ट बुक्स तैयार करायें। इस परिवर्तन के समय में जब हम विद्यार्थी थे तो हमें 'डिमांड' के लिये 'अभियाचन' पढ़ाया गया और इसी प्रकार के अनेक पर्याय हमारे सामने आये और दूसरे ग्रंथों में हमें दूसरे पर्याय मिलते हैं।

जहां तक हायर सेकेंड्री स्टेज का सवाल है, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के अलावा उनके विषय पर भी ध्यान दिया जाय तो ६० प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल होते हैं। मैं जब विद्यार्थी था तो देखता था कि जहां आपको मेथमेटिक्स नहीं आई, आप से मेरा मतलब किसी भी व्यक्ति से है, कोई भी अगर अंग्रेजी फर्स्ट क्लास बोल सकता है तो बड़ा काबिल समझा जाता है, लेकिन तथ्य बिलकुल भिन्न है। जीवन के लिये कौन सा ज्ञान हो सकता है जो हमें जीविका कमाने में और देश की सेवा करने में सहायक हो सकता है, यही शिक्षा का लक्ष्य होता है, लेकिन बेढंगे ढांचे की वजह से हालत यह हो गई है कि सारा समय विद्यार्थियों का अंग्रेजी पढ़ने में जाता है। फैसला आप चाहे कुछ भी करें, अंग्रेजी को आप्शनल करें या अनिवार्य करें, लेकिन आप विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल दिक्कतों को भी सामने रखें। मंत्री महोदय, आज चाहे जो बात कहें, लेकिन मेरी बुद्धि में केवल एक ही बात आती है कि उपदेश करने के लिये चाहे जितना कहा गया हो, लेकिन शिक्षा के व्यावहारिक प्रश्न पर कभी गहराई से नहीं सोचा गया है।

टेक्निकल एजूकेशन और साधारण शिक्षा का आपसी रेश्यो आप देखें तो हमारे राज्य में महज १६ प्रतिशत टेक्निकल एजूकेशन दी जाती है और बाकी ८४ प्रतिशत विद्यार्थी जनरल एजूकेशन में जाते हैं। यह रेश्यो बदलना चाहिये। यदि आप सचमुच भविष्य के लिये एक ऐसे दिन की कल्पना करते हैं कि यहां के हर आदमी पर काम होगा, वह शिक्षित और समर्थ होगा और वास्तव में जब यहां पर समाजवाद की स्थापना हो सकेगी, तो किसी भी समाजवादी समाज को बनाने के लिये यंत्रविशारदों या टेक्निकल आदमियों की आवश्यकता होती है जिनके द्वारा हम युग की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार देश को उचित और सहज सेवायें उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिये क्या किया गया? मुझे आंकड़ों में तो ऐसी शकल दिखाई नहीं देती, क्षमा करेंगे यह कहने के लिये मुझे, क्योंकि आप ने स्वयं कबूल किया है कि सारी शिक्षा हमारे हाथ में नहीं है, कुछ शिक्षा आप के हाथ में है, कुछ हेल्थ विभाग के हाथ में है, कुछ कृषि विभाग के हाथ में है, कुछ हाइडेल विभाग के हाथ में है। क्या अजीब बात है, अभी आप कह रहे थे कि हमने इतना खर्च किया और आपने उसी समय यह भी कहा कि केवल हम ही इतना खर्च नहीं कर रहे हैं और भी खर्च कर रहे हैं! तो यह कैसा बेढंगा मामला है? शिक्षा अपने में एक पूर्ण विषय है। अगर उसको पूर्ण विषय मानते हैं तो उसकी एक मिनिस्ट्री, एक विभाग होना चाहिये। क्या आज कोई सामंजस्य हो सकता है? पावर वाला समझता है कि कैसे इंजीनियरिंग कालेज के एकेडेमिक स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाय? केवल हमारे सामने यही सवाल थोड़े ही है कि यंत्र विद्या का लोगों को ज्ञान कराया जाय। हमारे सामने तो ह्यूमैनाइजेशन होना चाहिये उस आदमी का जो आज टेक्नीशियन बनने जा रहा है। उसको केवल यंत्र विद्या का ज्ञान ही पर्याप्त न होगा, उसको मानव जीवन के मूल्यों का ज्ञान होना चाहिये तभी उसका देश सोने का बनेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं, जिसको शिक्षा विशारद भी स्वीकार करते हैं कि शिक्षा अपने में पूर्ण विषय है तो इसका परिष्कार होना चाहिये और एक मिनिस्ट्री इसके लिये बनाने की चेष्टा करनी चाहिये।

मान्यवर, आज जो धनराशि वितरित की जाती है शिक्षा में उसका बटवारा कैसे होत् है ? अधिकतर पैसा, प्लान जब बन जाती है तो उसमें स्विमिंग पूल पर खर्च करो या ऐस कामों पर खर्च करो जिनसे विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ सकता । वह सारा पैसा सबसे पहले तो हमको खर्च करना चाहिये था अध्यापकों की संतुष्टि पर और उन विद्यार्थियों के लिये जो आज धन के अभाव में अपनी पढ़ाई को आगे नहीं ले जा पा रह ह । क्या यह सत्य नहीं है कि सभी प्रकार के समुदायों में, चाहे धनिकों के हों या निर्धनों के हों, ब्राह्मणों के हों या हरिजनों के हों, सभी समुदायों में जीनियस पैदा होता है, प्रतिभाशाली और अलौकिक प्रतिभा के लोग पैदा होते हैं ? अगर यह बात सही है तो हमको अपनी शिक्षा योजना में ऐसा परिवर्तन करना चाहिये । केवल ऐसे अलौकिक प्रतिभा के बालकों को हम कुछ छात्रवृत्ति देकर समझ लें कि हमने अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर दी, यह ठीक नहीं होगा । उनके लिये निर्वाह-वृत्ति का भी खयाल रखना पड़ेगा । क्यों इतनी चर्चा होती है सदन में कि हम जानना चाहते हैं कि कितने डिप्टी कलेक्टर हरिजन हैं ? उच्च जाति के कितने लोग बड़ी नौकरियों में हैं, बार-बार यह जानने की चेष्टा की जाती है । लेकिन श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उन माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मौजूदा शिक्षा नीति और शिक्षा का ढांचा है उसमें यह सम्भव नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ सकें और कुछ लोग तो यहां तक कहा करते हैं कि जीनियस की एक क्लास होती है, वह खास प्रकार का वर्ग होता है । एक यूनान के फिलासफर ने कहा था कि राजा का शरीर सोने का और दास का शरीर लोहे का । तो आज हम देख रहे हैं कि निर्धन और पिछड़ी हुई जातियों में जीनियस पैदा होता है, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है । बता सकते हैं कि इस बजट साहित्य में ऐसे विद्यार्थियों के निर्वाह के लिये आपने कितनी धनराशि मुकर्रर की है ? एक योजना बनाइये कि इस साल के स्तर पर हम ऐसे विद्यार्थियों को पिक अप करेंगे और उनको highiest educational standard तक ट्रेन्ड करते ले जायेंगे, फिर १० साल में देखेंगे कि एक नक्शा बदल गया, नया समाज बन गया, सारी भ्रांतियां दूर हो गयीं, ऊंच-नीच का भेद मिट गया । केवल पोथी में और संविधान में जो ऊंचे-ऊंचे आदर्श रखे गये हैं उनकी चर्चा करन स आपक कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जायगी । तो आप जो कर रहे हैं उसमें कोई योजना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य-विहीन ढंग से शिक्षा योजना चल रही है । इसके अतिरिक्त जहां तक यूनिवर्सिटी एजूकेशन की बात है, क्या कहूं मैं ? मुझे तो दुख होता है मंत्री जी का ध्यान दिलाते हुए कि अच्छा होता यदि वह शिक्षा मंत्री के साथ-साथ पुलिस मंत्री न होते । एक बुरा एसोसियेशन उनके नाम के साथ हो जाता है । जब याद करता हूं कानपुर को, जब याद करता हूं वाराणसी को, तो ऐसा लगता है और बरबस इच्छा होती है कि कहूं कि शिक्षा ऐसे पवित्र विषय के जो मंत्री हों वह पुलिस मंत्री कतई नहीं होने चाहिये और चाहे किसी विषय के मंत्री भले ही हों ।

एक सदस्य---बहुत पुरानी बात है ।

श्री रामायण राय---जिस लक्ष्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उसके लिये, श्रीमन्, पुराने विषय की चर्चा हो रही है, तो सम्भव है कि आपके लिये वह पुरानी हो, लेकिन मैं तो उसको उस दिन तक नया मानूंगा जब तक कि आप इन समस्याओं पर गहराई से सोचकर कोई ऐसा कदम उठाने का प्रयास नहीं करेंगे जिससे सचमुच हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल हो सके । हमारे लिये उस दिन तक यह विषय ताजा रहेगा ।

आपने जो ऊपर से नीचे तक शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने के लिये ढांचा रखा है उसकी तरफ देखिये । उस ढांचे का क्या हाल है ? इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के आफिस में चले जाइये । सबसे मुख्य कार्य उसका देखा जाय तो उस बेचारे का, और बेचारे मैं इसलिये कह रहा हूं कि जिस ढंग के काम उसको करने पड़ते हैं मैं समझता हूं कि वह उसका असली

[श्री रामायण राय]

काम नहीं है । मेरी समझ में किसी भी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स का काम होता है सबसे पहला कि उसके जिले में जितने स्कूल्स चल रहे हैं उनकी शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा हो, विद्यार्थी उसकी ओर कैसे अधिक से अधिक आकर्षित हों इत्यादि-इत्यादि जो शिक्षा के प्रिंसिपिल्स हैं उन में वह निर्देश कर सकें अपने ज्ञान से, और अपनी जानकारी से, और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनकी सहायता कर सकें, यह उसका प्रमुख काम है । लेकिन मैं समझता हूं कि जब वह आता है अपने आफिस में तो सबसे पहला काम उसका यह होता है कि देखें कि कोई असेम्बली क्वेश्चन तो नहीं है । उसके बाद डाइरेक्टर साहब का कोई लेटर तो नहीं है और उसका जवाब तो नहीं देना है । यही इन्स्पेक्टर का काम शेष रह गया है । इन्स्पेक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन शिक्षा के क्षेत्र में इसलिये नहीं हो पाता कि आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात कहते तो हैं, लेकिन करते कहां हैं ? आप शक्ति के विकेन्द्रीकरण की बात कहते हैं तो मैं कहता हूं कि और क्षेत्रों की बात जाने दीजिये, आइये शिक्षा के क्षेत्र में ही उसका श्रीगणेश कीजिये । डाइरेक्टर से कुछ अधिकार लेकर डिप्टी-डाइरेक्टर को दे डालिये । छोड़िये मोह और डिप्टी डाइरेक्टरों के कुछ अधिकार इन्स्पेक्टरों को दे डालिये, क्रमशः नीचे की तरफ शक्ति को बढ़ाइये और जिला स्तर पर एक शिक्षा सलाहकार समिति की स्थापना कीजिये । अध्यापकों के मन में जो भय है और जिस कानून की चर्चा की गयी है कि हमने कुछ इंटरमीडियेट बिल वगैरह बनाये और उनको कानून की शक्ल दिया, उनसे जो उनका भय है कि हम मैनेजमेंट के हाथ से छूटे तो इन्स्पेक्टर साहब के चरणों में जा गिरे, तो उसके लिये एक जिला स्तर पर शिक्षा सलाहकार समिति बनाइये और उसको एक डिमोक्रेटिक स्वरूप दीजिये, जिससे हमारे गुरुजनों के मन में विश्वास पैदा हो कि उनके साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं कर सकेगा ।

आपके शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कुछ और भी विभाग हैं जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ही आते हैं । उनकी मैं क्या चर्चा करूं ? मनोविज्ञान केन्द्रों की आपने स्थापना की । आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आपने मनोवैज्ञानिक केन्द्र खोले । उनमें कितनी डिस्पैरिटी है ? उसके लिये भी मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन कर दूं कि ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड आप देते हैं उन लोगों को जो ट्रेनिंग लेने के बाद एक वर्ष तक आपका डिप्लोमा लेते हैं । उनको १२० रुपये का आप ग्रेड देते हैं और वही जब इलाहाबाद में काम करने लगता है तो उसके लिये लगभग २०० रुपये का ग्रेड आप रखे हुए हैं । इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान केन्द्र के अन्दर जो लोग काम कर रहे हैं उनका कुछ भी ठिकाना नहीं है कि कब वे साइकालोजिकल सेन्टर में हैं और कब वहां से हटा कर दूसरी जगह कर दिये जायेंगे ।

संस्कृत के अध्यापकों की बात अगर मैं न करूं तो मैं ऐसा समझूंगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया । संस्कृत के अध्यापकों के लिये बार-बार कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि उनको उचित वेतन मिले । अगर आप यह सचमुच चाहते हैं तो अन्य अध्यापकों के समक्ष उनको भी लाने की चेष्टा कीजिये । मैं तो समझता था कि इस बार की चमत्कारी घोषणाओं में सब से पहली घोषणा इन अध्यापकों के सम्बन्ध में होगी, क्योंकि आपके पहले माननीय सम्पूर्णानन्द जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने इस दिशा में कुछ अपना कदम बढ़ाया था । उस कदम को और आगे जाना चाहिये । अधिक नहीं तो कम से कम अन्य विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को जो पुरस्कार उनकी सेवाओं के लिये मिलता है वह तो उनको मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया ।

कुमारी कमल कुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत अध्यापकों, शिष्यों तथा पाठशालाओं में वृद्धि हुई यह इस आदरणीय सदन के सम्मुख रखा और अध्यापकों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई उसको

भी आदरणीय सदन के सामने रखा । मैं उपस्थित अनुदान का समर्थन करती हूं । "जो हो ली सो हो ली", का नियम बहुत ही अच्छा है । अब हमें वर्तमान तथा भविष्य के लिये जो करना हो उसे सोचना चाहिये । हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कि लगभग सभी लोगों को हम शिक्षित कर देंगे । केन्द्रीय सरकार हमको सहायता तो दे सकती है, परन्तु यह जिम्मेदारी हमारी ही होगी, उसके लिये हमें साधन जुटाने पड़ेंगे । अगर हमने मौजूदा तरीका ही रखा तो मेरे विचार में उस टार्गेट तक पहुंचने के लिये इतना भारी बोझा हो जायगा जो न केवल हमारे लिये ही उठाना कठिन होगा, बल्कि हमारी गरीब जनता के लिये भी बहुत ही कठिन होगा । यह बहुत ही गम्भीरतापूर्वक सोचने वाली बात है । इस समय भी तो प्रारम्भिक शिक्षा फ्री है । सभी सदस्यों को मालूम होगा कि कितने प्रतिशत बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं । उसका एक विशेष कारण यह है कि इस निर्धन देश के बच्चे कुछ तो अपना ही पेट पालने के लिये गाय भैंस आदि चराने या और छोटी-मोटी मजदूरी के काम बचपन से ही करने लगते हैं और कुछ अपने मां बाप के मजदूरी पर जाने के पीछे अपने जो छोटे भाई बहनों हैं उनको सम्हालने के कारण वे स्कूल नहीं आ सकते हैं । ऐसी हालत में स्कूलों की शिक्षा करीब-करीब स्वावलम्बी ही बनानी पड़ेगी अगर हमें अपने टार्गेट पर पहुंचना है तो । इसके लिये मैं अपने कुछ सुझाव मंत्री जी के सामने रखना चाहती हूं । एक ऐसी स्कीम बनाने के लिये जो अपने गरीब प्रदेश के अनुकूल हो ऐसे प्रतिनिधियों तथा शिक्षकों की एक कमेटी बनानी चाहिये जो इस बात में पूरा विश्वास रखते हों कि पढ़ाई करीब-करीब स्वावलम्बी हो सकती है ताकि वे पूरे विचार के बाद स्कीम को प्रदेश के सामने रखें और उस स्कीम को काफी अरसे के लिये जनता के सामने विचारार्थ रख दिया जाय और फिर इस माननीय सदन के सामने वह आये ताकि हम उस पर पूरी तरह से विचार करके देख सकें कि वह किस तरह लागू हो सकती है । अभी पर्याप्त समय है कि हमें जल्दी से जल्दी ऐसी कमेटी बना लेनी चाहिये । यह बात निर्विवाद है कि सेल्फ कांफीडेन्स और सेल्फ इम्पलायमेंट हमारी मौजूदा शिक्षा में विद्यार्थियों में नहीं आता है । अब इसके ऊपर विचार किया जाय कि कौन-सा ऐसा स्टेप लिया जाय जिससे लोगों के अन्दर सेल्फ कांफीडेन्स और सेल्फ इम्पलायमेंट का माद्दा पैदा हो । यहां तक कि जो हमारे टेक्निकल कालेजेज हैं उसमें नौकरी पाने के विचार से ही लोग जाते हैं । होना यह चाहिये कि ट्रेनिंग के बाद अपने आपको काम में लगा सकें । इसलिये हमारा खयाल यह है कि यह काम भी इसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां स्कालरशिप्स तथा ग्रांट इतनी देर से पहुंचते हैं कि उनका मकसद पूरा नहीं हो पाता । स्कालरशिप्स मार्च में डिसाइड किये गये और ग्रांट कल तक डिसाइड नहीं की गई । इसके लिये ऐसा हो सकता है कि जो पैसा है उसका विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय और यह पाठशालाओं में डिस्ट्रिक्ट-वाइज जुलाई से पहले पहुंच जाय और रिजल्ट के १५ दिन के अन्दर स्कालरशिप एनाउन्स कर दिये जायं । अगर शिक्षा संस्थाओं में यह चीज होगी तो जिलों में यह आसानी से हो सकेगी । इसके बगैर बहुत से बच्चे दाखिल नहीं होते या कुछ इधर-उधर परेशान होते हैं और घर-घर पैसा मांगते हैं, इस आशा में कि वजीफा हमें मिलेगा और कुछ लोग अपनी पढ़ाई का नुकसान करके लखनऊ का दरवाजा खटखटाते फिरते हैं । इसलिये इसका विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय, जिससे लोगों को यह आसानी से और ठीक समय पर प्राप्त हो जाय और इधर-उधर मांगना न पड़े ।

तीसरी चीज यह है कि हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो व्यक्ति नामिनेट किये जाते हैं उसमें दो-ढाई महीने लग जाते हैं और उनकी पढ़ाई बेकार जाती है और वे परेशान होते हैं । इसलिये शिक्षा संस्थाओं के खुलने से पहले ही ऐसे नामिनेशनों का निर्णय हो जाना चाहिये । मेरा खयाल है कि इसमें पोलिटिकल सफरर को प्रायोरिटी मिलनी चाहिये । जहां

[कुमारी कमल कुमारी गोईंदी]

किताबें दी जाती हैं वहां नवम्बर, दिसम्बर तक नहीं पहुंच पातीं । इसलिये इसकी ग्रांट जिले में जून में ही पहुंच जानी चाहिये, जिससे पढ़ाई में नुकसान न हो ।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्ट्रैस के दफ्तर बिलकुल सेपरेट हों । इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्ट्रैस डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर के ऊपर निर्भर न हों । महिलाओं का विभाग ऊपर से नीचे तक सेपरेट हो जाय । महिलाओं के करिकुलम भी उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाये जायें ।

एडल्ट एजूकेशन का बहुत सा खर्चा बचाया जा सकता है अगर हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, जो तीन महीने खाली मिलते हैं, (मई, जून, जुलाई) उनमें वे गांवों में जाकर पढ़ाएं और अपने समय का सदुपयोग करें जिससे वे भी यह समझें कि वे देश का निर्माण कर रहे हैं । उनके लिये यह शर्त रख देनी चाहिये कि इतने आदमियों को पढ़ा दें तब डिग्री दी जायगी । बच्चे बड़ी खुशी से इस कार्य को करेंगे और उनको गर्व होगा कि हम भी देश का कार्य कर रहे हैं ।

इसके अलावा एक बात यह है कि ग्रामीण संस्थाओं को बिल्डिंग ग्रांट अधिक मिलनी चाहिये । अभी तक अधिकतर शहरों को प्रधानता दी गयी है । अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों को न घेरें तो अच्छा होगा कि वहीं पर उनका शिक्षा का प्रबन्ध हो जाय । इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जो-जो पर्सेंटेज धन का रखा गया है वह बहुत ही कम है । इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये जिससे हमारे देश की महिलायें ज्यादा शिक्षित हो सकें । उनके शिक्षित होने से बड़ा भारी लाभ यह होगा कि बच्चों को प्राइमरी तक खुद पढ़ा लिया करेंगी और प्राइमरी शिक्षा की तकलीफ कुछ हद तक दूर हो जायगी ।

इसके अलावा एक नम्र निवेदन यह है कि १०, १५ वर्ष तक नौकरियों में भरती न की जाय । तब हमारे बच्चों के अन्दर यह भावना पैदा हो जायगी कि उनको अपने लिये काम खुद ढूंढ़ना है तब उनमें सेल्फ कांफिडेंस पैदा होगा । इसके लिये हम पचासों उदाहरण दे सकते हैं । जिन बच्चों को हमने गाइड किया वह अपने लिये खुद सोचने लगे । बच्चों में आत्मनिर्भरता पैदा करना बहुत आवश्यक है । जब उनमें आत्मनिर्भरता आ जाती है तो उनका नैतिक उत्थान भी उसी के साथ होता है । कितनी भी तंगी आये वह उसका सहर्ष सामना करने के लिये तैयार रहते हैं । जब उनमें आत्मनिर्भरता नहीं होगी तो वह घबड़ाने लगेंगे कि हमने हाई स्कूल पास किया, इंटरमीडियेट पास किया अब हम क्या करें ? उनमें भीरुता आती है, कमजोरी आती है । इससे भावी संतान अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि बच्चों के अन्दर सेल्फ कांफिडेन्स पैदा करना चाहिये ।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, कठिनाई यह है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर यदि मैं आप के द्वारा किसी को कुछ सुनाना चाहूं तो वह कौन सुनने वाला है । कोई महानुभाव विद्यमान हैं तो केवल आप के द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह बिलकुल सच है कि इस उत्तर प्रदेश में क्या समूचे भारतवर्ष में भूत में अंग्रेज जब इस देश में विद्यमान था तो शिक्षा की नीति, शिक्षा की प्रणाली जो थी उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि उनके राज-काज में जिस तरह से सुविधा हो सके, बल्कि समयाभाव से मैं अगर बहुत लम्बी तकरीर न करूं और अगर यह कहूं कि बाबुओं की उनको आवश्यकता थी, कुछ प्रतिभाशाली थे, उन्होंने उन्नति की यह दूसरी बात थी । परन्तु उस समय देश के लिये उनको चिन्ता न थी बल्कि अपने काज के लिये कि उनके काज को लोग समझ सकें, उनकी आज्ञा का पालन हो सके,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिये उनकी शिक्षा की नीति थी। ठीक है स्वतंत्रता प्राप्त की गई। अब हमको यह देखना है कि जो वर्तमान शिक्षा नीति है वह भविष्य के लिए कहां तक हितकारी हो सकती है। यह भी एक मौलिक प्रश्न है और माननीय गोविन्द सहाय जी के रहते हुए इस सदन में मैं यह साहस कर सकता था परन्तु दुर्भाग्य से वह इस समय चले गये हैं और सुनना नहीं चाहते थे बहुत सी मौलिक बातों को। मैं यह देखना चाहता था इस उत्तर प्रदेश में कि जो कुछ भी सुविधायें हमारे बच्चों को दी जा सकें वह सरकार द्वारा दी जायं।

भारतीय संविधान में हमने डाइरेक्टिव प्रिंसिपल भी देखा है। हमने यह भी सुना जो कि इस अपोजीशन की तरफ से थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी उसका कारण यह था कि जो फीस छठें दर्जे तक माफ़ थी उसको वापस लेने के लिये सरकार सोच रही है, विचार कर रही है। यह प्रश्न विचारणीय है। जहां समाजवादी ढांचा बनाया जाता हो, जहां कल्याणकारी राज की स्थापना की जाती हो उस प्रदेश की सरकार से मैं आप के द्वारा केवल यह कहूंगा कि असत्य भाषण कर देने से उतना अनहित नहीं हो सकता व उतना अलाभप्रद नहीं होगा जितना कि एक चीज़ को कर के फिर आप पीछे कदम उठाते हैं। इसी सम्मानित सदन में श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के आरंभ भाषण में हमने यह सुना था कि छठवें की फ़ीस माफ़ की जाती है आइन्दा साल सातवें की भी माफ़ की जायगी, लेकिन उसके विपरीत देखते हैं कि उसकी वापसी के बारे में लोग सोच रहे हैं और दुस्साहस के साथ कहते हैं कि यह विचाराधीन है। मैं सरकार का दुस्साहस देखना चाहता हूं और जानना चाहूंगा कि क्या उस वक्त जब यह सुविधा दी गई तो क्या कुम्भकरण की निद्रा में थे, क्या वह इसके काम्प्लीकेशन को इसकी कठिनाइयों को नहीं समझती थी। क्या वह केवल नाक तले ही देखती है और क्या उसके पास सोचने की बुद्धि नहीं है, मानसिक विकास नहीं है कि वह इसे पहले सोच सकते। और मैं यह जानना चाहूंगा कि इस तरह से वह कितने दिन तक इस प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं, और कहां तक उनके लिए उचित है कि वह इस स्थान पर सुशोभित रहें। मैं क्या कहूं मंत्री महोदय से इस गुनाह में उनका हाथ बहुत कम है। मैं शिकायत इसकी अगर करना चाहूं तो उन महापुरुषों से करना चाहूंगा जो इसके सीधे जिम्मेदार ठहराये जा सकते थे। आज वास्तविकता यह है कि इस सम्मानित सदन के सदस्यगण यह नहीं समझ पाते हैं कि आज पोर्टफोलियो किसके पास है और कल किसके पास जायगा। इसके लिये उनको डायरी देखनी पड़ती है या किसी इन्फार्मेशन ब्यूरो का कागज उठा कर देखना पड़ता है। तो मैं यह शिकायत किससे करूं? यादव जी आज इस जगह हैं कल वह पावर में जा सकते हैं, या इर्रीगेशन में जा सकते हैं। तो यह शिक्षा की पुकार बेकार जायगी। भगवान् के लिये मैं अपने उन माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं जो कि आज राजनीति के प्रांगण में विधिवत् आ गए हैं और जिनको यह गौरव प्राप्त है कि वह राजनीति को भलीभांति समझते हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी भावी संतान को, जो संतान कल नागरिक के रूप में होगी, उसको भगवान् के लिये छोड़ दीजिए। भगवान् के लिए उन बच्चों को राजनीति के अखाड़े में लाकर उनसे अपने उद्देश्यों और नीतियों का प्रतिपादन कराकर, उनको एक आखेट बना कर तमाशा न बनाइए। प्रदर्शन हो सकते हैं, गोलियां चल सकती हैं, लेकिन यह कम दिखाई देता है कि जब बच्चों के ऊपर गोलियां चलती हैं तो उस नेता के ऊपर कहीं लाठी की बौछार भी पड़ी हो। वह तो कमांडर इन चीफ की तरह जैसे कि वह महायुद्ध के मैदान में मीलों पीछे रह कर मैनोवरिंग किया करता है उसी तरह से इन नेता लोगों के बदन पर न कभी लाठी बरसती है, न कभी इनका बदन तक छू जाता है। मरता कौन है---कहीं रिक्शा वाला, कहीं तांगा वाला, कहीं कोई निर्दोष बच्चा, जिसका कि मानसिक विकास इतना नहीं हुआ रहता है कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। मैं यह नहीं कहता हूं कि विद्यार्थियों को आप राजनीति से बिलकुल अपरिचित रखिये। जनरल नालेज का जहां तक सम्बन्ध है, जहां तक कि इस प्रदेश में, इस देश में और दूसरे देशों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी का सवाल है यह जानकारी उनको भली-भांति हो और मैं समझता हूं कि यह

[श्री एवधेश प्रताप सिंह]

अरिथमेटिक, अल्जबरा या ज्योमेट्री की जानकारी से कहीं अच्छा है कि उनको इसकी जानकारी हो।

श्रीमन्, कहा यह जाता है कि हम अध्यापकों के लिये बहुत करना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी उनकी दुर्दशा पर आसूं बहाया करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय उसी समुदाय से आते हैं और मुझे इसमें लज्जा नहीं है, मैं बधाई देता हूं कि आपने उनकी तनख्वाह में वृद्धि की है, परन्तु यह आज भी सोचना होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यापक जिसे दो-दो महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती, इस आर्थिक संकट के रहते हुये वह उन बच्चों की शिक्षा में कैसे अपना मन लगा सकता है? यह भी देखना होगा कि आज समाज में शिक्षा का स्थान क्या है? यदि उनकी आर्थिक स्थिति हम ठीक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो हो कि समाज में उनको सम्मान दिया जाय। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरुओं को सर्वस्व समर्पण रहता था। उनको आर्थिक पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं रहती थी। समाज में उनका एक आदर का स्थान होता था जिससे कि उनकी और भी न्यूनताओं की पूर्त्ति हो जाया करती थी। यही नहीं, मैं आज किन-किन पाठशालाओं की दुर्दशा इस सम्मानित सदन के सम्मुख रखूं, श्रीमन्। दूसरी तरफ जो बैठे हुए हैं और इस तरफ भी जो बैठे हुए हैं या भारत का जो भी निवासी और नागरिक है इससे इनकार नहीं कर सकता कि संस्कृत भाषा के बिना हमें अपने धर्म, फिलासिफी और दर्शन का पूर्णतया ज्ञान नहीं हो सकता है। आज संस्कृत पाठशालाओं की जो दशा है वह वर्णन नहीं की जा सकती है। एक समुदाय था जो इन संस्कृत पाठशालाओं को चलाया करता था। जमींदारी अबालिशन के बाद इन पाठशालाओं को बड़ा भारी धक्का पहुंचा है। हमारी सरकार को उस समुदाय से घृणा हो सकती थी, लेकिन उनकी बनाई हुई जो चीजें हैं, जो उन्होंने सार्वजनिक हित के लिये चलाई थीं, उनकी रक्षा करना इस सरकार का कर्तव्य है। यदि इनका संरक्षण यह सरकार नहीं कर सकती है तो यह समस्त देश के लिये और इस प्रदेश के लिये बहुत ही खतरनाक कदम होगा।

इस १२ मिनट के समय के अन्दर यदि एजूकेशन की एक नीति के ऊपर ही पूर्णतया प्रकाश डाला जाय तब भी कठिनाई है और किसी भी माननीय सदस्य के लिये यह मुश्किल है चाहे वह इस तरफ का हो या उस तरफ का हो।

अब मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान अपने जिले के डिग्री कालेज की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। फैजाबाद के डिग्री कालेज की मैनेजिंग कमेटी में या उसकी जनरल बाडी में आप भी सदस्य होंगे। उस कालेज को जो ग्रान्ट-इन-एड पहले मिला करती थी वह अब इस साल से करीब-करीब ७ हजार, अगर मुझे ठीक याद है, कम कर दी गई है। मैं नहीं समझ पाया कि यह क्यों किया गया। मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब कभी वे फैजाबाद जायं तो केवल इतना कष्ट करने की कृपा करें कि उसको देख लें। वहां के एक नागरिक ने एक लाख रुपया उसके लिये आर्थिक सहायता दी है जो कि बिल्डिंग पर्पज के लिये है। उस नगर के तमाम लोग उस को चलाने के लिये आर्थिक सहायता दे रहे हैं, बिल्डिंग के लिये और उसके चलाने में बाबा राघवदास ने बहुत बड़ा काम उसके लिये किया है। उसकी बुनियाद उन्होंने ही डाली थी। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज उसकी ग्रान्ट-इन-एड बिना वजह के कम की जा रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह कौन-सी वहां की परिस्थिति थी, कौन-सी शिकायत थी उस संस्था के खिलाफ जो सरकार के सामने आई और उसने मजबूर हो कर ऐसा किया। जहां तक इस डिग्री कालेज का प्रश्न है, फैजाबाद डिवीजन में और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर इस तरह की एजूकेशन दी जाती हो। जो यूनिवर्सिटी है वह चाहे लखनऊ की हो, चाहे इलाहाबाद की हो और चाहे गोरखपुर की हो, उनकी बात दूसरी है और वह दूर है, लेकिन जब कि फैजाबाद डिवीजन

के लिये एक ही यह डिग्री कालेज है और जब कि तमाम चीजें उस जगह स्थापित हो पाई हैं और जब कि वह वहां पर पनपी हुई है उस समय इस अनुदान को ले लेना कतई उचित नहीं है।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं। शिक्षा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और छोटे अथवा बड़े, हर एक मानव के लिये इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन और वस्त्र के बाद ही उसका स्थान आता है। माननीय मंत्री जी ने शिक्षा में प्रगति को बताते हुए कहा कि हमारे यहां ३३ प्रतिशत शिक्षा है जो कि दूसरे देशों के देखते हुये कम है, तथा हमारी जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम है। इसका अर्थ यह है कि जितनी प्रगति हम १०–१२ वर्षों में करना चाहते थे उतनी नहीं कर पाये। महिलाओं की शिक्षा के विषय में स्वयं ही माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रगति बहुत कम है। मैंने पहले भी कहा था, पुरुष तो पहले से भी शिक्षित थे, उनका प्रबन्ध तो हुआ, लेकिन महिलायें अब भी पिछड़ी हुई हैं, अशिक्षित हैं। हर समय घर में बन्द रहने के कारण उन्हें बाहर की दुनिया का ज्ञान बहुत कम है और समय भी घर के कामों में पड़ कर यूं ही चला जाता है। जो थोड़ी पढ़ी-लिखी हैं उनका भी ध्यान आगे बढ़ने की ओर नहीं जा पाता है। देहातों में बड़े आग्रह करके लड़कियों को मैंने स्कूलों में भेजा। उनके मां बाप कहते हैं कि हमारे बच्चों को कौन खिलायेगा। अगर कम्पलसरी शिक्षा न हो सके तो महिलाओं की शिक्षा की ओर अवश्य अधिक ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि प्राइमरी शिक्षा के लिये महिलाओं को ही नियुक्त किया जाना चाहिये। यह मैं पहले भी बता चुकी हूं कि महिलाओं की संख्या आधे से अधिक है। हम महिलाओं के लिये कोई ऐसा काम नहीं है जो हम अच्छी तरह से न कर सकें। इस प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में महिलायें बहुत अधिक कामयाब हो सकती हैं। लड़कों के स्कूलों में भी प्राइमरी शिक्षा तक महिलाओं की ही नियुक्ति की जाय। बहुत सी बेकार लड़कियां चाहती हैं कि उनको नौकरी मिले। माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे उनको नियुक्त करके देखें वे बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ा सकती हैं। उनमें प्रेम और मातृत्व की भावना होती है। बच्चों को सम्भालने की शक्ति उनमें बचपन से ही होती है। बचपन में बच्चे बहुत सी बुरी आदतें सीख जाते हैं, अगर बच्चों को उनकी देखरेख में रखा जायगा तो वे उनको सम्भालने में सफल हो सकती हैं। इस विषय में माननीय मंत्री जी का कहना है कि महिलायें मिलती ही नहीं हैं। जब आप उनको उत्साहित करेंगे और अधिक से अधिक जगहें देंगे और जब उनको विश्वास हो जायगा कि हम लोगों की भी पूछ है और हम लोगों को भी अधिक से अधिक स्थान मिलेगा तो मैं समझती हूं कि बहुत सी महिलायें बाहर निकलेंगी और पढ़ाने के लिये तैयार हो सकेंगी।

दूसरी चीज मुझे एडल्ट एजूकेशन के सम्बन्ध में कहनी है और वह यह है कि खाली समय में अगर पढ़े-लिखे घरों की महिलायें इस कार्य को सम्हालें तो बेहतर होगा; या रात्रि पाठशालायें जो खोली गयी हैं, उनमें वही अध्यापक, जो पाठशालाओं में पढ़ाते हैं उनसे ही काम लेने की कोशिश की जाय तो बहुत लाभ हो सकता है। रात्रि पाठशालाओं के लिये इन्हीं अध्यापकों का वेतन घंटे दो घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय तो कदाचित् एडल्ट एजूकेशन के लिये अलग से पैसे खर्च करने की आवश्यकता न हो और आप का जो मकसद है वह भी पूरा हो जाय।

इसके अलावा शिक्षा की नीति में परिवर्तन होना आवश्यक है। हमारे यहां यह न होना चाहिये कि अधिक आदमियों को उच्च से उच्च शिक्षा मिले। आजकल एक आम प्रथा चल गयी है कि बी० ए० पास कर लेना एक सहल बात हो गयी है, जिसको देखिये वही हाई स्कूल, इंटर और उसके बाद बी० ए० कर लेता है और बाद में सिवाय इसके कि वह क्लर्क हो या एल० टी० वगैरह कर के शिक्षकों की लाइन में चला जाय, उसके पास और कोई कार्य नहीं रह जाता है

[श्रीमती विद्यावती वाजपेयी]

और पढ़े-लिखे लोगों में भी बेकारी बढ़ती जा रही है। इसलिये आजकल हमारे यहां टेक्निकल एजूकेशन का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिये। मास्टरों के अन्दर यह भावना होनी चाहिये कि वे इस बात को देखें कि बच्चे की रुझान किस तरफ है। फारेन कंट्रीज में स्कूलों के अन्दर मास्टरों द्वारा इस बात को देखा जाता है कि बच्चे का ध्यान किस विषय की ओर अधिक है और किस तरफ जाने से वह अधिक तरक्की कर सकता है। उसके बाद वे उस बच्चे को उसी तरह की प्रेरणा देते हैं। मान लीजिये कोई साइंस पढ़ना चाहता है तो उसके लिये बी० ए० तक पढ़ना बेकार है या कोई बी० ए० में कमजोर है और फिर वह साइंस को ले ले तो इसका परिणाम यह होगा कि वह आगे नहीं चल सकता है। तो टीचर्स को बच्चे के प्रति एक धारणा बना लेनी चाहिये कि किस तरफ जाने से बच्चे की तरक्की हो सकती है और उसी लाइन में जाने की उसे सलाह देनी चाहिये।

इसके अलावा मुझे अफसोस है कि अध्यापकों का जो वेतन-क्रम है वह बहुत ही कम है। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उनका वेतन-क्रम साढ़े ४८ रुपये कर दिया गया है। अब मैं क्या कहूं ? मुझे बड़ा दुख होता है कि अध्यापकों का इतना कम वेतन है। मेरी राय से तो अध्यापकों का वेतन १०० रुपये से कम नहीं होना चाहिये, क्योंकि आखिर उनके भी बीबी बच्चे होते हैं, उनको भी वही काम करना होता है जो कि हम लोगों को करना होता है। मेरी समझ में आजकल एक फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर भी ८०, ९० रुपये वेतन पाता है, जहां पर अध्यापक जो कि बच्चों के जीवन को बनाते हैं उनको पे साढ़े ४८ रुपये ही मिलती है। यह बहुत कम है, इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि यदि आप शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं तो उनके वेतन-क्रम को बढ़ाया जाय। जब तक उनका स्वयं का ऐसा जीवन न होगा कि वे अपने खाने, पीने और पहनने की चीजों से ही परेशान न हो तब तक मैं समझती हूं कि कोई भी अध्यापक किसी भी जगह खूब अच्छी तरह मन लगा कर काम नहीं कर सकता है। जब तक वह मन लगा कर काम नहीं करेगा तब तक विद्यार्थियों की उन्नति नहीं हो सकती है, देश की उन्नति नहीं हो सकती है। देश का पूरा भार अध्यापकों के ही हाथ में है। हमारे भावी नागरिकों को बनाने का, उनकी उन्नति का सारा भार अध्यापकों के ऊपर ही है। इसलिये उनका वेतन १०० रुपये से कम तो किसी हालत में नहीं होना चाहिये।

एक बात मुझे यह और कहनी है कि विद्यार्थीगण अगर राजनीति में न पड़ें तो अधिक से अधिक उन्नति हो सकती है। आजकल देखा जाता है, कोई आन्दोलन चले उसमें सबसे बड़ी संख्या विद्यार्थियों की होती है। जितनी राजनैतिक पार्टियां हैं उनके भाषणों का असर विद्यार्थियों के जीवन पर पड़ता है जिसका यह नतीजा होता है कि आजकल कई यूनीवर्सिटीज, स्कूल, कालेज बन्द पड़े हैं, हड़तालें होती हैं, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती हुई पायी जाती है। हमारे पूज्य बापू ने भी, जब स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे, तब कहा था कि विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिये। उनका जो मुख्य ध्येय विद्या उपार्जन करना है वही करें, जो उनके लिये अधिक उपयोगी होगा। उसके बाद तो मैदान खुला ही है जो भाग लेना चाहे ले। अगर हम लोग पार्टीबन्दी में विद्यार्थीगण को छोड़ दें तो अधिक उपयुक्त होगा।

एक बात यह कहनी है कि स्कूल और पाठशालायें उतनी ही खोली जायं जितनी का हम अच्छा प्रबन्ध कर सकें, यह नहीं कि स्कूल खुल जायं लेकिन उनकी इमारत न हो, बच्चों के बैठने का प्रबन्ध न हो। मैंने अपनी पद यात्रा में देखा कि बच्चे एक चबूतरे पर बैठे हैं बिना टाट के यों ही पढ़ रहे थे। बहुत से स्कूलों की इमारतें खराब थीं जिनकी छतें फटी थीं। जूनियर हाई स्कूलों में बच्चे ३, ३ महीने पढ़ नहीं पाते बरसात में, क्योंकि उनकी छतें टूटी हुई हैं, पानी अन्दर टपकता है। और अन्दर इतना पानी भर जाता है कि बैठने की जगह नहीं होती है। मास्टर लोग कह रहे थे कि बरसात भर स्कूल बन्द पड़े रहे, बच्चों के बैठने की जगह

नहीं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि स्कूल उतने ही खोले जायं जिनकी अच्छी तरह से हम लोग व्यवस्था कर सकें, इमारत हो और अच्छी तरह से सामान दें।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज शिक्षा मंत्री जी का जो भाषण सुना और एक विरोधी पक्ष के अध्यापक के नाते सुना और जो हृदय में उसके प्रति प्रतिक्रिया हुई उनका ही उल्लेख कुछ आपके सामने करूंगा। श्रीमन्, मुझे शिक्षा मंत्री जी से कुछ निजी तौर पर बातें कहनी थीं, आशा है कि हमारे रामस्वरूप यादव जी, जो सर्वमुखी मंत्री हैं, मेरी बातें उन तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। श्रीमन्, मैंने हमेशा इस बात का दावा किया है कि मैं एक अध्यापक के होते हुये भी यहां पर अध्यापक क्षेत्र से चुनकर के नहीं आया हूं अतः मैं अध्यापकों का प्रतिनिधि कहने का दावा नहीं रखता और उसी आधार पर मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मैं कहूं न केवल अध्यापक के ही प्रतिनिधि के रूप में कहूं, बल्कि विद्यार्थियों के प्रतिनिधि रूप में भी कहूं। मुझको यह भी आशा थी कि हमारे शिक्षा मंत्री जी इस साल भर के बाद शिक्षा के संबंध में कुछ नई खोज, कुछ नये विचार, कुछ नये सुधार सोच कर लाये होंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने उनके पिछले साल के भाषण को उठा कर फिर पढ़ लिया था, और यह देखा कि वह जहां पर थे उससे किंचित् मात्र भी एक कदम आगे बढ़े नहीं। सुनने वालों को चाहे आश्चर्य हो, मैंने एकाध दफा पहले भी कहा है कि चाहे मैं अध्यापक हूं, चाहे मैं यह समझा जाऊं कि अध्यापक की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मैं वह अध्यापक नहीं कि जो केवल तनख्वाह की ही बात मौके बे मौके कहें। तनख्वाह की बात ही तक यदि अध्यापक अपने को सीमित रखे तो वह अपने को उस आदर्श से गिरा लेता है जो कि एक अध्यापक का होना चाहिए। अध्यापक चाहता है, विद्यार्थी चाहता है, समाज चाहता है, और देश भी चाहता है कि शिक्षा में उन्नति हो। इस उन्नति और सुधार के लिये न केवल हम छोटे-बड़ों की बात को उद्धृत कर सकते हैं बल्कि अपने राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के कुछ शब्द पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। २९ नवम्बर को पिछले साल पहले की बात है तब उन्होंने ये शब्द कहे थे:---

" The President said it appeared to him that the system of education in India to-day was devoid of 'any goal or ideal'. It did not satisfy the aspirations of the student. The result was that there was frustration, which, in turn, bred indiscipline.

He said that there was so much stress on examination these days that the student set the passing of the examination as his only goal. But after he passes the examination and goes to the wide world outside, he finds himself unequipped to meet the demands of the new age. The system of education should be so evolved that it can impart an integrated personality to the student."

यह हमारे राष्ट्रपति के शब्द हैं जिनको हम अधिकारयुक्त शब्द मानते हैं, क्योंकि वह हमारे शासन में सर्वोपरि व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है। परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी निरुत्साह होता है और उस निरुत्साह की हालत में उसमें अननुशासन पैदा होता है।

श्री चन्द्रबलीशास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मुझे ब्रह्मचारी जी को देख कर कौरवों के दरबार के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी की याद आ जाती है। जब भीष्म पितामह मृत्यु शैय्या पर पड़े थे और बड़ी-बड़ी धर्म की बात कर रहे थे तो कुन्ती जी ने उनसे पूछा कि द्रौपदी-चीर-हरण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

के समय आपका धर्म कहां था। उन्होंने कहा कि क्या करें, हमने कुछ उनका नमक खाया था उसको पालना था। पता नहीं शायद उसी नमक ने ब्रह्मचारी जी को बुला दिया है।

शिक्षा में आज आदर्श लक्ष्य की कमी है, इस बात को सभी मानते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, श्रीमन्, इस बात का उल्लेख किया है कि हम शीघ्र ही एक व्यापक कानून लाकर इस शिक्षा में कुछ आमूल परिवर्तन करेंगे। मालूम होता है कि ३६५ दिन की अवधि एक सेकेंड की भी नहीं साबित हुई। जहां थे वहीं हैं। क्या मैं आशा करूं कि १९६२ तक हमारे मंत्री जी एक कदम भी आगे बढ़ेंगे ? इन बातों से मुझे पहले भी आशा नहीं थी कि इस सरकार से, इस केबिनेट से तिल भर भी उन्नति हो, लेकिन हमारा यह जरूर खयाल था कि हमारे मंत्री जी अपने वचनों को पालन करने में कुछ धर्म तो मानेंगे। यह धर्म मनुष्यता का धर्म है, यह महान् धर्म है, जो बात हम कहें उस पर दृढ़ रहें और जो राज्यपुरुष हो उसको तो अपने शब्दों से अपने वचन से पीछे हटना अनियमित तो है ही अशोभनीय भी है, और व्यक्तिगत रूप से भी उसके लिये यह शोभनीय नहीं है। इसी सदन में सरकार की तरफ से और माननीय वित्त मंत्री की तरफ से दो घोषणाएं हुई थीं। एक तो यह कि हम कक्षा ६ की फीस माफ कर रहे हैं और क्रमिक रूप से आगे भी माफ करेंगे और अगले साल ७वें दर्जे की फीस माफ हो जायगी, मेरे सामने यह लिखा रखा है। दूसरे उन्होंने कहा था कि हम अध्यापकों को मेडिकल असिस्टेंट देंगे, लेकिन आज मंत्री जी ने दोनों घोषणाओं का खंडन किया है। उनके शब्द मैंने लिख लिये थे। उन का कहना था कि ६ठें दर्जे की फीस का सवाल विचाराधीन है और ७वीं का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अगर उनकी पिछले साल की घोषणा को आप उठाकर पढ़ें तो कहा गया था कि अगले साल ७वें की फीस माफ की जायगी और अब कहते हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हें अपने शब्दों को, अपने हृदय को और अपनी बुद्धि को सम्हाल कर बात करना चाहिये।

इसी तरह से अध्यापकों के वेतन-वृद्धि की बात जिस तरह से रखी गई उसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। जब मैंने बजट देखा तो उसमें एक आइटम है "अध्यापकों और कर्मचारियों की चिकित्सीय सहायता के विस्तार के लिये प्रतीक व्यवस्था" जिसके लिये १०० रु० टोकेन ग्रान्ट के रूप में रखे गये हैं। आगे चाहे दूसरे रूप में यह आये, लेकिन अभी १९५९ में तो यह टोकेन ग्रान्ट क रूप में ही रहगा, अभी तो यह एक प्रतीकमात्र है, प्रत्यक्ष नहीं है, प्रतीक है। वह बनते ही बनते बनेगा अभी तो गर्भ की तरह पेट में ही है। अध्यापकों की दशा यह है कि वे अल्पभोगी होने के कारण आज टी० बी० के मरीज हो रहे हैं, उनके भरणपोषण के लिये आप ने थैली को कस कर रख लिया है। उधर से आंकड़े बड़े जोर से दिये गये और साबित किया गया कि हम उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जा रहे हैं, परन्तु साथ ही यह भी कहा गया कि हम १८ प्रतिशत से अधिक शिक्षा नहीं बढ़ा पाये हैं और १८ प्रतिशत आप शिक्षा के लिये खर्च कर रहे हैं। साथ ही, बाद में अपनी कमजोरी दिखाते हुये आकड़े भी दिये गये, लेकिन अगर आकड़ों से ही मैं जवाब दूं तो विभ्रम में पड़ सकते हैं इसलिये मैं आंकड़ों में न जाकर बताऊंगा कि आज शिक्षा की मद में जितने भी सीगे हैं बड़े-२ विश्वविद्यालय स्तर पर ६.४८ लाख कम खर्च करेंगे, माध्यमिक शिक्षा में ३३.३७ लाख कम खर्च होगा और प्रारम्भिक शिक्षा में १७.९५ लाख कम खर्च होगा। इस तरह से इन तीन ही बड़ी मदों में हम लाखों की तादाद में कम पैसा खर्च कर रहे हैं। यह उन्नति गत वर्ष के मुकाबले में हमने की है। हम स्वतन्त्र हैं और स्वतन्त्र रूप से हम अपना प्रबन्ध करते हैं, लेकिन फिर भी आज यह दुर्गति है। आज भी योरोपीय विद्यार्थियों के लिये शिक्षा का अलग प्रबन्ध है और उन योरोपीय विद्यार्थियों के लिये ४ लाख १३ हजार रुपया अलग खर्च होता है और योरोपीय लड़कियों के लिये भी ४ लाख १३ हजार रुपया व्यय होता है। इस तरह से करीब ७ लाख के उन पर इसलिय खर्च होता है, क्योंकि वह उच्च वंश के हैं। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे कुछ समय और दें दें, मैं अपनी बात थोड़े में ही कह दूंगा, सब प्वाइंट में लिखकर ले आया हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--आप २-३ मिनट और बोल लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--तो ७ लाख योरोपीय लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिये खर्च हो रहा है। हमारी एक बहिन ने बड़े सुन्दर शब्दों में ठीक ही कहा कि प्राइमरी कक्षाओं के लिये तो ५.७९ लाख रुपया खर्च हो रहा है और योरोपीय लड़के-लड़कियों की शिक्षा के लिये ७ लाख व्यय हो रहा है। हमारे बच्चे कैसे हैं? श्री यादव जी अपनी मोटर घुमा करके किसी प्रायमरी स्कूल के सामने खड़ी कर दें और देख लें कि क्या हालत है। मैं सही कहता हूं कि एक भी बच्चा टाट पर बैठा नहीं मिलेगा। अगर सवा-सौ विद्यार्थी हैं तो १०-२० लड़के तो भले ही टाट पर बैठे हों, बाकी सब विद्यार्थी वैसे ही बैठे मिलेंगे और जाड़े में भी उनके पास बैठने को टाट नहीं मिलेगा; और अध्यापक के पास खेलाने के लिये एक लेजम भी नहीं है और बोर्ड में लिखने के लिये खड़िया भी नहीं है। मेरी आंखों देखी चीज है। हमारी शिक्षा के अर्थ में हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। पिछला कर्जा कई लाख का अदा कर दिया गया, घाटा भी पूरा कर दिया गया और अब भी सेंट्रल अनुदान के साथ-साथ प्रान्तीय अनुदान की होड़ लगी हुई है और रेकरिंग और नान-रेकरिंग ग्रांट भी हैं। अब भी उनकी भूख मिटती नहीं है, घाटे पर घाटा है।

विश्वविद्यालय के बाद अगर सेकेंडरी शिक्षा की बात कहें तो जबकि वहां के विद्यार्थियों की तादाद १२ गुनी है उन पर खर्चे का अनुपात तिगुना है और अगर विश्वविद्यालय से मुकाबला किया जाय तो विद्यार्थियों की तादाद २४ गुनी है और खर्चे का अनुपात दुगुना है। यानी जितनी ऊंची शिक्षा है, उतना ही खर्चा अधिक है और जितनी छोटी शिक्षा है उतना ही कम खर्चा है। जिस २० फीसदी शिक्षा की बात आप कहते हैं उसमें खर्चा नगण्य है। प्राइमरी स्कूलों के लिये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अनुदान देते हैं उसमें आपने अबकी दफा २६ लाख की कमी कर दी है। सरकार ने शारीरिक शिक्षा में उचित समझा कि १.८ लाख रुपया रखा जाय, लेकिन मैं आप से कहूं कि चाहे जितना शरीर दुरुस्त कर लिया जाय, लेकिन जब तक सरकार उनको नैतिक शिक्षा नहीं देगी तब तक रोज यह गोली चलाने की नौबत आयेगी और इसके लिये एक पैसे की ग्रांट किसी बजट में किसी पेज पर नहीं मिलेगी। इन्हें नैतिकता की बात नहीं चाहिये। जैसी अनैतिक सरकार है वैसा कि अनैतिक उनको रखना चाहते हैं।

मुझे एक ही बात कहनी है कि हमारी सरकार के द्वारा वह स्कूल जो कि राज्य सहायता पाते थे, और उनको इमदाद मिला करती थी, ऐसे स्कूल थोड़े नहीं हैं। ७१५ स्कूल हैं जिनमें ३१,७७१ लड़के पढ़ते हैं और जिनमें १,३३९ अध्यापक पढ़ाते हैं। इन ५१७ स्कूलों के लिये अब की दफा एक पैसा भी ग्रांट नहीं है। ये सरकारी सहायता न पाने वाले स्कूल हैं जो बेचारे स्वतः अपने पैरों पर खड़े हैं और आशा किये हुए हैं कि सरकार हमको सहायता देगी, लेकिन उनके लिये जो आइटम होता था वह भी एक पैसे का नहीं है।

आज हमारे बजट में उन शिक्षित लड़कों के लिये जो लाखों की संख्या में स्कूलों और कालिजों से निकलते हैं उनके लिये कोई प्रावीजन नहीं रखा गया है कि वह क्या करेंगे। उनसे आप यह आशा करते हैं कि वे आपको शान्ति से बैठे रहने देंगे? आप चाहे किसी कोठरी में चले जायं, लेकिन आप बच नहीं सकते। दोज हू सो दि विंड, रीप दि व्हल विंड। इन शिक्षितों के रोजगार के लिये एक योजना है, उसमें केवल २६ लाख रुपये का खर्चा है। अब उनकी तादाद कितनी है? आप देखें कि प्रति हफ्ते उनकी तादाद कितनी घटती जाती है और जो गैर-नामजद हैं उनकी तादाद कितनी है। ये तो हमारी सरकार के देखने की चीजें हैं।

मैं दो-चार सुझाव रखता हूं। मैं चाहता हूं कि इस शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिये सरकार पहला काम यह करे कि हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडियट बोर्ड को खत्म कर दे। यह सुरसा जैसा मुंह बढ़ाता ही जाता है और इसका खर्चा भी १,२६,००० इस साल अधिक है। करता क्या है? एग्जामिनेशन लेकर स्वयं एग्जामिनर बन लेता है। जितने भी इस बोर्ड

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

के डिप्टी सेक्रेटरीज हैं सब हेड एग्जामिनर हैं । वैसे तो उनके लिये शर्त यह है कि १,००० से आमदनी ज्यादा न करो, लेकिन वे ज्यादा कर लेते हैं और होता यह है कि पर्चे आउट होते हैं और विद्यार्थी बेचारे डिस्क्वालिफाई होते हैं और उन्हीं के चपरासियों के द्वारा पर्चे आउट होते हैं । जब पहले बोर्ड बना था, तब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने घोषणा की थी कि यह बोर्ड खत्म किये जायेंगे । आज वह बोर्ड खत्म नहीं किये जा रहे हैं । इसके कारण हो सकते हैं कुछ रिश्तेदारी हो, नातेदारी हो लेकिन बोर्ड नहीं खत्म हो रहा है । बंगाल में बोर्ड नहीं है, अनेक प्रान्तों में बोर्ड नहीं है और बिना बोर्ड के ही काम चल रहा है । डिपार्टमेंटल एग्जामिनर्स होते हैं, लेकिन हमारे यहां नहीं है । इस बोर्ड के हट जाने से हम सिलैबस को भी परिवर्तित कर सकेंगे । जब तक बोर्ड रहेगा तब तक हम सिलैबस को परिवर्तित नहीं कर सकेंगे । अंग्रेजी प्रारम्भिक रहे या लिटरेरी, यह चीज नहीं निश्चित हो सकेगी । आज देश को १२ साल स्वतंत्र हुये हो चुके हैं । तो क्या उसी रूप में हमारे विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ेंगे ? उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ है, उनके रहन-सहन में परिवर्तन हुआ है, हमारी नीति में भी परिवर्तन हुआ है और हमने चाहा है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा बन कर रहे । तब क्या जरूरी है कि आप उसी प्रकार से अंग्रेजी को हमारे ऊपर लाद दें ? तो यह बोर्ड हमारा उसी प्रकार से बना हुआ है और २५, २५ साल से लोग उसी प्रकार बने बैठे हैं और उसकी नीति भी उसी प्रकार की बनी हुई है ।

तो सिलेबस को बदलें और उसको बदलने के साथ उसके माता-पिता यानी बोर्ड को भी हटायें । उसके हटाने और सिलैबस के बदलने से विद्यार्थियों में अनुशासन भी आवेगा, उनमें क्रियाशीलता भी आवेगी और उनमें कुछ रोजगार भी प्राप्त करने का उत्साह आयेगा । इसलिये मैं इन बातों को रख रहा हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी उन पर गौर करेंगे ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--बहुत से कटौती के प्रस्ताव जो हैं उनके बारे में क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--उन सबको समय मिलेगा ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगी कि दो मिनट मुझे अधिक दे देंगे ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आधुनिक शिक्षा पद्धति हमको ब्रिटिश काल से ही लीगेसी में मिली थी । लार्ड मेकाले ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत में अमर बनाने के लिये यह शिक्षा पद्धति प्रचलित की थी । आज राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिये । श्रीमन्, शिक्षा पद्धति का राष्ट्रीय समस्याओं से गहरा सम्बन्ध है । शिक्षा वह चीज है जिसमें इन्सान के दिल-दिमाग ढलते हैं । स्टालिन ने कहा था कि लोहे को पीट कर पत्तर बना लेना बड़ा आसान है, लेकिन इंसान के मस्तिष्क और दिल को बनाना और बदलना बड़ा कठिन है और वह शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है ।

श्रीमन्, क्या हैं शिक्षा प्रणाली के निर्णायक अंग ? वे दो हैं--देश की वर्तमान परिस्थिति और राष्ट्र की भावी आवश्यकताएं । तो फिर राष्ट्र की भावी आवश्यकताएं क्या हैं ? अपूर्ण राष्ट्र या जनतंत्रात्मक क्रान्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचाना । दूसरे तीव्र गति से उद्योग-धंधों के विकास द्वारा समाज का आर्थिक विकास करना । मान्यवर, हमने राजनीतिक सत्ता तो हासिल कर ली, विधान द्वारा गणराज्य की स्थापना भी की परन्तु हमारे अन्दर उन सभी बातों और उन सभी गुणों का अभाव है जो हमें एक राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधते हैं । हमारे देश में भावात्मक एकता नहीं है । राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभाषा, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय हमें उतना आन्दोलित नहीं करते, उतना रोमांचित नहीं करते और अपने देश पर मर मिटने के लिये, सर्वस्व न्योछावर करने के लिये तैयार नहीं करते जितना हमारे

देश के अन्दर आज भी धार्मिक नारे, जातीयता के नारे और प्रान्तीयता के नारे करते हैं। पिछले वर्षों में खंड और अखंड गुजरात,महाराष्ट्र, बम्बई और पंजाब के नारों ने लाखों आदमियों को अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिये, अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिये आन्दोलित किया था। मान्यवर, जातीयता, प्रान्तीयता, भाषा-द्वेष, व्यक्तिगत सम्पत्ति, पूंजीवाद-य व सभी विषाक्त चीजें हैं जो हमारी स्वतन्त्रता के लिये, भारतीय एकता के लिये महान् चुनौती हैं। राजाओं के सिंहासन तो चले गये, लेकिन हमारे हृदय के सिंहासन पर आज भी व्यक्ति की पूजा विराजमान है। सामन्तशाही की दीवारें तो गिर चुकीं लेकिन समाज और शासन के अन्दर आज भी साम तशाही के भग्नावशेष विद्यमान हैं।

हमारा लक्ष्य है समाजवादी सभ्यता और संस्कृति का विकास। वह किस के द्वारा हो सकता है? शिक्षा के द्वारा। बच्चा मां की गोद में, परिवार में प्रेम सीखता है और एक शिक्षा प्राप्त करता है। बच्चे की वह पारिवारिक मान्यतायें हम राष्ट्रीय जन-जन तक पहुंचाना चाहते हैं, राष्ट्रीय जन तक ही नहीं विश्व जन तक पहुंचाना चाहते हैं। बनाना चाहते हैं बच्चों को गुरुभक्त, पितृभक्त, राष्ट्रभक्त, मातृभक्त। तो क्या आज की शिक्षा पद्धति हमारे बच्चों को इस प्रकार का बनाती है? हमारी दृष्टि में आज बच्चों की संस्कृति नहीं विकृति हो रही है। मान्यवर, समाजवादी विलियम ल्योरस के शब्दों में हमारा विधि, विधान, हमारे मैजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, प्रशासन, शिक्षा पद्धति, शिक्षक, सभी व्यक्तिगत सम्पत्ति, संग्रहात्मक मनोवृत्ति और पूंजीवादी मनोवृत्ति के समर्थक ही नहीं, रक्षक हैं। समाज के शोषक पूंजीवाद की तलवार व पिस्टल बन हुये हैं। तो कैसे होगी इस शिक्षा पद्धति द्वारा दार्शनिक क्रांति, कैसे आयेगा समाजवादी समाज, कहां से आयेगा सहयोगी समाज? मुझे इसमें बड़ी आशंका है।

श्रीमन्, बेसिक एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी तक के पाठ्य-क्रमों में परिवर्तन होने की महान् आवश्यकता है। शिक्षा का दूसरा आधार है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति, राष्ट्र-पिता ने इसी को बेसिक एजुकेशन कहा था। कवीन्द्र रवीन्द्र ने कहा था कि हमारे कारखानों में मास्टर क्रैफ्ट्समैन की देखरेख में विद्यार्थी चीजें पूरी बनाते थे। ये हमारे सच्चे विद्या-मन्दिर थे। यही ज्ञान के जीवित स्रोत थे। इसी ज्ञान से रचनात्मक मानव पैदा होता था जो इस वसुन्धरा से सारी भोग्य वस्तुओं का उत्पादन करके समाज की सेवा करता था। मान्यवर, आज हमार विद्यालय पाठशालायें हमार खत-कारखाने और वे घर और दुकानें जहां चीजें बनती हैं कहां होने चाहिये। तो कौन हो हमारा मास्टर? हमारा मास्टर है लोहार, कुम्हार, चर्मकार, बढ़ई, राज और कलाकर।

मान्यवर, अब मैं थोड़ा-सा अपने प्रदेश में शिक्षा की उन्नति पर दृष्टिपात करना चाहती हूं। हमारे कुल बजट का १३.३ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होता है। बम्बई में २२ प्रतिशत से अधिक, मध्य प्रदेश और मद्रास के अन्दर २० प्रतिशत से अधिक, बंगाल और हैदराबाद में १५ प्रतिशत से अधिक शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा पर सब से कम खर्च होता है। सन् १९५१ में देश में १९.९ पुरुष और ९.३ स्त्रियां साक्षर थीं। हमारे प्रदेश में १४ प्रतिशत पुरुष और ९ प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थीं। ६ से ११ वर्ष तक की आयु के स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात सन् ५०–५१ में देश में ४२ प्रतिशत था। १९५५–५६ में हमारे देश में ५१ प्रतिशत प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में हमारे प्रदेश में ३३.४ प्रतिशत, यानी देश में हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में जो ४२ प्रतिशत थी इससे भी कम प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में हुई। श्रीमन्, द्वितीय पंच वर्षीय योजना की समाप्ति तक हमारा लक्ष्य ६२.७ हमारे प्रदेश का है तो हम ३३.४ से ६२.७ तक कैसे उन्नति कर पायेंगे? इसी प्रकार, मान्यवर, ११ से १४ वर्ष तक के बच्चों का अनुपात प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में १९.२ और प्रदेश में साढ़े तेरह

[कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री]

प्रतिशत । इसी प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में २२।। प्रतिशत और प्रदेश में १३।। प्रतिशत है तो हम २२।। प्रतिशत तक कैसे पहुंच पायेंगे जब कि बजट का १३.३ प्रतिशत ही हम खर्च कर रहे हैं।

श्रीमन्, आपके द्वारा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह शिक्षा को इतनी महंगी न बनायें और इसको कम खर्चीली बनायें। १९५७--५८ में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर १७६.९ रुपया खर्च हुआ, डिग्री कालेजेज पर ९६ रुपया और माध्यमिक पर २७ और प्राथमिक शिक्षा पर १७.४ रुपया खर्च हुआ।

तीसरा सुझाव यह है कि बिल्डिंग और फर्नीचर की मान्यता देने में जो शर्त रखी गयी है, उसको हटा लिया जाय। हैदराबाद में पंडित जवाहर लाल जी के शब्दों तथा भाषण के अनुसार मैं निवेदन करूंगी कि शिक्षकों की पे बढ़ायें और शिक्षालय तो दरख्त के नीचे भी चल सकते हैं। यदि हमारे गुरुजन अच्छे दिल और दिमाग से पढ़ाने के लिये इच्छा रखेंगे तो विद्यार्थी अवश्य सर्वत्र पहुंचेंगे।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि शिक्षकों को भी वही सुविधा मिलनी चाहिये जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। उनके बच्चों की शिक्षा, जहां वह पढ़ाते हैं वहीं नहीं बल्कि सर्वत्र फ्री होनी चाहिये। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के शिक्षकों के वेतन में अंतर नहीं रहना चाहिये। नरेंद्रदेव कमेटी के आधार पर मैं कहना चाहती हूं कि नैतिक शिक्षा हमारे प्रदेश में अनिवार्य होनी चाहिये। नरेंद्रदेव कमेटी रिपोर्ट "कंट्रोल आफ टैक्नीकल ऐजूकेशन" के पैरा १२ के अनुसार एग्रीकल्चर, लेबर, इंडस्ट्री और हेल्थ, यह सब चीजें शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होनी चाहिये। बहुत से सुझाव बोर्ड के निर्माण के विषय में दिये गये हैं लेकिन समयाभाव के कारण मैं बताने में असमर्थ हूं। व्यावहारिक कठिनाइयों के दूर करने के सुझाव भी दिये गये हैं।

मान्यवर, मैं एक सुझाव यह देना चाहती हूं कि प्राइमरी शिक्षा का संचालन और व्यवस्था पंचायतों की देखरेख में होनी चाहिये। मेरी समझ में प्रत्येक पंचायत अदालत में एक जूनियर हाई स्कूल हो। उसका हेड मास्टर सरकार का वेतनभोगी हो बाकी उसको विद्या के प्रेमी चलायें। आज भी बहुत से विद्याप्रेमी इनको चला रहे हैं। आज मैं समझती हूं कि माननीय मंत्री जी का उत्तर यह होगा कि खर्चा कहां से आये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहती हूं कि हमको वास्तव में अपनी परिस्थिति को देख कर चलना चाहिये। बजट के अनुदानों के अन्दर मैंने बहुत सारी अनुदान संख्यायें नोट कर रखी हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, औजारों व सज्जा--३ लाख, युवक नियोजन सेवा--६० हजार, प्रदेश में तीन डिप्लोमा संस्थायें आवर्त्तक अनुदान--४५ हजार, अनावर्त्तक अनुदान--१ लाख ५५ हजार, अमौसी-सारनाथ में प्रदर्शन कक्ष-१६ हजार ५ सौ, पशुपालन में मास्टर डाइरेक्टर की उपाधियां देने के लिये तथा चार अतिरिक्त पशपालन गृहों का सृजन-४,८२,१००, यह आवर्त्तक है, और अनावर्त्तक है--६,२६,४००। अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक ४८--उपकरणों का क्षेत्र परीक्षण १,२२,००० और २८,०००। इसी प्रकार राज्य के मेडिकल कालेजों-पूर्णकालिक अध्यापन इकाइयों की स्थापना पर--५ लाख। विकास संग्रहालय लखनऊ में श्रोतशाला पर--१ लाख ५० हजार। वाराणसी में किसी विद्यालय की चहारदीवारी के लिये--१० हजार। अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ४७--टाइपराइटर १,०००, रुपये कृषि में अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ४७--औजारों व सज्जा-८,०६,९०० रुपये।

मान्यवर, म्यूजियम, स्टैडियम और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको काटा जा सकता है, जिनके बिना दिन चल सकते हैं। मनोरंजन के बिना काम चल सकता है। आज इस शिक्षा पद्धति के अन्दर ४० रुपये पाने वाले, इस प्रदेश के खेतिहर मजदूर और किसानों के बच्चों के लिये क्या वह मौका हो सकता है जो यहां के चीफ सेक्रेटरी, गोविन्द नारायण जी, के बच्चों को आई० सी० एस० बनने का हो सकता है या नेताओं और उच्चतम वेतन भोगियों के लिये हो सकता है? उनके लिये वर्तमान शिक्षा पद्धति के लिये क्या हो सकता है? मान्यवर,

लाना चाहते हैं सहकारी समाज। इन कालेजों, स्कूलों और पाठशालाओं में हम बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाने जा रहे हैं। उनका जीवन नष्ट किया जा रहा है। मान्यवर, कहते हैं कि विद्यार्थी बड़े उद्दंड हो गये हैं, अनुशासन-हीन हो गये हैं। मेरा खयाल है और मैं उनको बधाई देती हूं कि इस शिक्षा पद्धति के होते हुए वह जितना कुछ करते हैं, वह कम करते हैं, कहां उनको मिलती है अनुशासन की शिक्षा? कहां है उनको नैतिकता और पितृभक्ति तथा देशभक्ति की शिक्षा? तो हम कैसे आशा करें इस पद्धति में कि उनका भविष्य बनेगा?

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त हो गया।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हम इस अनुदान पर बहस कर रहे हैं। यह अनुदान प्रदेश के समाज के हर व्यक्ति के लिये एक महत्वपूर्ण अनुदान है। किन्तु जितना ही यह महत्वपूर्ण है उतना ही यह विभाग उसके प्रति उपेक्षा की दृष्टि से देखता चला आया है। श्रीमन्, मैं इस शिक्षा पद्धति के बारे में जो आज प्रदेश में है और बेकारी की धूम जो समस्त प्रदेश में है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस शिक्षा प्रणाली के कारण हम यह देखते हैं कि दिन प्रति दिन बेकारी बढ़ती चली जा रही है। गांवों में या शहर में इस तरह की शिक्षा पद्धति में यह व्यवस्था नहीं है कि लोग काम करने में अपनी डिगनिटी न समझें। आज हम बाबू जी बनाते चले जा रहे हैं, पैन्ट पहन कर के इधर-उधर घूम करके अधकचरे हाई स्कूल और मिडिल पास कराके हम उनको इस योग्य नहीं रखते कि जो गांवों में अपना खुद काम कर सकें। न उनके लिये इस तरह की कोई व्यवस्था है जिसमें टेक्निकल एजूकेशन दी जाय, जिससे वह काम में लग सकें। हम यह देखते हैं कि देहात में प्राइमरी स्कूल की क्या हालत है? श्रीमन्, इस तरफ देखा जाय तो स्कूल में छत है तो फर्नीचर नहीं है और फर्नीचर है तो छत नहीं है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां कि लड़के बाग़ों में जाकर पढ़ते हैं, न उनके लिये छाया की व्यवस्था है न पानी से बचने की। बच्चे ठिठुरते हुए घर पहुंचते हैं। गांधी जी के शब्दों में गांवों को स्वावलम्बी बनाने के लिये शिक्षा की व्यवस्था लोगों के लिए अच्छी तरह से हो सके, उसकी व्यवस्था करनी थी लेकिन आज इसके विपरीत हो रहा है। शिक्षा बड़े-बड़े शहरों में केंद्रित होती जा रही है। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियां बड़े-बड़े शहरों में खोली जा रही हैं और देहात उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है जब कि ७२ परसेंट समाज जो है वह देहात में रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह गरीब जो देहात में रहता है उसके लड़के को कैसे इलाहाबाद या लखनऊ में आकर सस्ती शिक्षा मिल सकेगी? मैं पूछना चाहूंगा कि मैनपुरी या कितने जिलों के ऐसे केंद्र हैं जहां कि डिग्री कालेज खोले गये हैं और सरकार ने कितनी मदद दी है?

श्री रामस्वरूप यादव---मैनपुरी में कम से कम दो हैं।

श्री मलिखानसिंह---शिकोहाबाद में हो सकता है जहां से डिप्टी मिनिस्टर साहब आते हैं, लेकिन मैनपुरी जो जिला है वहां वह बतायें कि कोई एक भी डिग्री कालेज है?

(इस समय २ बजकर ४२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी नारायण बंसल, पीठासीन हुए।)

इसके बाद श्रीमन् इस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा पद्धति में जितनी भी कमियां हैं उन कमियों के कारण आज समाज का नैतिक स्तर बराबर गिरता चला जा रहा है। शिक्षा पक्षति के ही कारण आज जो ग्रेजुएट अपने को कहते हैं अच्छी तरह से दरख्वास्त भी नहीं लिख सकते। यह स्टैंडर्ड शिक्षा का रह गया है।

[श्री मलिखान सिंह]

अध्यापकों के बारे में यह है कि बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी के अध्यापक यह समझते हैं कि हमारी सिर्फ घंटे दो घंटे पढ़ाने की ड्यूटी है। जहां तक इस विभाग का संबंध है विभाग का जो अधिकारी वर्ग है, जो अपने को समाज बनाने का एक ठेकेदार समझता है कि हम समाज की रचना करेंगे, यदि कोई मिलने के लिये जाय तो डाइरेक्टर महोदय कुर्सी से उठकर टहलने लगते हैं, यह परम्परा है। कोई भी सदस्य जाता है बात करने के लिये तो यह डायरेक्टर महोदय कुर्सी से उठकर टहलने लगते हैं कमरे में और सुनते नहीं हैं। श्रीमन्, मैं इसका एक ज्वलन्त उदाहरण दूं। मैंने उनसे बात की और कहा कि कुछ अध्यापक हम लोगों के पास आये और उन्होंने मांग रखी, नार्मल और माडल स्कूल के अध्यापकों ने, तो उन्होंने कहा अध्यापकों ने बहुत गलती की है क्योंकि उन्होंने पोलिटिकल एजेंसी के द्वारा यह बात मेरे कान में पहुंचाई है। मैं नहीं कह सकता कि जो जनता का प्रतिनिधि है वह आज उन अध्यापकों की समस्या हेड आफ दि डिपार्टमेंट के पास पहुंचाये तो उनको बुरा मालूम हो और वह यह कहें कि यह पोलिटिकल एजेंसी के द्वारा आयी है, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि या तो वह इस तरह की पालिसी बनायें कि हम लोग विभाग के किसी कर्मचारी से संबंध न रखें और यदि ऐसी पालिसी है कि हम लोग जाकर के उनकी समस्याओं को रखें तो यदि कोई अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

आपके कर्मचारी जो हैं, उनमें ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है। आप तो यहां कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन यह दम नहीं आप में कि आप ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा कर सकें। तो अधिष्ठाता महोदय, मैं यहां पर एजूकेशन प्रणाली के लिये बताना चाहता था। माननीय मंत्री जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया उसमें माडेल स्कूल और नार्मल स्कूल को तो छोड़ ही गये। मालूम नहीं उन्होंने उनको उपेक्षा की दृष्टि से क्यों देखा। उनकी पे का स्केल क्या है, क्या नहीं है, इसकी उन्होंने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह माडल और नार्मल स्कूल वालों के भविष्य के बारे में बताने की कृपा करें कि आखिर इनका भविष्य क्या होगा। यह वह लोग हैं जो कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को पढ़ाते हैं और अध्यापक बनाते हैं। (व्यवधान) जे०टी०सी०, एल०टी बहुत से नार्मल में हो सकते हैं। आप अध्यापक हैं, इसका ध्यान रखिये।

दूसरी चीज मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी जो माननीय मंत्री जी ने आंकड़े पेश किये और उसमें डिग्री कालेज के लिये जो स्केल रखा है लखनऊ में पहले २५०–२५–४००–२०–५०० वैसे ही मिलता था, लेकिन आज २७५–१५ इस तरह से कर दिया है। यानी २५ पहले मिलता था और अब १५ मिलेगा। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यह क्या है? उधर बढ़ा दिया और इधर ५ रुपये महीना का उसे लास ही होगा। जूनियर टीचर में २२०–३००–२०–४०० पहले था और अब किया है २२५–१५–३६० इस तरह से इसमें भी ५ रुपया महीना कम किया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि पहले से इन लोगों को जो लखनऊ के टीचर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, उनके लिये क्या सुविधा की है? आगरे का हो सकता है या और किसी आधार पर नापा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि लखनऊ में जो दिया जाता है वह यही है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमें शिक्षा प्रणाली की तरफ ध्यान देना है। बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी स्वार्थभावना के हमें आज समाज की रचना करनी है और समाज के वह नागरिक जो कि आगे आकर के देश के भविष्य को बनाने वाले हैं उनका निर्माण करना है। केवल क्लर्क या ऐसे लोगों को बनाकर के देश का उत्थान हम नहीं कर सकते हैं। इससे बेकारी बढ़ेगी और बेकारी बढ़ने से समाज में अशांति की भावना पैदा होगी। समाज अव्यवस्थित होता चला जायगा। स्कूलों की स्थिति यह हो रही है, अधिष्ठाता महोदय, कि लड़के उच्छृंखल

होते चले जा रहे हैं। अध्यापक उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इधर वह अपनी पे की मांग कर रहे हैं। तो जब स्कूल में अनुशासन नहीं है, लड़के अनुशासन-हीन होते चले जा रहे हैं, शिक्षा का स्टैंडर्ड गिरता चला जा रहा है, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने इतने लोगों को पढ़ा दिया, तो केवल अक्षर पढ़ा देने से समाज का उत्थान नहीं होगा। उत्थान तब होगा जब शिक्षा प्रणाली इस तरह की हो जिससे कि लोग अपनी ड्यूटी समझें, काम करना पसन्द करें, अपने जीवन को चलाने के लिये काम कर सकें और देश को ऊंचा उठाने के लिये सोशल वर्क करने के लिये तैयार हों। और जब सर्वांगीण शिक्षा की उन्नति होगी, सभी तरफ से लोगों को शिक्षित किया जायगा, उसके बाद हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वह अब कुछ प्रगति पर है, नहीं तो यही कहा जायगा कि अंग्रेजों ने सिर्फ क्लर्क बनाकर अपने दफ्तरों को चालू करने के लिये जो शिक्षा प्रणाली चालू की थी, उसको ही यह सरकार बराबर अपनाये चली जा रही है।

हम यह देखते हैं कि जवाहरलाल जी ने घोषणा की कि ओवरसियरों की जरूरत है। ओवरसियरों को शिक्षा देने के लिये ट्रेनिंग कालेज खुल गये। किन्तु आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओवरसियर बेकार घूम रहे हैं। इसलिये हमको यह सोचना चाहिये कि हम उतने कालेज ही खोलें जिनसे निकले लड़कों को हम खपा सकें। हमें यह भी सोचना चाहिये कि देहात में हम उन लोगों को कैसे शिक्षा दें जिससे वह काम करें। रूरल यूनिवर्सिटी खोली और दृष्टिकोण यह रखा कि किसानों के लड़के वहां पर पढ़ने आयेंगे, लेकिन ६२ बीघा रखकर २०० रुपये खर्च करने वाला कौन ऐसा किसान है जो इतना खर्च कर सकेगा। तो इस वजह से इतनी दूर किसानों के लड़कों का आना कठिन है और वहां एग्रीकल्चर कालेज इतने पर्याप्त नहीं हैं जहां पर उनको ढंग से शिक्षा मिल सके।

आज शिक्षा इतनी तेज और महंगी होती चली जा रही है कि साधारण आदमी अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकता। माननीय मंत्री जी ने पिछले बजट के अवसर पर कहा था कि हम आठवें तक शिक्षा निःशुल्क कर देंगे, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वह उसको पांचवें तक ही रखने को कहते हैं। इस प्रकार की घोषणा करने में उनका दोष नहीं है, बल्कि कांग्रेस की सारी घोषणा ही ऐसी हुआ करती है। जनता से कहा कुछ जाता है और बाद में अमल कुछ किया जाता है। सरकार को आठवें तक शिक्षा निःशुल्क करनी चाहिये न कि पांचवें तक, बल्कि अब तो उन्होंने एक क्लास और घटा दी। आप काश्मीर की तरफ देखें कि वहां पर ग्रेजुएट तक के लिये शिक्षा निःशुल्क है। वहां पर पोस्ट ग्रेजुयेट से भी कोई फीस नहीं ली जाती है। यहां पर आप उदाहरण सेंटर का दें तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप सेंटर का उदाहरण देना चाहते हैं तो उसके पे स्केल को भी अपने यहां कीजिये। क्या आप अपने यहां सेंटर का मंहगाई भत्ता भी देते हैं? इस वजह से सेंटर का उदाहरण प्राइमरी स्कूलों के लिये देना मुनासिब नहीं है। यहां पर भी आपको कैसे स्कूलों को खोलना चाहिये इसको अपने प्रदेश के आधार पर और अपनी सामाजिक व्यवस्था के आधार पर हमें सोचना पड़ेगा। हर प्रांत की अलग-अलग व्यवस्था के लिये और आबोहवा की दृष्टि से अलग-अलग समस्यायें होती हैं और उन्हीं समस्याओं के आधार पर आपको स्कूल खोलने होंगे।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मैं अपने शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत इस अनुदान का समर्थन करता हूं, किन्तु इसी सम्बन्ध में अपने कुछ विचार प्रकट करते हुए माननीय मन्त्री जी से यह चाहता हूं, कि वे उनको उसी रूप में लें जिस रूप में मैं उनको उपस्थित करना चाहता हूं। सन् १९५० में पहले-पहल इस प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की चर्चा हुई थी। सौभाग्य से वह खुल गया, लेकिन अभी तक उसकी न तो सिनेट बनी है और न कोई कमेटी। उसका परिणाम यह है कि वहां के केवल तीन

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

अधिकारियों के हाथ में सारा प्रबन्ध सौंप दिया गया है। वही प्रोफेसर नियुक्त करते हैं और वही सब प्रबन्ध करते हैं। अभी फरवरी में वहां की परीक्षा समाप्त हुई और मार्च से लेकर जून तक संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होगी किन्तु अभी मार्च के शुरू में ६, ७ प्रोफेसरों की, जिनकी तनख्वाह ५०० से ८०० तक है, नियुक्ति की गयी है। मैं समझता हूं कि जब विश्वविद्यालय में काम नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है तो इन प्रोफेसरों की नियुक्ति, यदि जुलाई में की जा सकती, तो अच्छा था।

इसी सम्बन्ध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि जो प्रोफेसर इस विश्वविद्यालय के बनने के पहले २५०,३०० और ४०० रुपये पाते थे उनका ग्रेड एकदम ८०० रुपये पर पहुंच गया है। इस दृष्टि से तो यह अच्छा है कि वे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बनें, लेकिन सोचना यह है कि एकदम इतनी वृद्धि क्या उस विश्वविद्यालय के लिये बोझ नहीं है। मेरी राय में अगर यह वृद्धि कुछ रुक कर की जाती तो अधिक अच्छा था। यह ग्रेड देते समय इस बात का खयाल नहीं रखा गया कि जो पहले प्रोफेसर थे उन्हें वह मिलना चाहिये या नहीं। मुझे जानकारी है कि दर्शन विभाग के हेड को वह ग्रेड इसलिये नहीं मिला कि वह उस वर्ग के नहीं थे जिस वर्ग का उस विश्वविद्यालय में प्राधान्य है। उसके बदले व्याकरण विभाग के हेड को दर्शन विभाग का हेड बना दिया गया है। दर्शन विभाग के हेड को इसलिये भी ग्रेड नहीं दिया गया कि वह सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय की तरक्की के लिये जरूरी है कि वह किसी वर्ग विशेष के हाथ में न होकर संस्कृत के प्रकांड पंडितों के हाथ में हो। मैं उस संस्कृत कालेज की प्रबन्धक संस्था का सदस्य रहा हूं और मेरा तजुर्बा है कि वहां यह बात पहले भी चलती थी और आज भी है कि वहां का अध्यापक वर्ग या प्रिंसिपल उस वर्ग से आता था जिसे सरयूपारीन कहा जाता है। मैं चाहूंगा कि वह संकुचित प्रवृत्ति अब नहीं रहनी चाहिये और वह विश्वविद्यालय सबके लिये खुला होना चाहिये।

मैंने सुना कि पिछले दिनों वहां कुछ अध्यापकों के प्रयत्नों से एक हरिजन विद्यार्थी दाखिल किया गया था। इससे कुछ और अध्यापकों को बड़ा कष्ट हुआ। खेद की बात है कि मैं यह तो नहीं कह सकता कि कारण क्या हुआ, मगर एकमात्र वह हरिजन विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय को छोड़ कर चला गया। मैं चाहूंगा कि जब तक सीनेट और दूसरी संस्थायें कायम न हो जावें तब तक प्रबन्ध केवल ३ आदमियों के हाथ में न हो और सरकार जांच करे कि इस दिशा में क्या सुधार किया जा सकता है। सीनेट की स्थापना भी जल्द होनी चाहिये।

विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन की ओर ध्यान दिलाया। मैं संस्कृत पाठशालाओं के अनुदान की कमेटी का, जो सरकार की ओर से थी, ५ वर्ष तक अध्यक्ष का काम करता रहा हूं। मैंने देखा कि संस्कृत पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या कम होती थी और सरकार ने काफी अनुदान इन पाठशालाओं को दिये हैं। हमने तो यहां तक किया था कि यदि किसी पाठशाला में साल में ३ विद्यार्थी भी संस्कृत की परीक्षा में बैठते हैं तो हम उसे अनुदान देते थे। लेकिन ऐसी पाठशालाओं को अनुदान देने से संस्कृत की शिक्षा की तरक्की हो सकती है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मेरी राय में संस्कृत शिक्षा के सुधार के लिये सरकार को ऐसी कमेटी बनानी चाहिये जो यह देखे कि इसमें किस प्रकार से तरक्की की जा सकती है। भारत सरकार ने संस्कृत पर एक कमीशन बैठाया था। उसकी रिपोर्ट पर लोक सभा में विचार भी हुआ। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि अगर हमें भारतीय संस्कृति को अपने आगे रखना है और उसे नये रूप में प्रकट करना है और यह इच्छा रखनी है कि भारतीय संस्कृति की प्राचीनता की अच्छाइयों को हम कायम रखें, तो हमें संस्कृत की शिक्षा का नये रूप से प्रशिक्षण करना होगा।

पहले संस्कृत की पाठशालाओं के निरीक्षकों का हेडक्वार्टर बनारस में होता था। मैंने कोशिश की और पिछले शिक्षा मंत्री ने उसे स्वीकार किया और ये निरीक्षक उन स्थानों में भेजे गये जहां उनके असली हेडक्वार्टर हैं। उनके मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुई है। मुझे खेद है कि क्योंकि वह सनातन धर्म की परिभाषा में नहीं आते हैं इसलिये वे लोग जो कि कमीशन में उस पद के लिये परीक्षा देने गये थे और कामयाब नहीं हुए व उनके रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं। यही नहीं, उनके खिलाफ कुछ लांछन भी लगाये गये हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूं और मैं यह समझता हूं कि केवल विचार-भेद या मतभेद होने की वजह से किसी निरीक्षक को उसके पद से नहीं हटाया जाना चाहिये।

अगला प्रश्न आता है वेतनों का। हमारे बहुत से भाइयों ने इसके बारे में कहा। मैं समझता हूं कि वेतन माध्यमिक शिक्षक संघ के आन्दोलन के अनुसार बढ़ना चाहिये। किसी जमाने में जब अंग्रेज यहां थे तो उन्होंने डिग्री कालेजों के लिये या उच्च शिक्षा के लिये बाहर से प्रोफेसर लाने की योजना बनायी थी। उन्होंने वेतनक्रम बहुत ऊंचे रखे थे। आज अगर हम इस बात पर विचार करें और डिग्री कालेजों और प्रिंसिपलों और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों का वेतन उतना न रखें जो उस समय था या जो आज रखा जा रहा है, तो मेरा खयाल है कि शिक्षा को हम महंगी होने से बचा सकते हैं और छोटे अध्यापकों का वेतन बढ़ा सकते हैं। छोटे अध्यापक आन्दोलन किस लिये करते हैं? आप इंटर कालेज के प्रिंसिपल को २००,२५० से स्टार्ट करते हैं और डिग्री कालेज के प्रिंसिपल को ६०० से शुरू करते हैं। इतने अधिक अन्तर की जरूरत नहीं है। बजाय ६०० के ३५०, या ४०० से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे हम शिक्षा की महंगाई को तो दूर करेंगे ही, साथ में शिक्षकों के वेतनों की असमानता को भी दूर करेंगे।

छठी कक्षा में फीस रखने की बात भी आयी। मैं सरकार के इस दृष्टिकोण को ठीक समझता हूं कि प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त हो जाय। अगर इसी दृष्टि से छठे दर्जे में फीस लगाने की बात है तो उस पर विचार किया जाना चाहिये। लेकिन यह कहना कि छठी कक्षा में फीस होगी और हम इसलिये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा करेंगे और उसे प्रारम्भ न करें, यह भी उचित नहीं होगा।

मैंने मंत्री जी के सामने एक बात २-३ बार पेश की है। सन् १९४७ में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। कहा जाता है कि हम सोच रहे हैं कि गुरुकुल कांगड़ी को अनुदान दिया जाना चाहिये। मैंने मंत्री जी से जब कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि क्यों नहीं मिलना चाहिये। लेकिन आज १२ वर्ष बाद भी यह तय नहीं हो पाया कि गुरुकुल कांगड़ी को अनुदान दिया जाना चाहिये या नहीं। मैं मंत्री जी से उनकी नीति का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि या तो वह कहें कि हम देंगे या कहें कि हम नहीं देंगे। अगर देने की बात तय हो गयी है तो मैं उनको बधाई देता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तय है कि उसे अनुदान मिलना चाहिये। इसमें कोई भी सैद्धांतिक मतभेद नहीं है।

श्री दीनदयालु शास्त्री---सन् १९४७ से १९५९ तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि क्या दिया जायगा। केवल सिद्धांत को बार-बार कहने से कोई लाभ नहीं है।

हमारे देश में यह गलत विचार हो रहा है कि अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये। इसकी अनिवार्यता हमारे देश के विकास में बाधक है। अगर हम समझते हैं कि अंग्रेजी कि शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय कामों के लिये आवश्यक हैं तो उन लोगों को ही पढ़ाई जाय जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जाना चाहते हैं। लेकिन गली, कूचे और बाजार में घूमने वाले हर विद्यार्थी को यह नहीं पढ़ानी चाहिये। ऐसा करके हम मानसिक पराकाष्ठा की ओर जाते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या हमारे प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये। वे इस बात को मानेंगे कि वह इस पाबन्दी को हटा देंगे तो विद्यार्थियों के मस्तिष्क से एक बहुत बड़ा बोझ हटा देंगे और वे लोग दूसरे विषयों में तरक्की कर सकेंगे।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के विरोध में तथा माननीय रामायण राय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को निः शुल्क अनिवार्य करने का वायदा किया था, लेकिन यह सरकार अभी तक अपने वायदे को पूरा नहीं कर सकी है, हम यही नहीं, सरकार को पीछे भी जाते हुये देखते हैं। अभी इसी सदन में कुछ दिनों पहले माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि हम प्रदेश की छठवीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त करते हैं और साथ ही निकट भविष्य में ७ वीं और ८ वीं कक्षा की शिक्षा भी निःशुल्क कर देंगे। मगर आज उन्हीं शिक्षा मंत्री द्वारा यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कक्षा ६ की फीस यह सरकार निःशुल्क रखने न रखने पर पुनः विचार कर रही है। सरकार जब समाजवाद लाना चाहती है तो वह आज अपना कदम पीछे क्यों हटा रही है? जब कि हमें निर्माण करना है, शिक्षा को आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है, ऐसी हालत में मंत्री जी आगे चल कर फिर पीछे क्यों जाना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है।

जहां तक स्कूलों के खोलने का सवाल है, इस सरकार की खास नीति यह रही है कि शहरी क्षेत्रों में स्कूलों की बहुतायत हो और देहाती क्षेत्रों में उनकी कमी हो आखिर देहातों में स्कूल खोलने में भेदभाव क्यों बरता जाता है। इसका क्या कारण है? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में जब जवाब दें तो इस बात को साफ करें कि देहाती क्षेत्रों में यह सरकार क्यों इस तरह की नीति अपना रही है। जब कि शहरी क्षेत्रों में स्कूलों को अधिक से अधिक अनुदान दिया जाता है, देहाती क्षेत्र के स्कूलों को नहीं दिया जाता है। जिनकी माननीय मंत्री जी तक पहुंच है या शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंच है, उनको अनुदान जल्दी मिल जाता है, लेकिन जिनकी पहुंच नहीं है उनको शिक्षा का अनुदान नहीं दिया जाता है। जो क्षेत्र १० बरस पहले पिछड़े हुए थे वे आज भी पिछड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है?

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के कितने प्राइमरी स्कूलों के भवन बन चुके हैं? आज भी बहुत से विद्यार्थी पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। क्या उनको धूप नहीं लगती? क्या उनके ऊपर पानी नहीं बरसता? उनकी परवाह सरकार को क्यों नहीं है? वह विद्यार्थी आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे वह समझेंगे कि राष्ट्र में उनका भी हिस्सा है? आज बहुत से स्कूलों में बच्चों को बैठने को जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं इस ११ वर्ष के समय में हम उनके बैठने का इन्तजाम कर सके? क्यों नहीं उनके लिये टाट की व्यवस्था कर सके? क्यों नहीं उनके लिये फर्नीचर की व्यवस्था कर सके? आज उन अध्यापकों के लिये खाना बनाने की कोई जगह नहीं है जहां बैठ कर वे अपना खाना तक बना सकें। इस मंहगी के जमाने में उनको वेतन क्या दिया जाता है? मुझे तो माननीय मंत्री जी से उनके वेतन-क्रम की बात सुन कर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी उनको इस प्रकार से वेतन प्रदान करेंगे जिससे उनको सन्तोष होगा और सारे प्रदेश को सन्तोष होगा। और इस तरह से उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे। लेकिन आज उनके वेतन में इस तरह की वृद्धि की गयी है जिसे देख कर बहुत ही आश्चर्य हुआ। बहुत दिनों से सुनाई देता था कि कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी घोषणा माननीय मंत्री जी करेंगे, वह क्रांतिकारी घोषणा क्या थी, आज सभी माननीय सदस्यों को मालूम हो गया।

दूसरी तरफ श्रीमन्, विद्यार्थियों के रहन सहन का सवाल है। अगर विद्यार्थियों का रहन सहन खराब हो जाता है तो उसका असर सारे देश और समाज पर पड़ता है। आज हम देखते हैं कि स्कूलों में अनुशासन नहीं रह गया है, इसका क्या कारण है? आज अध्यापक इतने अयोग्य क्यों हो गये हैं कि वे विद्यार्थियों को अनुशासन में नहीं ला रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अध्यापक भी दलबन्दी में पड़ गये हैं जिससे वे विद्यार्थियों की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते हैं। आज हम देखते हैं कि जो हमारे देश की वेशभूषा है उसके विपरीत उनको पाते हैं। वे कोट और पैंट पहना करते हैं तथा और भी तरह तरह की पोशाकें वे पहनते हैं जो भारतीय परम्पराओं के बिल्कुल विपरीत हैं। इस तरह से अंग्रेजियत की बू उनके अन्दर घर कर गयी

है जब कि हम उनके अन्दर हिन्दुस्तानी तरीका लाना चाहते हैं। तो यह तरीका कैसे आयेगा ? इसका सबसे बड़ा असर समाज पर पड़ता है। और यह तरीका उनके अन्दर तब तक नहीं आयेगा जब तक कि इस सरकार की तरफ से उधर ध्यान न दिया जाय जो कि समाजवादी व्यवस्था लाने का दावा करती है। मैं समझता हूं कि इस देश को आगे ले जाने का एकमात्र यही रास्ता हो सकता है कि उनकी वेशभूषा में परिवर्तन किया जाय और उसका असर समाज पर भी जरूर पड़ेगा ।

जहां तक अध्यापकों के तबादले का सवाल है, हम देखते हैं कि उसमें भी भेदभाव और पक्षपातपूर्ण बातें की जाती हैं। आखिर यह क्यों होता है ? चन्द बाअसर अध्यापक होते हैं जिनकी पहुंच ऐसे अधिकारी के पास होती है जिसके पास शक्ति है, तो वे अपना तबादला मनमानी जगह पर करा पाते हैं, लेकिन जिनकी पहुंच नहीं होती है ऐसे अध्यापकों को ऐसी जगहों पर भेजा जाता है जहां रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती और साथ ही उनके लिये वह स्थान उपयुक्त भी नहीं होता है। अगर अधिकारी कहीं पर किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो उनका तबादला सबसे खराब जगह पर होता है ।

अब मैं अध्यापिकाओं के तबादले की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनके तबादले में इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि उनको खासकर के ऐसी जगह पर भेजा जाय जहां से उनका घर नजदीक हो, वे अपने पति जी के नजदीक रह सकें ताकि उनको हर प्रकार की सुविधा रहे, उनकी हिफाजत हो सके।

दूसरी तरफ श्रीमन्, मैं आपका ध्यान देहात के विद्यार्थियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। देहात के अधिकतर विद्यार्थी गरीब और निर्धन हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें या आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनके पास किताबों की कमी है, फीस की कमी है, खाने की कमी है यानी हर प्रकार की चीज की कमी है जिसकी वजह से वे साधन मुहइया नहीं कर पाते हैं, उससे वे नहीं पढ़ पाते हैं। इसके अलावा जितनी किस्म की शिक्षा देने की प्रणाली प्रदेश में है उन सभी का संचालन एक ही विभाग द्वारा होना चाहिये। भिन्न-भिन्न विभागों के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था का जो संचालन हो रहा है वह ठीक नहीं है। अगर एक ही विभाग के जरिये संचालन किया जाय तो शिक्षा के प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा सुधार कर पायेंगे।

जहां तक संस्कृत विद्यालयों का सवाल है, हम देखते हैं एक दिन वह भी देखते थे कि जब संस्कृत विद्यालयों की तरफ देश का ध्यान था, सरकार का ध्यान था। लेकिन आज हम कमी पा रहे हैं। ऐसा क्यों ? जब कि हम अपने समाज को भारतीय संस्कृति के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उन संस्कृत पाठशालाओं की तरफ सरकार की उपेक्षा की नीति का क्या कारण है ?

दूसरी तरफ श्रीमन्, मुझे उर्दू के स्कूलों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना है। हम देखते हैं कि उनके प्रति सरकार की वही उपेक्षा की नीति है। आखिर इसका क्या कारण है ? क्यों उनको शिक्षा अनुदान नहीं दिया जाता, उनके भवन के लिये अनुदान नहीं दिया जाता, जब कि सरकार का लक्ष्य समाजवाद लाना है। एक वर्ग विशेष की कोई बात नहीं करनी है, सब वर्गों के जरिये से अब भी इस सरकार को चलना है और सब के हित को देखना है, फिर ऐसी बात क्यों नहीं की गई जिससे उन्हें भी कुछ संतोष हो ?

हम यह भी देखते हैं कि प्रारंभिक स्कूलों में अध्यापकों द्वारा बच्चों को पास करने में अधिक से अधिक रुपया मांगा जाता है। वह भी दिन था जब हम लोग भी पढ़ते थे। हमसे भी हमारे अध्यापक एक आध रुपया लिया करते थे, लेकिन आज तो १०,१५,२० रुपये मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हम पास कर देंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री रामायण राय के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---जनाब चेयरमैन साहब, जो अनुदान शिक्षा मंत्री जी ने हाउस के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं कि जहां तक तालीम और इल्म का सवाल है यह इन्सान के लिये बहुत जरूरी और लाजिमी चीज है गो इसका नम्बर जिन्दगी में चौथे नम्बर पर आता है। सबसे पहला नम्बर खाना, फिर कपड़ा उसके बाद मकान और फिर तालीम। लेकिन मौजूदा जमाने में जितनी आवश्यक और जरूरी चीज ज्ञान और इल्म है उससे ज्यादा और कोई चीज नहीं। इसके बावजूद भी इधर से और उधर से इस बात की कोशिश की गई कि तालीम में यह खराबियां हैं, कमियां हैं, देहात में स्कूल होने चाहिये, फलां स्कूल को एड मिलती है, फलां को नहीं, उस्तादों के लिये रहने की जगह है या नहीं, गावों में फर्नीचर है या नहीं, लेकिन इसी के साथ यह भी कहा गया कि हम इस तालीम के मौजूदा सिस्टम से मुत्तफिक नहीं हैं। मैं इस सिलसिले में यह कहूंगा कि किसी चीज पर एतराज करना, उसकी आलोचना करना, टीका टिप्पणी करना बहुत आसान चीज है। लेकिन काश इसी के साथ-साथ जहां तमाम खराबियां बतला रहे थे अगर माननीय सदस्य इस बात की भी कोशिश करते कि उनके सुधार का क्या तरीका है, इस सिलसिले में सुझाव भी पेश करते कि गो यह खामियां जरूर हैं मगर यह खामियां इस तरह से दूर हो सकती हैं तो अच्छा होता। गलतियों का जहां तक बतलाने का सवाल है वह सही है, मगर जहां दुरुस्ती के सुझाव का सवाल है वह सिफर के बराबर है। इस बात की कोशिश है कि स्कूलों का जाल देहातों में फैला दिया जाय, गली-गली और कूंचे-कूंचे में फैला दिया गया, लेकिन जब तक तालीम को अच्छा नहीं किया जाता, मकसद नहीं हल हो सकता। पहले यह तय किया जाय कि तालीम किस तरह की हो तो ज्यादा बहतर होगा। अंग्रेज जब आये तो उन्होंने बोर्ड बनाया, पढ़े-लिखे लोगों की कमेटी बनाई और सोचा कि किस तरह की तालीम हिन्दुस्तान में चलानी है।

मान्यवर, आपके द्वारा यह बतलाऊं कि लार्ड मैकाले ने सन् १८३२ में जब तालीम की चर्चा की तो उसका मकसद था कि इस किस्म के स्कूल खोलने चाहिये कि यहां का पढ़ा लिखा चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, हमारे कालेज से निकलने के बाद न हिन्दू हिन्दू रहे, न मुसलमान मुसलमान रहे, बल्कि गोश्त पोस्त के एतबार से हिन्दुस्तानी और दिलोदिमाग से अंग्रेज रहे। उन्होंने एक मकसद तय कर लिया था कि हमें हिन्दुस्तान में किस किस्म की तालीम जारी करनी है। इसके अलावा उनका मकसद यह भी था कि जो हमारे मशीन के पुर्जे ढलकर यहां से निकलें वह हमारे मकसद में कामयाब होते हों। उसका दिमाग किसी गोश से, वह जिन्दगी क किसी कोन से हमार खिलाफ तो न जायं। जब क्लर्कों की जरूरत हुई तो उसने अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा चाहा ढाल दिया। लकिन आज जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ और आजाद हुए १०-११ साल गुजर गये तो मैं समझता हूं कि हमें सबसे पहले बैठ कर यह सोचना है कि हमारा मकसद अब इसके मुताल्लिक क्या है। जब तक कि हमारा मकसद नहीं होगा तब तक हम अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, इस किस्म के विद्यार्थी नहीं निकाल सकते ह जिस किस्म के हमारे मुल्क को जरूरत हैं। यही लोग हैं जो हिन्दुस्तान के आने वाले मकसद को पूरा करके भविष्य को उज्ज्वल और रोशन करेंगे। लकिन जब तक हमारी तालीम का मकसद ही नहीं है। एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करन के बाद अंधेरे में ठोकर खाता है, उसे नहीं मालूम कि तालीम हासिल करने के बाद उसे क्या करना है, तो क्या फायदा हो सकता है। अगर एक शख्स डाक्टर बनना चाहता है लेकिन रोटी और कपड़े की मजबूरी उसको जरूरत मजबूर करती है इंजीनियर बनने के लिये। एक आदमी मास्टर बनना चाहता है लेकिन मजबूरी उसे मजबूर करती है क्लर्की के लिये। एक आदमी एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है लेकिन हालात की वजह से नहीं बन सकता है। तो मालूम होता है कि हम अपनी जिन्दगी का मकसद अंधेरे में टटोल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। जब तक कि यह तय न कर लें कि किस किस्म के पुर्जे ढालने हैं हमें कारखाने में, वह कारखाना कितना ही बुलन्द

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, कितना ही अच्छा फर्नीचर हो, कितने ही काबिल इंजीनियर्स हों, हम उससे उतना काम नहीं ले सकते जितना कि लेना है ।

आज जितने ग्रेजुएट वगैरह कालेज से निकलते हैं उनमें डिसिप्लिन बहुत कम है । उनके सामने एक मकसद यह रहता है कि बी०ए० करना है या एम०ए० करना है । लेकिन तंदुरुस्ती के लिये जैसे गिजा की जरूरत है, अच्छे विटामिन्स की जरूरत है और वक्त पर नहीं मिलती और खाने पीने में किसी किस्म की गड़बड़ी हो जाती है तो तंदुरुस्ती बिगड़ जाती है, इसी तरह से हमारी तालीम की बात है । अगर इस तरह की तालीम नहीं मिली जो उसकी रूह को चाहिये तो जाहिर है कि वह तालीम हमारे मुफीद मकसद से बेखबर रहेगी । इसलिये मेरी गुजारिश है कि जिस किस्म की तालीम आज हमारे स्कूलों, कालेजों में दी जा रही है उसका मकसद साफ हो जाय तो बेहतर है ।

आज कोशिश की जाती है कि मास्टरों के वेतन बढ़ाये जायं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाय । वाकया है कि आज कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो यह न चाहता हो कि वह लोग आज से जो इस तरह से कम तनख्वाह में जिन्दगी गुजार रहे हैं उनको ज्यादा पैसा दिया जाय । हर शख्स, चाहे इधर का बैठने वाला हो या उधर का या किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता हो, सभी चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाय, उनकी भी जरूरियात ऐसी हैं जैसी किसी भी हमारे आम नागरिक की हैं, लेकिन जब जरूरियात का सवाल आता है तो कोई रास्ता, कोई हल नहीं बताया जाता कि यहां से, इस सीग़े से, आमदनी करके उन की तनख्वाहों को बढ़ाया जा सकता है और इस तरह से एकनामिक हालत बेहतर बनायी जा सकती है । जब कि यह बराबर कहा जाता है कि टीचर्स की हालत बहुत खराब है लेकिन महज कहने से ही कि उन की तनख्वाह कम है, कोई काम नहीं चलता, उन की हालत से कोई इन्कार नहीं करता, लेकिन अगर एक तरीका भी बताया जाय, एक राहेअमल भी बताया जाय कि इस जगह से आमदनी और पैसा मुहैया किया जा सकता है जिस से उन की तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है, तो ठीक होता लेकिन वह कुछ नहीं बताया जाता और सिफर ही नजर आता है । किसी चीज़ पर बहस करना आसान है, तकरीर करना भी आसान है, लेकिन यहां पर जो तकरीर हो वह इसलिये न हो कि उस का एक रिवाज हो गया है या बोलना हमारा एक पेशा हो गया है बल्कि हमारा एक फर्ज है, एक हमारी जिम्मेदारी है, वैसे तो हम दिन रात देहात और शहरों में बोलते हैं । यहां पर जो कुछ हम कहते हैं उस के पीछे एक हमारी जिम्मेदारी होना चाहिये, हमारी जबान से ऐसे अल्फाज़ अदा हों कि जिनका वजन हो और हम हर चीज को इस जिम्मेदारी के साथ कहें कि अगर कभी ऐसा भी हो जाय कि यह जिम्मेदारी खुदा न ख्वास्ता हमारे ऊपर आ जाय तो हम उस को खुद ही पूरा कर सकें । इस वास्ते हमारे ठोस सुझाव होने चाहिये और हमारा एक अमली कदम, मजबूती के साथ उठना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं एक तरफ और हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे तरीके तालीम में क्योंकि हमारे देश का एक अलग तमद्दुन है, एक रिवायती तहजीब है कुछ हमारी परम्परायें हैं और हमारा एक फिलसफा है जो खिदमत और सेवा का सबक सिखाता है । आज भी मिसाल के लिये गुरुकुल कांगड़ी और देवबन्द का नमूना हमारे सामने है । यह हमारे ऐसे तालीमी इदारे हैं कि जहां पर आज भी तालिबेइल्म को किताबें पढ़ने के लिये दी जाती हैं और जिन्दगी की दीगर जरूरी चीजें मुहय्या की जाती हैं और हर किस्म की तालीम वहां के तुलबा दरी पर बैठकर पाते हैं, वहां मकसद इल्म हासिल करना है और जो वहां के मुदर्रिस हैं उन का मकसद है तालीम देना और तुलबा को हर सींग़े में आगे बढ़ाना । उन का मकसद रुपया पैदा करना नहीं है, तालिबेइल्मों का मकसद अगर

[श्री अहमद बख्श]

हुब्बुलवतनी और मुल्क का सिपाही बनना न हो तो किसी किस्म की भी तालीम का फायदा नहीं उठाया जा सकता और न ऐसे लोग देश के मुस्तकबिल को ही रोशन कर सकते हैं। आज जो फौज हर साल हमारे तालीमी इदारों से निकलती है उन में वह मुल्क की खिदमत के जजबात नहीं पाये जाते, उन में मुल्क की तरक्की व तामीर की वह लगन नहीं पायी जाती जो किसी भी आजाद मुल्क के नौजवानों में, मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिये जरूरी हैं।

इसके लिये बड़ी-बड़ी इमारतों, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज और उम्दा फर्नीचर की और बड़े-बड़े मैदानों की जरूरत नहीं है, उन के बगैर भी तालीम हो सकती है। देश की तवारीख इस बात की शाहिद है कि यहां किस तरीके से पहले जमाने में तालीम दी जाती थी। उस जमाने में पेड़ों के नीचे-ऊंचे से ऊंचे दर्जे की तालीम दी जाती थी और वहां पर जाहिल नहीं बनाये जाते थे। आप को इमारतों की क्या जरूरत है, आप को आम खाना है या पेड़ गिनना है? पेड़ भी न हो, साया भी न हो और तालीम अच्छी हो तो हम अच्छे नागरिक बन जायेंगे। उस वक्त पेड़ भी खड़ा हो जायेगा, साया भी हो जायगी, इमारत भी बन जायगी, छप्पर भी बन जायगा। हमारा मकसद महज इमारतें बनाना और अच्छे-अच्छे फर्नीचर बनाना नहीं है बल्कि इल्म हासिल करना है।

इन अल्फाज़ के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्तावों की मुखालफत करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामायण राय द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत लम्बी प्रतीक्षा के बाद जिस वेतन क्रम की घोषणा की है उसकी एक प्रतिक्रिया प्रदेश में निश्चित रूप से होगी। हमारे प्रदेश की जनता और अध्यापक वर्ग इस बात का स्वागत करेगा कि अध्यापकों की बहुत सी मांगों में से एक मुख्य मांग जो उनके वेतन-क्रम को बढ़ाने की थी उसका एक अंश माननीय शिक्षा मंत्री ने पूरा किया, लेकिन वहीं हमारे अध्यापकों का एक बहुत बड़ा भाग, जिसका बहुमत है इस वेतन-क्रम की घोषणा के बाद उसमें घोर निराशा होगी। श्रीमन्, प्राइमरी स्कूल के उस लम्बी और बड़ी संख्या के उन अध्यापकों का क्या होगा जिनका वेतन-क्रम आज की बढ़ती हुई मंहगाई के वक्त में इतना कम है कि एक इन्सान के लिये जितनी आवश्यक चीजें होनी चाहिये उन्हें भी वह खरीद नहीं सकते। हमारे प्रदेश के नार्मल स्कूलों के अध्यापक, माडेल और जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को बहुत बड़ी आशा लगी हुई थी कि वेतन क्रम में जो बढ़ोत्तरी होगी उसमें उन्हें निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जायगी, इसलिये कि आज के युग में उनका वेतन क्रम सबसे कम है। मैं मानता हूं कि उनके वेतन-क्रम की बढ़ती में सरकारी कोष के ऊपर एक बहुत बड़ा भार पड़ता, लेकिन वह एक आवश्यक मांग थी और इतनी जरूरी थी कि उसको टालना इस लाजिक के ऊपर कि हमने ढाई रुपये की बढ़ोत्तरी अभी की है और ५ रुपये की पिछले साल की थी वह उनकी तनख्वाह में शामिल होगा, यह कहां तक उचित है? ढाई रुपया तो टेम्पोरेरी रिलीफ है उससे मंहगाई के जमाने में कितना रिलीफ मिलेगा, इसको वह स्वयं जानते होंगे।

दूसरे हमारे माडेल स्कूल के अध्यापकों और असिस्टेंट अध्यापकों की एक अर्से से मांग थी और उनके प्रतिनिधि मंडल माननीय शिक्षा मंत्री और सरकार से मिले हैं कि उनका वेतन-क्रम बहुत कम है, बल्कि माडेल स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों में विषमता की जाती है। जे० टी० सी० और बी० टी० सी० के अध्यापकों में भेद-भाव बरता जाता है, इसको दूर करने की एक अर्से से मांग थी। मुझे दुःख इस बात का है कि शिक्षा मंत्री ने इस अत्यन्त न्यायोचित मांग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। यही नहीं, बल्कि उनकी पदोन्नति का भी कोई रास्ता नहीं है जबकि हर एक विभाग में होता है और उसके लिये रास्ता खुला होता है।

जे० टी० सी० वालों के लिये तो गुंजायश है कि वह आगे बढ़ कर बड़ा वेतन प्राप्त कर सकें, लेकिन बी० टी० सी० के लिये कोई गुंजायश नहीं है। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री इस बात की तरफ भी ध्यान देंगे।

मुझे शिक्षा विभाग के बारे में यह भी कहना है और इस बात को सभी मानते हैं कि आज इसकी नितान्त आवश्यकता है कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आमूल परिवर्तन हो। हमारे प्रदेश का जो शिक्षा प्रशासन है उसमें और शिक्षा का संगठन और जो ढांचा है, उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज इस बात स भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा विभाग क अन्दर एक निश्चित और एक रूप नियोजन की बिलकुल कमी ह। श्रीमन्, हमारी एजूकेशनल पालिसी और हमारा एजूकेशनल स्ट्रक्चर बिलकुल अनप्लान्ड है और किसी भी समाजवादी युग में समाजवाद की बात करते समय एजूकेशन में कोई प्लानिंग न हो इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता। जहां स्कूल और कालिजों के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है वहीं पर विद्यार्थी क्यों आदर्श-च्युत हैं, आज शिक्षा स्तर क्यों गिरता जा रहा है, विद्यार्थियों की आशाएं क्यों नहीं पूरी हो पा रही हैं, शिक्षित बेकारों की संख्या क्यों बढ़ रही ह, यह क्या गम्भीर चेतावनी नहीं है? जिसके ऊपर सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिये। हर समाजवादी मुल्क में इस बात की व्यवस्था होती है, एक प्लानिंग होती है कि हम कितने शिक्षित नवजवान पैदा करें, उनको कैसे काम में लगायें। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि जहां हम यूनिवर्सिटियों और कालेजों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, वहां स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स बढ़ाये जायं जिनके अन्दर लोगों को टेक्निकल शिक्षा दी जाय, आज इंजीनियरिंग इंस्स्टीट्यूशन्स को बढ़ाने की आवश्यकता है, आज टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स को बढ़ाने की आवश्यकता है और ऐसी संस्थाओं के बनाने की जरूरत है जिनके अन्दर काटेज इंडस्ट्रीज और छोटे-मोटे उद्योग हमारे बच्चे सीख सकें और निकलने के बाद उनको कोई न कोई इम्प्लायमेंट मिल सक। हमार एक अलीगढ़ के प्रोफेसर चीन से लौट कर आये थे और उन्होंने मुझे बताया कि चीन के अन्दर आज यूनिवर्सिटी का एक भी ग्रेजुएट अनएम्प्लायड नहीं है। आज चीन की शिक्षा संस्थाओं के अन्दर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स की संख्या बराबर बढ़ती चली जा रही है। वहां से प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करके नवयुवक निकलते हैं। उसके सामने रोजी प्राप्त करने का प्राब्लम नहीं होता। चीन के अन्दर नवयुवकों में अनुशासन है, उनके अन्दर उत्साह है, उनके अन्दर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण, एक नेशनल आउटलुक बनता जा रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली के अन्दर प्लानिंग का अभाव है। आज हम अपने विद्यार्थियों को और अपने प्रदेश की जनता को ऐसी दिशा में लिये चले जा रहे हैं जिसका कोई लक्ष्य नहीं है और न कोई आदर्श ही मालूम होता है।

दूसरी बात यह है कि जहां हम सोशलिस्टक पैटर्न की बात कहते हैं वहां आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पैटर्न को हम अपनी शिक्षा संस्थाओं के अन्दर भी लायें। हमारे प्रदेश के अध्यापकों की मांग एक अर्से से यह है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स और नान-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स के अध्यापकों में जो डिस्पैरिटी है उसको समाप्त किया जाय। सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाया भी, लेकिन आज भी जो वेतन-क्रम किया गया है अगर आप उसकी तुलना करें तो आज भी एक बहुत बड़ा गैप उन दोनों के बीच में है। उस दिशा में जो प्रयास है वह एक छोटे से वर्ग के लिये छोटा सा कदम है। इसमें और तेजी से कदम बढ़ाना चाहिये। नान-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स के अध्यापकों का वेतन बढ़ना चाहिये और डिस्पैरिटी समाप्त होनी चाहिये। इसके लिये चाहे हमें प्रदेश के टैक्सेशन का स्ट्रक्चर बदलना पड़े और चाहे प्रदेश के कुछ वर्गों के उपर टैक्स का भार अधिक करना पड़े, लेकिन इस कदम को निश्चित रूप से उठाना चाहिये। मैं यह भी राय दूंगा कि हमारी एकानामी कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं, उसमें जितना रुपया बचता है, वह सब शिक्षा विभाग को दे

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दिया जाय। यदि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में शिक्षा बढ़े तो हमें यह करना पड़ेगा। हमारी शिक्षा तभी आगे बढ़ सकती है जब सरकार के दिमाग में इस बात क लिये हिचक न हो।

तीसरी बात यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि यदि हम अच्छे नागरिक बनाने का स्वप्न देखते हैं और देखना भी चाहिये, तब हम एक आदर्श रख कर उसी के मुताबिक काम करें। हम अपने इतिहास की रूपरेखा बदलें। जो इतिहास हम अंग्रेजी जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं उसी तरह से आज भी पढ़ते हैं। उसमें हिन्दू मुसलमानों को लड़ाना सिखाया जाता था। यह एक वर्ग से दूसरे वर्ग के प्रति घृणा का भाव पैदा करता है। मुझे दुःख है कि आज भी हमारा इतिहास, जो कालेजों में पढ़ाया जाता है, वह उससे आगे नहीं बढ़ता है। और वह इतिहास उसी दूषित भावनाओं से और दूषित वातावरण को बढ़ावा देता है। यही नहीं, बच्चों की किताबों के अन्दर राजनीतिक दृष्टिकोण से पाठ निर्धारित किये जाते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से पाठ उसमें रखे जाते हैं। मेरे हाथ में इस समय नाइन्थ और टेन्थ क्लास में पढ़ायी जाने वाली पुस्तक है जिसमें डाक्टर धीरेंद्र वर्मा का एक लेख है स्वदेशी साम्यवाद। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को गालियां दी गयी हैं और सिवाय इसके उसमें और कुछ लिखा नहीं गया है। अगर सरकार इस बात का प्रचार करती है कि वह चाहती है कि स्टेट के अन्दर अच्छे नागरिक पैदा हों तो उसको क्या इस बात का हक है कि प्रजातंत्र की दुहाई देकर एक ऐसी पार्टी के विरुद्ध लेख लिखवावे और उसको बच्चों को पढ़वावे, जिस पार्टी को अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त हो और जिस पार्टी की इस देश के एक सूबे के अन्दर हुकूमत कायम हो। फिर क्यों ऐसी बात होती है? अगर उपेक्षा से ऐसा पाठ छपा है तो यह शिक्षा विभाग की कमजोरी और लापरवाही है और अगर शिक्षा विभाग ने जानबूझकर किया है तो मैं फिर उस पर पक्षपात का आरोप लगाता हूं।

इसी प्रकार ऐसे भी लेख लिखे हुए इन पुस्तकों में मिलते हैं जिनमें मुग़ल बादशाहों के और औरंगजेब के प्रति घृणा की भावना भरी हुई मिलती है। हमारे इतिहास में होना चाहिये कि हमारा सामाजिक विकास कैसे हुआ है और हमारा औद्योगिक विकास कैसे हुआ है, हमारे भविष्य के इतिहास की क्या रूप रेखा होनी चाहिये, इन सारी बातों पर गम्भीरतापूर्वक सरकार को विचार करना चाहिये।

श्रीमन्, अध्यापकों के बारे में मेरा कहना है कि आज शिक्षा संस्थाओं की यह हालत हो गयी है कि यूनिवर्सिटियों के अन्दर खुल कर जातिवाद का नंगा नाच होता है। बात चाहे सत्य हो या असत्य, लेकिन यदि किसी शिक्षा संस्था के ऊपर इस प्रकार का दोष लगता है, खुलेआम उसकी चर्चा होती है तो वह एक गम्भीर विषय हो जाता है। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय को ले लीजिये, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ले लीजिये, लखनऊ विश्वविद्यालय को ले लीजिये, सभी के बारे में आज इस प्रकार का दोष लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं चाहूंगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक, सभी अध्यापकों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हो। यह एक ऐसी परम्परा होगी कि जिसके बाद कम से कम हमें इस प्रकार का दोष किसी संस्था पर या सरकार पर लगाने का अवसर नहीं होगा।

इसके अलावा मुझे प्राइमरी शिक्षा और नीचे की शिक्षा संस्थाओं के बारे में यह कहना है कि माननीय मंत्री जी की इस घोषणा से मुझे निहायत दुःख है। उन्होंने यह कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि छठवीं क्लास में जो हमने फीस माफी की है उसको वापस ले लें। हमारी प्रदेशीय सरकार के लिये यह एक गर्व की बात थी। केन्द्रीय सरकार माने या न माने, लेकिन जब हमारी प्रदेशीय सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चुकी थी तो कोई कारण नहीं दिखाई देता कि अब वह फिर पीछे हटे। यह कोई कारण नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है तो हमारे शिक्षा मंत्री भी उससे प्रभावित

हो जायं। उन्हें कहना चाहिये था कि जो हमारे संविधान की मन्शा थी कि ८वें क्लास तक हम शिक्षा निःशुल्क करेंगे उसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। आज यदि उस मन्शा से पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ा पीछे कदम उठाते हैं तो यह प्रदेश और देश के लिये दुर्भाग्य की बात है और उसका अनुसरण, यदि हमारी प्रदेशीय सरकार करे तो यह हमारे लिये और भी दुर्भाग्य की बात होगी।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा का अनुदान महत्वपूर्ण है इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हैं। इस विषय पर कई नजर से रोशनी डाली गयी है और इधर और उधर, दोनों तरफ की बातें सुनन से इतनी बात आसानी से समझ में आ जाती है कि जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, स्कूलों का सम्बन्ध है, टीचर्स की स्थिति का सम्बन्ध है, उसके बारे में बहुत कुछ करना बाकी है। जो पत्रिका हमको मिली है उससे भी आसानी से यह पता चल जाता है कि शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा है, स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ी है, स्कूल और कालेजेज बढ़े हैं, उन पर खर्च का रुपया भी बढ़ा है। एक तराजू में यह सब चीजें हैं। दूसरे तराजू में यह देखना होगा कि जो कुछ यह फैलाव हुआ है उससे जो प्रोडक्ट निकला है वह कहां तक ऐसा है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं या जिस की हम जरूरत समझते हैं। इसलिये मैं इस प्रश्न पर सिर्फ इसी दृष्टि से कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। मैं यह साफ बता दूं कि मेरा ऐसा खयाल नहीं है कि सिर्फ अगर टीचर्स की तनख्वाह बढ़ा दी जाय या स्कूलों की इमारतें अच्छी बना दी जायं, तो उससे शिक्षा का जो मौलिक ध्येय है, वह हासिल हो सकता है। एक जमाना था कि जब बच्चे पेड़ के साये के नीचे पढ़ते थे और उन बच्चों में आज के बच्चों के मुकाबले में जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में पढ़ते हैं, ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा खूबियां होती थीं। इसी तरह से टीचर्स की तनख्वाहों में वृद्धि पर ही अगर हम जोर दें तो उससे यह नहीं हो सकता कि उनके जरिये जो पढ़ाई होगी और उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा वह उस बात की पूर्ति करेगा। इस-लिये मैं इस प्रश्न पर न तो इतना जोर ही देना चाहता हूं और न मैं, इस प्रदेश की मौजूदा आमदनी को देखते हुए, इसे सम्भव ही समझता हूं। मैं सिर्फ इस नजरिये से कहना चाहता हूं कि मेरा खयाल यह है कि १२ साल की हमारी कोशिशों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचने लगे हैं कि जो हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उसमें आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इसलिये जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके पेश करते समय उन्होंने भी बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिनका मैं आदर करता हूं क्योंकि यह एक मौलिक प्रश्न है। आज हमें इस प्रश्न को रुपये की दृष्टि से नहीं देखना है। अगर खर्च बढ़ जाय और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तो सारा रुपया जाया हो सकता है। इसलिये मेरा विश्वास है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका विकास समाज के ध्येय के अनुकूल होता आया है। जिस जमाने में राजतंत्र की प्रणाली थी तो हमारी शिक्षा का दूसरा ध्येय था। जब अंग्रेज आये तो शिक्षा का एक अलग तरीके से ढांचा बना और उसका विकास हुआ और इसमें सबसे बड़ा दोष यह था और आज भी है कि यह शिक्षा इंसान को फील्ड से हटा देती है, काम से हटा देती है और इसकी जड़ समाज के अन्दर नहीं रहती है और वह काम करने वाले लोगों से नफरत करने लगता है। हमारी आज की आवश्यकताओं की यह पूर्ति नहीं करती है कि हमारे बच्चों में देश प्रेम हो, वह उत्पादन करना जानें, नये-नये साधनों का हैंडलिंग करना जानें, उनकी टेक्निक से वह वाकिफ हों। शिक्षा का पहला प्रोडक्शन यह है। दूसरी तरफ ध्येय की बात है।

हमारा ध्येय समाजवाद का है और हम इसको मानते हैं कि हर लड़के के अन्दर समाज की शक्ल में सोचने का नजरिया पैदा हो। वह भूमि के बारे में, प्रापर्टी के बारे में और राजतंत्र के बारे में अपने विचार बदले। अगर सम्पत्ति के बारे में, मुद्रा के बारे में और उत्पादन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

बारे में उसके विचार नहीं बदलते हैं तो वह हमारे देश के लिये उपयोगी नहीं होगा जिसके जरिये समाजवाद आ सकता है ।

एक मिसाल देता हूं । मैंने बहुत-सी किताबें बच्चों की पढ़ी हैं और इस नजर से पढ़ी हैं कि उनमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है । मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दृष्टि से कि नये जमाने की आवश्यकता के अनुसार कोर्स बदला जाय, इसके लिये एक कमेटी मुकर्रर की है, उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । जो किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उन्हें देखें तो आसानी से समझ में आ जायगा । जैसे मिसाल के तरीके पर एक लेसन "साझे की खेती" यानी यह खराब होती है और हम कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ जाते हैं, तो बच्चा शुरू से ही इससे प्रजूडिस हो जाता है । इसलिये हमारी पालिसी के अनुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिये । प्रश्न आता है कि कैसे परिवर्तन किया जाय ? जिस जमाने के दौर से हम गुजर रहे हैं अगर इसमें मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट चाहे कि व्यवस्था के अन्दर, जैसा कि ढांचा बन गया है, उसे आसानी से हटा दिया जाय तो, वह नहीं हो सकता है । मैं मिनिस्टर साहब की मजबूरियों को जानता हूं । अगर किसी काम को बदलते हैं तो जो लोग अफेक्टेड होते हैं तो वह हाई कोर्ट में चले जाते हैं और हम नहीं बदल सकते हैं । इसलिये हमें एक प्रोग्राम के अन्दर चलना होगा ।

मैं तीन-चार सुझाव देना चाहता हूं । पहला सुझाव यह है कि प्राइमरी एजूकेशन में इस बात पर ज्यादा जोर हो कि लड़का हर काम को इज्जत की निगाह से देखे । अगर हम उसमें यह चीज पैदा कर दें कि वह काम करने में इज्जत समझे तो ऊंच-नीच का, छोटे-बड़े का, जो भेद-भाव हैं, उससे बचा जा सकता है । इसलिये सारा इम्फेसिस इस पर होना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि सिर्फ जवाब में इतना ही नहीं कहा जायगा कि उसकी तरफ बेसिक एजूकेशन है, बेसिक एजूकेशन हमने मंजूर किया है । लेकिन जिस मशीनरी के जरिये हम उसको चलाते हैं, उसके दिल व दिमाग ने उसको मंजूर नहीं किया है । अगर इस पर यकीन न आये तो जो सेमिनार्स होते हैं, उनमें इंस्पेक्टर्स और आफिसर्स विचार व्यक्त करते हैं, उनसे पता चल जायगा । महज एक उसूल मान लेने से काम नहीं हो जाता । बेसिक एजूकेशन इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी के दिलो-दिमाग में जज्ब नहीं हुई है । इसलिए एजूकेशन को संभालने के लिए जो पहला कदम उठाना चाहिये वह यह कि जो हमारी एजूकेशन की हायरारकी है, उनकी रिएजूकेशन होनी चाहिए, उनके ऐटीट्यूड, ऐप्रोच, सोचने के ढंग में । क्योंकि मुझे यह कहते हुए भी हिचक नहीं है कि एक व्यक्ति अपने समय के सामाजिक वातावरण का प्राडक्ट होता है, उस वातावरण का उसके दिमाग पर असर पड़ता है । आज जो मौजूदा एजूकेशनिस्ट्स हैं वह नयी सोशलिस्टिक एजूकेशन में सबसे ज्यादा मूजिर हैं । उनके दिलो-दिमाग और ऐप्रोच को बदलना होगा तब जाकर हमारी जो पालिसी गवर्नमेंट लेविल से चलती है वह नीचे तक जा सकती है । मैं जानता हूं कि यह बात कुछ बुरी लग सकती है क्योंकि यहां के एजूकेशनिस्ट्स और इंटेलेक्टु-अल्स बड़े टची होते हैं । उनका यह खयाल होता है, क्योंकि सौ-साल के अन्दर सारी अहमियत अक्ल को दी गयी है, श्रम को कोई अहमियत नहीं दी गयी, इसलिये एक खास दिमाग उनका बन गया है । आपको आहिस्ता-आहिस्ता कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अपनी एजूकेशन हायरारकी में परमीएट करें कि एक बच्चे के अन्दर देशभक्ति की भावना पैदा हो, उस को बताया जाय देश की प्राबलेम्स के बारे में, प्लानिंग के बारे में, यह मोटे तरीके से जानता हो कि कैसे प्लानिंग किया जाता है, प्लानिंग का महत्व क्या है । मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि मैंने बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स से प्लानिंग के बारे में बातचीत की है और मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि हमारी जो टाप की हायरारकी है वह प्लानिंग के बारे में जानकारी करने की जरूरत नहीं समझते । हमारा कुछ ऐसा तरीका बन गया है कि जो एजूकेशन में है वह समझता है कि हमारा प्लानिंग से कोई मतलब नहीं है । जो प्लानिंग में है वह समझता है कि हमारा दूसरे विभाग से कोई मतलब नहीं है । एजूकेशन का मतलब

है-इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी पैदा करना जिससे उसके जीवन के हर क्षेत्र में विकास हो। हमारे मौजूदा एजूकेशनिस्ट्स में सबसे बड़ा दोष है कि वह स्प्लिट पर्सनालिटी पैदा करते हैं, जो केवल अपने विषय के बारे में जानते हैं, दूसरी चीज से वास्ता नहीं है। इसलिये एजूकेशन को, सारी चीजें जोड़ कर देखा जाय।

मैं जानता हूं कि जो विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं उनको चालू करने में बहुत दुश्वारियां हैं, लेकिन जब हमने तय किया है कि समाजवादी समाज बनाना है तो सब से बड़ी चीज जो है वह एजूकेशन है। एजूकेशन का काम है ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये कैडर सप्लाई करना और मुल्क के अन्दर ऐसी जनरेशन पैदा करना जो सही माने में बुनियाद बन कर समाज को बना सके। इसलिये मैं समझता हूं कि इस अनुदान पर मेम्बरों ने जो गम्भीरता के साथ सुझाव दिये हैं इसमें एक दूसरे के काट का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन से व्यावहारिक तरीकों को अपनाया जाय जिससे सही मानी में हम एजूकेशन को एक जबरदस्त आला बना सकें, लोगों के दिलो-दिमाग को परिवर्तित करने में, देश-भक्ति की भावना पैदा करने में और देश के अन्दर एक वातावरण बनाने में, मैं समझता हूं कि किसी को इस पर कितना भी रुपया खर्च करने में गुरेज नहीं होगा। मुझे खुशी है कि कम्युनिस्ट मेम्बर, श्री चन्द्रजीत साहब ने खुद अपनी तरफ से सुझाव दिया कि अगर कोई टैक्स एजूकेशन के काम से मंत्री महोदय लगायेंगे तो कम से कम कम्युनिस्टों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और दूसरे लोग भी अगर सही मानों में ऐसी कोई चीज आयेगी तो इसे पार्टी के ऊपर रख कर गौर करेंगे और एजूकेशन के ऊपर जो भी खर्चा हो उससे गुरेज नहीं करेंगे। खर्च से भी ज्यादा जरूरी चीज है नये पर्सोनैल के तैयार करने में। अगर आप खर्चा कर भी दें, लेकिन पर्सोनैल न हों तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप युनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह को भी मोटे तौर से बताइये कि युनिवर्सिटी से जो लड़के एम० ए० पास हो कर निकलें एकोनामिक्स से, तो कम से कम उनको यह ज्ञान हो कि हम बेकार क्यों हों? मुझे मौका मिला है एम० ए० पास लड़कों से बात करने का। उनको मामूली-सी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती। एकोनामिक शिक्षा की। हिस्ट्री की और पालिटिक्स के बारे में कंट्री के प्राब्लम की जानकारी उनको नहीं होती और कंट्री के इतिहास की उनको जानकारी नहीं होती। इसलिये कोर्स को बदलवाने की प्राइमरी स्टेज से यूनिवर्सिटी स्टेज तक, चाहे कानूनी तरीके से कीजिए, जरूरत है। सदन इसके लिये ताकत देने में आपको गुरेज नहीं करेगा। आप इसके लिये कदम उठाइये ताकि हमारी एजूकेशन सही मानों में अपना पूरा-पूरा मकसद हासिल कर सके और पूरा-पूरा अपना नतीजा दिखा सके।

श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के अनुदान पर जो बहस हो रही है उसमें अधिकतर शिक्षा की दिशा बदलने के लिए, प्रणाली बदलने के लिये ही कहा गया। माननीय गोविन्द सहाय जी हर वर्ष इसी बात को, जो कांग्रेस के मेम्बर हैं, उनकी एक टेक्निक है इसी चीज को वह दुहराते हैं और हम लोग जो समाजवादी ढंग के सिद्धांत वाले हैं उसके बहुत अंशों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह डायरेक्टोरेट और इंस्पेक्टरेट वगैरह ठीक नहीं हैं। मैं तो यह कहता हूं कि यह गवर्नमेंट जो कांग्रेस की है उसको पालिसी तय करना चाहिए। ऐसी हालत में यह डायरेक्टर और इंस्पेक्टर बेचारे तो जरा से में ठीक हो जांय, लेकिन जो बुनियादी दिक्कत है वह यह है कि सरकार स्वयं नहीं तय कर पा रही है कि शिक्षा की नीति में समाजवादी नीति पर चलना है या लिबरल या पूंजीवादी नीति पर चलना है। आज जो घोषणा सदन में हुई है उससे यह स्पष्ट है कि सरकार समाजवादी ढंग पर नहीं जा रही है। तो ऐसी हालत में कहां से समाजवाद के लड़कों के लिये कोर्स, सिलेबस वगैरह सरकार तय करेगी। जैसा माननीय चन्द्रजीत यादव ने कहा कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की तनख्वाह जो बढ़ी वह ढाई रुपया। साढ़े ४२ रुपये बहुत मुश्किल से हो गई। मैं देखता हूं कि जब कोई छोटे कर्मचारियों का मामला आता है तो सरकार कहती

[श्री विश्राम राय]

है कि संख्या ज्यादा है इसलिये ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इसलिये तनख्वाह न बढ़ाई जाय। अंग्रेजी राज्य में भी यही था। वह कहते थे कि यह लोग इतने में गुजर-बसर कर लेने वाले आदमी हैं और इनकी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज यह सरकार भी उसी ढर्रे पर चल रही है और छोटे लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ाती। शिक्षा प्रणाली के बारे में यदि सरकार जल्दी तय नहीं कर पाती तो इसके लिये एक कमेटी बना ले, एक सेमीनार हो जाय और वहां अपने अधिकारियों को बुला कर परामर्श वगैरह देकर तय कर ले फिर डायरेक्टोरेट वगैरह को ठीक तरह से संचालन करे तो यह ठीक होगा।

जो जितने बड़े तबके के लोग हैं उनकी पहले सुनी जाती है। यह सरकार जो शहर के लोग हैं उनके लिये राशन का पहले इन्तजाम करती है। देहात के लोगों को तो जानती है कि अखबार वगैरह में निकलवा नहीं सकते उनका खयाल नहीं करती। मेरा खयाल है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक भी एक संघ बना कर हड़ताल की धमकी देंगे तो इनकी भी तनख्वाह बढ़ जायगी अगले बजट में। यह मुझे उम्मीद मालूम होती है। इसलिये सरकार को इस सम्बन्ध में पहले मेरी राय यह है कि प्राइमरी एजूकेशन को ठीक करना चाहिये। अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये। अनिवार्य शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिये तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि १९६५ में होगी या १९६३ में होगी। यह हो नहीं सकता जब तक कि जो गरीब लोग हैं, हरिजन हैं, उनके खाने-पीने का इन्तजाम नहीं होता। एक महिला सदस्या ने बहुत ही ठीक कहा कि अनिवार्य शिक्षा इस तरह चल नहीं सकती। दूसरे हम लोगों को निराशा हुई और उससे तो हमको गवर्नमेंट की पालिसी में सन्देह होने लगा कि कहीं इंग्लैंड की लेबर पार्टी की तरह न हो कि लेबर पार्टी ने नेशनलाइज किया कुछ चीजों को और चर्चिल की गवर्नमेंट ने आकर उसे वापस ले लिया। ऐसा न हो कि ६ तक की फीस माफ हुई अब उसको आप वापस ले लें। कोआपरेटिव फार्मिंग का नारा आज लगा है कल वह वापस हो जाय। तो इससे हमें सन्देह होता है। पता नहीं चलता कि सरकार आगे बढ़ेगी या पीछे जायगी।

प्राइमरी शिक्षा की ओर खास तौर से गवर्नमेंट को ध्यान देना है। अगर देश में लोक-तन्त्र कायम करना है और समाजवाद कायम करना है, दोनों कायम करना है तो बुनियादी चीज है कि लोग पढ़े-लिखे हों, शिक्षित हों और समझें चीजों को। नहीं तो इस देश में बहुत बड़ा खतरा है डिक्टेटरशिप का। यहां पर बड़ा भयावह खतरा है, अगर इसी तरह से स्कीम बनती और वापस होती रही। विधान में लिखा गया कि कम्पल्सरी एजूकेशन १४ वर्ष तक के लिये फ्री होगी। अब १९६५ तक एजूकेशन फ्री होगी और वह भी ११ वर्ष तक के लिए। चाहिए तो यह था जैसा कि चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार को केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिये था और उनसे कहना चाहिये था कि प्राइमरी एजूकेशन, जो हम छठीं तक फ्री कर दिये हैं, उससे हम पीछे नहीं हट सकते, वरना हमारी बड़ी बदनामी होगी। मगर यह सरकार यह भी नहीं कहना चाहती है, वापस लेना चाहती है उस चीज ही को।

दूसरी चीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अध्यापकों की दशा बहुत खराब है। जिस जिले में जिस पार्टी का चेयरमैन रहा है उसने दूसरी पार्टी के अध्यापकों को इतना तबाह किया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले एलेक्शन के बाद वे ५५-५५, ५६-५६ मील दूर फेंक दिये गये हैं। कलेक्टर साहब जो उसके अध्यक्ष हैं, वह पार्टी के शिकार हैं, वह चेयरमैन बना दिये गये हैं, लेकिन उनकी हिम्मत क्या है जो शासनारूढ़ पार्टी के खिलाफ चले जायं। नतीजा यह है कि वह अध्यापक ५५, ५६ मील की दूरी पर फेंक दिये गये हैं। इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

तीसरी चीज यह कि प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग्स की हालत बहुत खराब है। उसमें भी अधिक से अधिक पैसे देने की जरूरत है। कुछ भाई कह रहे थे कि पेड़ के नीचे बैठना चाहिये। मैं कहता हूं कि फिर ५०० से अधिक तनख्वाह मांगने की क्या जरूरत है? ५०० से अधिक तनख्वाह भी नहीं मांगनी चाहिये। लेकिन यह तो अर्थ युग है। तो भाई, पेड़ के नीचे बैठकर

पढ़ाई तो हो नहीं सकती और बिना खाये कोई काम नहीं कर सकता। ऋषियों का जमाना तो गया। इसलिये आज तो जरूरत इस बात की है कि इमारत के लिये अधिक से अधिक रुपया उसके लिये दिया जाय।

एक बात और मालूम हुई कि गवर्नमेंट के स्कूलों पर अधिक से अधिक रुपया बजट का खर्च होता है और बाकी जो गैर-सरकारी स्कूल हैं उन पर कम खर्च होता है। माध्यमिक शिक्षा की तरफ चलिए। उसमें सब से बड़ी दिक्कत यह है कि जिले में एक इंस्पेक्टर साहब बैठते हैं। वह किसी जूनियर हाई स्कूल को स्थायी रिकग्नीशन ही नहीं देते। इंस्पेक्टर का कार्य है कि वह इंस्पेक्शन करे, अपनी राय दे। लेकिन वह क्या करते हैं कि जूनियर हाई स्कूल का रिकग्नीशन रोके हुए हैं क्योंकि वह कहते हैं कि आगे चल कर तुम हाई स्कूल का रिकग्नीशन मांगोगे। उनके दफ्तर के क्लर्क जो हैं उनका क्या कहना है? वह तो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं। मैं तो जानता हूं, व्यक्तिगत अनुभव मुझे है। कोई भी हरिजनों का वजीफा, कोई भी चीज ठीक तौर से बटती ही नहीं। ग्रान्ट इन एड जो हैं उसकी हालत यह है कि लोग यहां आजकल घूम रहे हैं, मन्त्री जी के पास जो फंड होता है उसके लिए। जो यहां आ जाते हैं उनको तो मिल जाता है और जिनका हक है जो स्कूल रिकग्नाइज्ड हैं उनको नहीं मिलता। तो मैं कहता हूं कि ग्रान्ट इन एड में कोई सिस्टम होना चाहिये, डायरेक्टर कर दे, इंस्पेक्टर कर दे, कोई कर दे, लेकिन कोई सिस्टम होना चाहिये। इस तरह से न हो। असल में होना तो यह चाहिए कि जब रिकग्नाइज हो जाय उस को फौरन ही टोकेन ग्रान्ट मिलनी चाहिये। फिर जितना डेफिसिट हो ५० फीसदी उसका देना चाहिये, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं होता। जब तक इसमें नियमों का पालन नहीं होगा तब तक शिक्षा में पक्षपात रहेगा, दरबारदारी बढ़ेगी, और दिक्कतें बढ़ेंगी। व्यवहार की दिशा में हमको देखना चाहिए। फंडामेंटल पालिसी जो है वह तो तय हो जायगी अपने आप। समय तय कर देगा। बस मुझे यही कहना है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा का अनुदान एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अनुदान है। आज जितनी हमारी योजनायें चल रही हैं उन सब का आधार यह शिक्षा ही है। किसी भी प्रजातन्त्र के राज्य में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिये। अगर वहां पर प्रजातंत्र को स्थिर होना है तो शिक्षा की प्राथमिकता को मानना होगा।

मान्यवर, मैं एक रिपोर्ट आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा का पूरा संगठन होना चाहिये और शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है और प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में भी उतना ही महत्व देने की आवश्यकता है। इस पुस्तक का नाम "Team for the study of Community projects and national extension service" है। इसमें यह लिखा है---

"We feel that unless the area concerned is specially backward in educational facilities, these funds should be used not to establish new schools but to supplement the allotments of the State to strengthen and improve existing primary schools. We have noticed that in many cases, these schools are without playgrounds, libraries, equipment for games, etc. It is in these directions that the strengthening will be specially necessary."

उन्होंने कहा कि पहले प्रारम्भिक पाठशालाओं के लिये भवन बनाये जायं। उनके लिये अच्छी व्यवस्था की जाय। उनके आसपास इस तरह का वातावरण पैदा किया जाय जिससे प्रारम्भिक शिक्षा ठीक प्रकार से चल सके। मान्यवर, सन् १९४७ में यह शिक्षा का बजट २.७२ करोड़ था। इस वक्त १६ करोड़ के करीब है। यह मानना होगा कि वह आठ गुना तब से बढ़ा है जब कि इस स्टेट का बजट सन् १९४७ में ४८ करोड़ था। १९५९-६० में स्टेट का

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

बजट १२२-२३ करोड़ हो गया है तो इसमें शिक्षा का बजट २।। गुना हो गया है। जिस रेशियों से यह आमदनी बढ़ी उसके हिसाब से शिक्षा पर भी बढ़ा है। यों तो जो ६० करोड़ की वृद्धि हुई है उसका आधा, देखने से यह मालूम होता है कि सिविल सर्विसेज पर लगा है। इस लिये मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में और अधिक व्यय होना चाहिये इसलिये कि हमारी सारी योजना इसी शिक्षा पर आधारित है। अगर शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जायगा तो जितने साधन और उपकरण बनाये जा रहे हैं वह सब बेकार हो जायंगे। मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इस माने में कि अध्यापकों की तरक्की के मामले में उन्होंने, एक स्केल जो सन् १९४७ में स्थिर हुआ था, उससे आगे एक कदम उठाया है। जो डिस्पैरिटी सन् १९४७ के बाद आ गई थी और जो उसमें अन्तर था १०, १२ वर्षों बाद उस को दूर करने के लिये एक कदम उठाया गया है। इससे अध्यापक वर्ग की दशा सुधरेगी। इसलिये मैं अध्यापकों की तरफ से, अध्यापकों के नेताओं की तरफ से और इस माननीय सदन के सदस्यों की तरफ से उनको बधाई देता हूं। अध्यापकों के बारे में मुदालियर कमेटी की सन् १९५४ में एक रिपोर्ट निकली थी, उसमें अध्यापकों के बारे में दो शब्द कहे गये हैं। मैं उनको आप के सामने पढ़ देना चाहता हूं--

" We agree with the Commission that the most important factor in the contemplated educational reconstruction is the teacher. It is our opinion that unless this factor receives adequate consideration there is little use in proceeding with other reforms." (p. 155)

उन्होंने बताया है कि जितनी हमारी योजनायें हैं उनमें मुख्य अध्यापक हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी अध्यापकों की ओर ध्यान दे कर जो डिस्पैरिटी को हटा कर वेतनक्रम में वृद्धि करने की बात सोच रहे हैं वह सराहनीय है। प्रारम्भिक शिक्षा पर पारसाल ५ रुपया दिया और ६ रुपया उसके पहले हो चुकी है और २।। रुपया इस साल दिया है और १०० रु० से २०० तक भी जो वृद्धि की है और हायर सेकेन्डरी स्कूलों तथा डिग्री कलेजों के लिये जो वेतन क्रम निर्धारित किया है इससे मैं समझता हूं कि मन्त्री जी गतिशील हैं और ये ऐसे कदम जरूर हैं जिससे इन समस्याओं का समाधान होने में सहायता मिलेगी। किसी ने कहा है:--

"गच्छन् पिपीलिको याति, योजनानां शतैरपि।
अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति।।"

मंत्री जी ने गतिशीलता ला कर एक प्रगति की ओर संकेत किया है। माध्यमिक शिक्षा की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह शिक्षा इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से प्रारम्भिक शिक्षक निकलते हैं, ऊपर के जितने कर्मचारी हैं, समाज में जितने काम करने वाले हैं, दफ्तरों में जितने काम करने वाले हैं, वे सब यहां से बनते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के स्नातक भी यहां से निकलते हैं। इसलिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिये शिक्षा मंत्री जी ने जो माध्यमिक शिक्षा की ओर ध्यान देने की घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसके बारे में १९२१ में इन्टरमीडियेट ऐक्ट बना, १९३९ ई० में पावेल प्राइस कमेटी, सन् ४७ में रघुकुल तिलक कमेटी बनी, उसके पश्चात् माननीय नरेन्द्र देव जी और माननीय सम्पूर्णानन्द जी की कमेटियां बनीं। जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द शिक्षा मंत्री थे उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया था, उत्तर प्रदेश शिक्षा विधेयक। ११ अगस्त सन् १९५० को इसी माननीय सदन में उपस्थित किया था। इसके बाद भी माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने की योजना बनायी गयी, लेकिन ५२ के इलेक्शन के बाद वे चीजें रखी ही रह गयीं। १९५५ में फिर एक प्रयास हुआ। एक संशोधन लाने का प्रस्ताव हुआ, लेकिन वह भी रह गया। अभी माननीय मंत्री जी जो छोटा सा बिल इसके लिये लाये थे, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। सेलेक्ट कमेटी में उसके लिये बहुत अड़चनें पड़ीं। लेकिन उसके द्वारा भी माननीय मंत्री जी ने अध्यापकों की सुरक्षा के बारे में जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। मैं अध्यापकों की ओर से परीक्षाओं के

समय में उनको पब्लिक सर्वेन्ट घोषित किये जाने के लिये, बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं।

माध्यमिक शिक्षा का जो पुराना ऐक्ट बना हुआ है वह आजकल के जमाने में अधूरा है। आज १०० से १८०० यानी १८ गुने माध्यमिक स्कूल हो गये इसलिये वह शिक्षा विधेयक उनकी सारी समस्याओं को पूरा नहीं कर सकता है। उस छोटे से विधेयक में जो योजनायें रखी गयी हैं वह अधूरी हैं। जहां तक पाठ्यक्रम का संबंध है, परीक्षाओं को चलाने का संबंध है, नियुक्तियों का संबंध है, यह विधेयक अधूरा है। इसलिये मैं आप के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके लिये कोई ऐसी स्कीम आनी चाहिये जिसमें सारी समस्याओं का हल हो। केरल एजूकेशन बिल हमारे सामने है जिसमें घोषणा की गयी है कि प्रदेशीय स्तर पर एक कमेटी बनायी जायगी जो उसके सम्बन्ध में सारी बातों पर विचार करेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद् के साथ-साथ जिला परिषदें भी होनी चाहिये। जिले के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर परिषदें होनी चाहिये। केरल के विधेयक में एजूकेशन अथारिटी उसको नाम दिया गया है। अभी माननीय हृदयनारायण सिंह जी ने जो विधेयक अपर हाउस में पेश किया था उसमें भी उन्होंने इस चीज को रखा था। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने ५०-५१ में जो स्कीम इसके बारे में रखी थी, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषदों को गतिशील बनाने के लिये थी, उस प्रकार की संस्थायें अगर जिला और प्रदेशीय स्तर पर होतीं तो हमारा शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा उठ जाता। आज इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की इसलिये आवश्यकता है कि इसमें दो-ढ़ाई लाख लड़के प्रति वर्ष पढ़ते हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् में मैंने देखा कि कर्मचारी वहां पर परीक्षा के दिनों में रात के १०-१० बजे तक काम करते हैं। ऐसा लगता है कि काम बहुत ज्यादा है और ढांचा बहुत छोटा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि परीक्षा की एक अलग शाखा हो और बाकी विभाग की व्यवस्था अलग हो। इस हालत का नतीजा यह होता है ६-६, ८-८ महीने तक पूरक परीक्षाओं के फल निकल नहीं पाते हैं और कौरीजेंडम निकला करते हैं। इसलिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् की व्यवस्था ठीक होने की नितान्त आवश्यकता है, उसका विचार किया जाना चाहिये, कर्मचारी वहां पर बढ़ाये जाने चाहिये।

मान्यवर, माननीय सम्पूर्णानन्द जी के समय में इस प्रदेश में ७, ८ रीजन बने वहां एक-एक रीजन में डिप्टी डायरेक्टर रखे जाते हैं जो ए० क्लास के आफिसर माने जाते हैं और उनको १०० रु० एलाउंस के तौर पर दिया जाता है। अब यह सोचने की बात है कि इतना बड़ा काम यानी १०, १२ जिलों का काम उसे सम्भालना पड़ता है जिसके लिये केवल १०० रु० एलाउंस के तौर पर दिये जाते हैं जो मैं समझता हूं कि बहुत ही कम है। हमारे यहां गोरखपुर में ही जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वे एक गवर्नमेंट स्कूल के छात्रावास में रहते हैं क्योंकि उनके रहने के लिये वहाँ कोई ठीक प्रबन्ध नहीं हो सका है। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में है उसी तरह से डिवीजनल लेविल पर वेतन क्रम शिक्षा विभाग का भी होना चाहिये। हम देखते हैं कि हर विभाग के लोग सेक्रेटेरिएट में तो आते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का कोई आदमी सेक्रेटरिएट में नहीं आता। आज तक मैंने तो नहीं देखा कि शिक्षा विभाग का कोई आदमी चीफ सेक्रेटरी हुआ हो। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह का ढंग अपनाया जाय कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा विभाग से लोगों को सेक्रेटरिएट में बुलाया जा सके। क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सी योजनायें हैं और बहुत सी चीजों को वे कार्यान्वित करना चाहते हैं। यहां पर किसी आई० सी० एस० आफिसर को बैठा कर आप शिक्षा विभाग की किसी योजना को ठीक से नहीं बना पायेंगे क्योंकि वह अध्यापकों की उस भावना को नहीं समझ पाता है कि अध्यापक क्या चाहते हैं।

एक बात मुझे सिलेबस (पाठ्य क्रम) बनाने के सम्बन्ध में कहनी है। माध्यमिक परिषद् में जो पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो इसलिये उस सारे ढांचे को बदलना आवश्यक है। एक बात श्री चन्द्रजीत यादव जी ने कही है चीन में वहां

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

यूनिवर्सिटी के अन्दर डिग्री कालेजों में जो लड़के पढ़ते हैं वे पहले तीन चार महीने तक तो किसी फैक्टरी में काम करते हैं, उसके बाद एक महीने की छुट्टी मिलती है। बाद में शेष महीनों में वे यूनिवर्सिटी या कालेजों में जाकर पढ़ते हैं। तो हमें अपने देश की समस्या का समाधान करने के लिये और यहां बेरोजगारी को दूर करने के लिये आवश्यक है कि हम अपने यहां की यूनिवर्सिटीज से ऐसे बच्चों को निकालें जो वहां से निकल कर किसी काम में लग सकें।

(इस समय ४ बजकर १७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मुदालियार कमेटी ने लिखा है कि स्वतंत्र भारत में हमारी शिक्षा का लक्ष्य यह होना चाहिये--

" India has recently achieved its political freedom and has, after careful consideration, decided to transform itself into a secular democratic republic. This means that the educational system must make its contribution to the development of habits, attitudes and qualities of character, which will enable its citizens to bear worthily the responsibilities of democratic citizenship and to counteract those fissiparous tendencies which hinder the emergence of broad, national and secular outlook."

श्रीमन्, उन्होंने यह कहा है कि हमारे स्वतंत्र भारत की शिक्षा का ढांचा ऐसा बदलना चाहिये जो हमारी नयी योजनाओं के उपर्युक्त बन सके। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९५४ की कमीशन की रिपोर्ट है, सन् १९५२, ५१ और ३९ की रिपोर्ट भी आपके पास है और इन रिपोर्टों में काफी आंकड़े इकट्ठे कर लिये गये हैं जिनके आधार पर यह आवश्यक है कि हम अपने शिक्षा के ढांचे को बदलें। और प्रादेशिक स्तर पर ऐसा संशोधन होना चाहिये कि शिक्षा का क्रम ऐसा बने जिससे हम आगे को बढ़ सकें। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री गौरीशंकर राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं आज के अनुदान के सम्बध में कुछ कहूं, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण का लम्बा नहीं बल्कि सूक्ष्म रेफरेंस देना चाहता हूं। श्रीमन्, जहां उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि हमारे यहां शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है वहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहीं पर लोकसभा के सदस्यों की सभा में एक वक्तव्य दिया था जिसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि आज पूर्व और प्राथमिक शिक्षा की प्रगति जितनी अन्य प्रदेशों में है, वहां इस क्षेत्र में हम अन्य राज्यों से काफी पीछे हैं। मैं स्वयं नहीं जानता . . . .

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे आश्चर्य है कि आपने कहा बड़े ध्यान से सुना। इस बात को तो दो, तीन बार दोहराया कि हमारे लिये वैसी बात है कि हम प्रदेशों से पीछे हैं।

श्री गौरीशंकर राय--हमने यह समझा बड़ी प्रगति की। समय नहीं है नहीं तो उसका परसेंटेज दिखाता कि और प्रदेशों के मुकाबले में प्रारम्भिक शिक्षा में और बालिकाओं की शिक्षा में किस स्तर पर आप कितने पीछे हैं। आज अध्यक्ष महोदय, बड़ी लम्बी प्रतीक्षा के बाद बड़े गौरव और प्रसन्नता के साथ अध्यापकों के ग्रेड के सम्बध में मंत्री जी ने बयान दिया। वह बयान और कुछ हो सकता है, लेकिन पैरिटी नहीं है जिसके सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी भाषण दिया करते थे। वह वक्तव्य और कुछ हो सकता है। यह मैं मानता हूं कि उस दिशा में कुछ बढ़े हैं। लेकिन वह समानता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डी० ए० के सम्बन्ध में कोई बात हमारे जैसे आदमी की समझ में नहीं आती कि समानता के सम्बन्ध में जो डी० ए० मिलता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण होगा। विश्वविद्यालय के अध्यापकों के ग्रेड में जो सुधार हुआ है, जो उनके इन्क्रीमेंट हैं वे पहले से घट गये हैं। नतीजा यह होगा किसी निश्चित अवधि पर, जैसे मान लो ८ वर्ष की अवधि तक जो काम कर चुके हैं वह जिस ग्रेड पर पहुंच जायेंगे तो आपके ग्रेड में काम करने वाले उससे अधिक समय में पहुंचेंगे। तो उनके इन्क्रीमेंट में कमी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, समाजवादी समाज की रचना की सभी बातों की आंधी में कुछ ऐसी बात समझ में आ रही थी कि जब अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ाने के सम्बन्ध में बात होगी तो प्रारम्भिक विद्यालियों में काम करने वाले अध्यापकों की तरफ सरकार का ध्यान जायगा। लेकिन उनकी तरफ उतना ही ध्यान गया है जितना पूरे प्रदेश की तरफ गया है। बराबर मंत्री जी प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व को मानते हैं, लेकिन पाठशालाओं की क्या हालत है? अध्यक्ष महोदय, कदाचित मैं आपके जिले में नहीं जानता, मुझे एक गांव में जाने का मौका मिला, एक दिन एक गांव में पहुचा तो बहुत से विद्यार्थी बालक और बालिकायें बोरी के टुकड़े ले कर जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या करोगे? उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में टाट नहीं है। जो घर से ले जाता है वह बोरी पर बैठता है नहीं तो जमीन में बैठना पड़ता है। उस विद्यालय में मैं गया तो कुछ लड़के ईटों पर बैठे हुए थे और एक मास्टर साहब पुरानी कुर्सी पर जिसमें कील लगी हुई थी और पीठ नहीं थी उस पर बैठे हुए थे और दूसरे मास्टर साहब ईटों का चबूतरा बनाकर बैठे हुए थे। उस विद्यालय में एक ब्लैक बोर्ड था जिस पर लिखा जाता है। विद्यालय ऐसे भी हैं जिनकी छत नहीं है। तो आज प्रारम्भिक विद्यालयों की जो दुर्गति है, मैं समझता हूं हेल्दी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिये, स्वस्थ वातावरण और प्रारम्भिक स्थिति में स्वस्थ विद्यार्थी निकल सकें इसके लिये आवश्यक है कि प्रारम्भिक विद्यालय अच्छे हों।

अध्यक्ष महोदय, अभी उधर से हमारे मित्र बोल रहे थे दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी। मैं समझता था वह अध्यापक हैं। कुछ उनके बारे में बातें कहेंगे, लेकिन बधाई देने में ही उनका १२ मिनट का समय खत्म हो गया।

मुझे यूनिवर्सिटी ऐजूकेशन के सम्बन्ध में कुछ कहना है मान्यवर, यहां एक यूनिवर्सिटी है और जिधर से मैं आता हूं वहां तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का अभी जन्म हुआ है, आगरा यूनिवर्सिटी का जन्म पहले से है, उसका मैं स्नातक रहा हूं। आज यूनिवर्सिटियों में एक तमाशा मचा हुआ है। उधर के जो बैठने वाले भाई हैं उन्हीं के प्रिय लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के वातावरण को विषाक्त बनाये हुए हैं। तृतीय श्रेणी में पास होने वाले लोग आज वहां नियुक्तियां पा रहे हैं जहां कि फर्स्ट क्लास आदमी जाने चाहिये। विभागाध्यक्षों के ऐप्वाइंटमेंट का स्टैन्डर्ड यहां तक चला गया है कि जहां से मैं आता हूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने जन्मकाल से ही प्रारम्भ कर दिया है, प्रथम श्रेणी के लोग हेड आफ दी डिपार्टमेंट नहीं बनायें जायेंगे तृतीय श्रेणी के बनाये जायेंगे क्योंकि उनका उधर के बैठने वाले लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क है। आपस में किस तरह का झगड़ा चल रहा है उसकी तरफ मैं संकेत करना चाहता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय में नित्य रिट हुआ करते हैं। अगर ऐक्ट में कोई खामी है तो उन्हें देखिये और रिटों को रोकिये। और वहां जो पार्टीज है और झगड़े हुआ करते हैं रोज। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि आज उन्हें राजनीतिक अखाड़ा न बनायें, उन पर कृपा करें वरना देश बर्बाद हो जायगा। समय तो बहुत कम है। आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में जो वहां बिरादरीबाजी है वह तो आप भी जानते होंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय अभी पैदा हुआ, पैदा होने के पहले ही बिरादरीबाजी की धूम मच गई। मैं चाहता हूं कि अगर बिरादरीबाजी चलाना चाहते हैं, उसमें हमारे उन मित्रों को कुछ लाभ है तो चलावें। लेकिन एप्वाइंटमेन्ट के मामले में फर्स्ट क्लास लोग अवेलेबिल हों और थर्ड क्लास को रक्खा जाय तो यह शिक्षा के साथ अत्याचार है और संस्कृति के साथ व्यभिचार है। इसको रोक मिलनी चाहिये।

[श्री गौरीशंकर राय]

संस्कृति विश्वविद्यालय की बात उधर से एक भाई ने कही। वह नया विश्वविद्यालय है। उसके विषय में हमारी जानकारी कम है। वहां के रजिस्ट्रार महोदय का चार बार इंक्रीमेंट एक वर्ष में हो गया। इस प्रकार मैं समझता हूं कि ऐसी बातों से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मैं सुझाव यह देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आज जो समाजवादी समाज की रचना की बात हो रही है उसमें ज्ञान और कर्त्तव्य का समन्वय होना चाहिये। जो हम बुद्धि अर्जित करते हैं उसको व्यवहार रूप में लाने के लिये हमारे पास बुद्धि होनी चाहिये और प्रजातांत्रिक समाज के विकास के लिये एक विशेष प्रकार का वातावराण होना चाहिये। उस प्रकार का वातावरण बनाकर हमारी शिक्षा को व्यावहारिक शिक्षा बनाने का प्रयास करना चाहिये।

हमारी शिक्षा के मामले में राधाकृष्णन् कमेटी की बात कही जाती है, नरेन्द्रदेव कमेटी की बात कहीं जाती है। सभी स्तरों पर एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उस पर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एक बिल आने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में वह लोग जिनको शिक्षा के सूत्रों का संचालन करना है, नीति का निर्माण करना है, उनका खयाल है कि यहां शिक्षा की पद्धति दोषपूर्ण है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस दोषपूर्ण पद्धति के लिये जिम्मेदार कौन है? अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो वह क्या परिवर्तन है कैसा है, और क्या प्रयास होने जा रहा है? इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि साफ होना चाहिये सरकार को। आप समझते हैं कि ग्यारह साल में इतना काम कर लिया। ग्यारह साल, मैं समझता हूं कि कम समय नहीं है। आज जो प्रगति है---जैसा कि मंत्री जी ने कहा उनको ग्लानि है लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में। मैं चाहता हूं कि उनको ग्लानि न रहें, प्रसन्नता हो।

दर्जा ६ की फीस मांफ की गई। मंत्री जी ने कहा कि अगले वर्ष ७वें और ८वें की फीस भी मांफ करेंगे। लेकिन जुलाई से वह फीस लगने जा रही है छठे दर्जे की। मैं चाहता हूं कि आगे अगर कुछ करना है तो सोच कर काम करें। पीछे हटने की बात मैं समझता हूं कि प्रगति के आधारभूत सिद्धान्त के प्रतिकूल है। यह लोगों में अविश्वास की भावना पैदा करने वाली है। आज यह कहा गया कि अध्यापकों को तनख्वाह देनी थी इसलिये फीस ली गई। लेकिन पिछले वर्ष दर्जा ६ की फीस के लिये सरकार ने रुपया नहीं दिया, बल्कि उस ग्रान्ट में ही उसको शामिल कर दिया। दस हजार की ग्रांट है तो उसमें साढ़े दस हजार कर दिया, ग्यारह हजार कर दिया। मंत्री जी सिर हिलाते हैं, मैं उन को स्पेसिफिक बातें बताऊंगा। इतनी बात और कह दूं कि जो शिक्षा विभाग है इस में जो दफतर खुले हैं, चारों तरफ डिप्टी डायरेक्टर्स के दफ्तर खुले हैं उन के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि शिकायतें तो बहुत थीं लेकिन समय नहीं है इसलिये केवल इतना ही कहूंगा कि जितने आज मैनेजिंग कमेटियों में झगड़े होते हैं उनमें अधिकारी किसी दल विशेष, पार्टी विशेष या वर्ग विशेष के शिकार न हों। मैं अभी उन से बात कर के उदाहरण भी दे दूंगा और पहले भी कह चुका हूं कि उधर के बैठने वाले मेम्बरों में आपस में संघर्ष है, उधर भी दो दल हैं, वहां भी दो दल हो जाते हैं, विद्यार्थियों में भी २ दल हो जाते हैं और खूब संघर्ष टीचर्स में चलता है और १०७ और १०८ दफा हमारे जिले में मैनेजिंग कमेटी में चल रही है और बड़े-बड़े नेताओं द्वारा वह मैनेजिंग कमेटी चालित है और विभाग के अधिकारी एक ग्रुप पर डंडा लेकर कंट्रोल करते हैं।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे इस पवित्र अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं दस बजे से ही उपस्थित था और तब से ५० बार तो उठा ही हूंगा और अब मैं जाने ही वाला था और सोचता था चला जाऊं, वैसे हमारी तो बड़ी प्रतीक्षा हमारे भाषण की रहती है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आसन बिछाकर हमें भाषण करने को बुलाया जाता है कि कुछ भाषण कर दिया जाय, यहां पर लाबी में बैठने वाले भी जिले के आते हैं, वह भी हम को बेकार और बेवकूफ समझते हैं कि यह क्या बोलेगा लेकिन मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। दूसरे मैंने जो काम किया है वह शिक्षा का ही काम किया है, बीसों वर्ष हो गये। दो चार मिनट अध्यक्ष महोदय और दे दें बड़ी कृपा होगी। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

यह अनुदान जो शिक्षा के विषय में उपस्थित है मैं इस के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद इस लिये देना चाहता हूं कि हमारे अध्यापकों की वह मांगें जो बहुत पहले थीं उन को उन्होंने पूरा किया है। मैं इसके लिये विशेष धन्यवाद उनको दूंगा परन्तु एक चीज शायद वह भूल गये। कल तक पूरी कर दें तो बड़ी कृपा हो कि क्लर्क जो कालेज स्कूलों के हैं उनकी तरफ उन का ध्यान नहीं गया। टीचर्स तो २-३-४ घंटा ही पढ़ाते हैं और यह बेचारे तो दिन रात काम करते हैं, २४ घंटे व्यस्त रहते हैं। उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उनके लिये भी कुछ करना चाहिये। मेरा इस विषय में सदन के सदस्यों से निवेदन है कि यह शिक्षा का जो बजट है मेरे विचार से वह न्यून रखा गया है। साढ़े ६ करोड़ की आबादी के प्रदेश में प्रति व्यक्ति दो ढाई रुपया शिक्षा पर व्यय हो रहा है यह बहुत कम है। सुझाव भी दिये गये और विभिन्न विचार देश के स्तर को उठाने के लिये, अपने बालकों को ऊंचा उठाने के लिये। (व्यवधान) आप बात न कीजिये जब मैं बोल रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष---आप तो मिनिस्टर को ही सीधे बहुत जोर से डांट रहे हैं।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---तो मैं यह कह रहा था कि सुझाव तो बहुत आये और वह सब भौतिक आधार पर ही थे लेकिन जबतक आध्यात्मिक आधार पर सुधार नहीं होगा और स्तर में परिवर्तन नहीं होगा तबतक शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। ऐसी दशा में जरूरत है कि आप इस तरफ बढ़ें हम देखते हैं कि १६ करोड़ या अधिक का बजट है, संस्कृत की पढ़ाई के लिये पहले की अपेक्षा प्रगति हुई है,लेकिन वह प्रगति नहीं के बराबर मानी जा सकती है। यह भारतवर्ष ६ ऋतुओं का एक पावन देश है जिसमें उत्तर प्रदेश उसका हृदय है और उसमें वाराणसी और प्रयाग जैसे स्थान हैं। आज कोई ऐसा ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है इस राज्य में जिसमें ५०-५१ विद्यार्थी सवेरे उठकर सूर्य को अर्घ देते हुए मिले। यह बहुत बड़ी कमी है, इस की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। जबतक उचित रूप से हम इसका प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक भौतिक विचारों से हम अशान्ति को किसी तरह से नहीं रोक सकते।

जहां तक विद्योथियों के अनुशासन का सम्बन्ध है, वह जैसा है सब जानते हैं, शिक्षा विभाग भी परेशान है और माननीय सदस्य भी परेशान हैं। सबसे पहले उनको सुधारना है और उसके लिये जरूरी है कि हर शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का खास तौर से प्रबन्ध हो और वह बिना भेद-भाव के हो, जिसके प्रभाव से हमारे विद्यार्थी उच्च नागरिक हों।

दूसरा सुझाव यह है कि उनसे कर-बद्ध प्रार्थना है कि उन्होंने अपने भाषण में १५०० हायर सेकेंडरी स्कूलों को गिनाया है। साढ़े १६ करोड़ में से अगर सब स्कूलों को खर्चा देना पड़े तो छोड़ कर भाग जाते और पता नहीं पाते कि कितना रुपया उनको खर्च करना पड़ता। तो ऐसी दशा में प्रार्थना करूंगा कि जनता के प्रतिनिधि जिन्होंने इनको, 'स्कूलों की संख्या १,५०० तक पहुंच गयी है, ऐसा कहने का अवसर दिया और इतनी संख्या में किताबें छापने का मौका दिया उनके प्रति भी दो शब्द कह दिया करें जिससे उनको भी कुछ संतोष हो जाय कि हम भी कुछ काम करते हैं और हमको प्रोत्साहन मिलता है।

अब विद्यालयों की हालत यह है कि जब एक लाख रुपया हो जायगा तब विद्यालय खुलेगा। विद्यालय जो खोले गये हैं, वे दौड़-दौड़ करके आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले तो यह नीति

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

बने कि आप मान्यता न दें। आजमगढ़ में ४–५ स्कूल थ, आज ४५ हायर सेंकेंडरी स्कूल हैं, किसी के पास सामान नहीं है, सरकार मजबूर है, रूपया भी नहीं है। तो नीति बनावें कि आप रिकग्नीशन न दें। अगर रिकग्नीशन देते हैं और वह आपकी शर्तों को पूरा करता है तो उसी दिन से उसको अनुदान दें, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है, अच्छे अध्यापक नहीं मिलते, अनुशासन बिगड़ता है, पढ़ाई ठीक नहीं होती। तो इसपर आप विचार करें, सोचें।

अब देखना यह है कि अध्यात्मिक शिक्षा और संस्कृत की शिक्षा तो एक हंसी की बात होगी, उसमें भी न मालूम कोई कठिनाई होगी चाहे न हो। जैसा कि भौतिक युग में कहा जा रहा है यह कह दिया पंडित जी ने कि सहकारी खेती करायी जाय, तो कृषि शिक्षा पर विशेष दिलचस्पी रहनी चाहिये। मैं भी सुना करता था कि कृषि के फार्म खोल दिये जांय और कृषि शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया जाय। आजमगढ़ में ८५ फीसदी लोग खेती करते हैं और देवरिया में कृषि कालिज खोल दिया गया, चाहे खोलने वाला मर जाय, कुछ भी हो जाय। तो ऐसी दशा में शिक्षा विभाग जो यह नियम बनाये हुए है कि प्रान्त के नये डिग्री कालेजों को ३ वर्ष तक एक पैसा भी नहीं देता, उसको बदलवा देना चाहिये। यह जो आप यूनिवर्सिटी खोलते चले जा रहे हैं यह बन्द कर देना चाहिये नहीं तो बड़ी बड़ी परेशानियां बढ़ती हैं। अध्यापकों का क्या किया जाता है? भला बताइये जब कृषि पर इतना जोर है, पंडित जी कहते हैं कि कृषि चलाइये स्कूलों में, आजमगढ़ में डिग्री कालेज खोल दिया गया। क्या उससे फायदा हुआ? उसको अपने हाथ में रखते, वहां का खर्चा चलाते ताकि वहां के विद्यार्थी और अध्यापक आपकी कृषि समस्या का प्रबन्ध कर सकें। तो वह दशा होती है कि स्कूल तो खोल लिये और वह लोग कुत्तों की तरह से चारों तरफ दौड़ते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो भौतिक शिक्षा में खेती का प्रबन्ध होना चाहिये और ठीक नियम इस सम्बन्ध में बनने चाहिये। जबसे एक स्कूल खुल जाय और उसको मान्यता प्राप्त हो जाय तबसे उसे अनुदान मिलना चाहिये। और अगर नहीं हो सकता है तो इसको कृषि विभाग को दे दिया जाय और वह उसे ठीक तरीके से चलावे, ताकि जो सहकारी खेती की समस्या है वह सुलझायी जा सके।

शिक्षा विभाग हर साल भवन अनुदान बांटता है। इसको करने का एक तरीका है कि जिसको एक साल अनुदान दे देते हैं उसको दूसरे साल नहीं देते हैं। उसमें मेरा एक सुझाव है। कुछ शिक्षा संस्थायें ऐसी हैं जो अपने जीवन काल में एक कमरा बनाती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो लाख, पचास हजार का हर साल निर्माण कराती हैं। तो दोनों को एक लाठी से हांकना उचित नहीं है। उनका एक अनुपात बनाना चाहिये और हर शिक्षा संस्था को १ परसेंट, २ परसेंट, ३ परसेंट, ५ परसेंट तक जरूर दें, क्योंकि पूरा तो ये दे नहीं पाते। इसके साथ ही एक रिआर्गनाइजेशन ग्रांट होती है। अधिकारी लोग लिखकर भेज देते हैं कि १५ हजार अनुदान तब मिलेगा जब १५ हजार रुपया स्कूल खुद दे। और अगर नहीं देता है तो उसकी ग्रांट हम रोक देंगे हैं। हमारे पास यह लिखकर आया तो हमने लिखकर भेजा कि हमने डेढ लाख रुपया खर्च किया है और गवर्नमेंट ने कम दिया है इसलिये जबतक गवर्नमेंट उस रकम तक पूरा नहीं करती तब तक रिआर्गनाइजेशन ग्रांट का हम अपना हिस्सा नहीं देंगे। यह हमने लिख दिया। तो इस पर भी उनको ध्यान करना चाहिये कि जो भवन निर्माण का अनुदान होता है उसके मुताबिक हर संस्था को कुछ न कुछ अवश्य दे दिया करें। यह जरूरी है, इसके न होने से काम नहीं चलेगा।

एक चीज की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् १९५० में एक पत्र भेजा गया था माध्यमिक शिक्षा परिषद् की ओर से साहित्य रत्न अध्यापकों की योग्यता के विषय में। उसमें यह था कि साहित्यरत्न पास अध्यापक अगर दो वर्ष तक पढ़ा चुके हैं तो वे ११वीं और १२वीं कक्षा तक पढ़ा सकते हैं और उनके लिये उसी हिसाब से तनख्वाह रखी जाय।

इसके बाद सन् १९५६ में यहां से जी०ओ० जाता है कि साहित्यरत्न पास अध्यापक जिन्होंने दो वर्ष तक कोर्स किया हो और रिफ्रेशर कोर्स पास हो तो १२० रुपये उनको तनख्वाह दी जाय। अब तीसरा जी० ओ० फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद् की ओर से आया है जिसमें यह है कि ऐसे साहित्यरत्न ११वीं और १२वीं कक्षा पढ़ाने के लिये क्वालीफाइड नहीं है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इस जी० ओ० का क्या प्रभाव पड़ेगा जो प्रदेश में १५,२० या २५ साहित्यरत्न अध्यापक हैं जिनको हमने स्थायी कर दिया और जो ११वीं और १२ वीं कक्षा को पढ़ा भी चुके हैं और उनका परीक्षाफल भी उत्तम रहा है तो कम से कम उनको १२० रुपये पर जरूर ले आया जाय। नहीं तो उनके लिये बड़ा कष्ट होगा।

एक अंतिम सुझाव मैं और देना चाहता हूं और वह यह है कि इस प्रदेश भर में सरकार के ४६ तो हायर सेकंड्री स्कूल्स हैं और चार, छः दस डिग्री कालेज होंगे। तो मेरी प्रार्थना यह है कि इनको पब्लिक के हाथ में दे दें। उसी समय आप तनख्वाहों की विषमता को समाप्त कर सकते हैं। वैसे तो न सरकार के पास इतना साधन होगा और न इनके पास इतना रुपया होगा कि सारे प्रदेश के अध्यापकों की तनख्वाह बराबर कर सकें। कुछ आपने किया है लेकिन उससे, इतना करने के बाद, भी किसी को संतोष नहीं होगा।

इतना कहने के बाद मैं अपना प्रवचन समाप्त करता हूं।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपके द्वारा मैं मंत्री जी का ध्यान संविधान की धारा ४५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है:—

> "४५—राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये प्रबन्ध उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

मंत्री जी ने जो यह पुस्तक दी है उसके आधार पर ४७,९६,८११ विद्यार्थी १४ वर्ष की उम्र तक के इस प्रदेश के अन्दर हैं। जिनमें से शिक्षित १४ प्रतिशत हैं। मेरा कहना यह है कि इस युग में हम १४ प्रतिशत से अधिक १०-१२ साल के अन्दर उन्नति नहीं कर पाये इसी तालिका को देखकर मुझे यह आश्चर्य होता है कि हम कब तक अपने निरक्षरों को साक्षर बना सकते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है कि ३०-४०-५० साल तक भी हम शत प्रतिशत साक्षर नहीं बना सकते हैं जबकि सन् १९६६ तक की योजना बताई जा रही है। हमारी केंद्रीय सरकार अगर एक इंच भी पीछे कदम हटाती है तो हमारी प्रांतीय सरकार उससे १०० इंच पीछे कदम उठाने के लिये तैयार हो जाती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मंत्री जी ने पिछले साल यह आश्वासन दिया था कि छठे दरजे तक की फीस माफी के बाद मैं ७वें और ८ वें दरजे की फीस माफ करूंगा, लेकिन अब उससे भी पीछे हटने की आवाज मुझे सुनायी पड़ती है। इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि आज जो ४७ लाख की संख्या बतलायी गयी है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इस संख्या म ९० प्रतिशत भाग देहाती क्षेत्र का है। देहाती क्षेत्र की संख्या इतनी अधिक है फिर भी उसमें सिर्फ १४ प्रतिशत की बात की जाती है जिसमें शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी भी शामिल हैं। और इस मद में इस साल के बजट में सिर्फ ३७ लाख रुपया खर्च किया गया है। जब मंत्री जी सन् १९६६ का उल्लेख करते हैं तो मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस रकम को बढ़ा कर इसकी दुगुनी और तिगुनी कर देती तो मैं समझता कि वास्तव में मंत्री जी समाजवाद की स्थापना करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ १४ प्रतिशत आंकड़े देख कर और ३७ लाख रुपये देख कर निराशा ही होती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भजन लाल]

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह बजट के तखमीने रखे हुये हैं इसके सफा १४३ से लगा कर जहां से यह मद शुरू होती है और आखिर तक सफा १७८ तक मैंने अवलोकन किया। उसमें एक खाता है आकस्मिक व्यय का। मैं यह कहना चाहता हूं कि १२१ करोड़ रुपये का जो यह बजट है उसमें से ८-१० करोड़ रुपये की रकम आकस्मिक व्यय में खर्च की जाती है और शिक्षा के अनुदान में जो मैंने हिसाब लगाया तो ६९,५८,१०० रुपया आकस्मिक व्यय में खर्च होना दिखाया गया है, लेकिन इस पुस्तिका में यह कहीं नहीं लिखा है कि यह ६९ लाख रुपये की रकम किस मद में खर्च की गयी है। मैं इस पुस्तक को वास्तव में महाजनी तौर से बहीखाता समझता हूं। उसमें अलाहदा अलाहदा मदें होती हैं लेकिन इस ६९ लाख रुपये के आकस्मिक व्यय के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि इसका पूरा विवरण देने का कष्ट करें।

साथ ही साथ हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या इस मद में नहीं दी हुई है। तो जो यह बजट की रकम होती है उसका खाता हिसाब किताब के साथ साथ-मद के खोलने की कृपा करें। न मालूम ६९ लाख रुपये इस धरातल को उंचा उठाने में खर्च किये गये हैं या हमारी सरकार ने राकेट द्वारा चन्द्रलोक की सैर करने के लिये कुत्ता भेजा है, किस मद में यह रकम खर्च की गयी है मेरी समझ में नहीं आता।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी अभी मुझे पता चला है, आज के एक दिन पूर्व हमारे क्षेत्र के ४-५ व्यक्ति आये हुये थे, हमारे ग्राम से २-३ मील की दूरी पर जिससे हमारा घनिष्ट सम्पर्क है। एक है जनता इंटर कालेज अजीतमल, इसमें एक घटना घटी है। वहां के मैनेजर के ऊपर सहकारिता यूनियन के २० हजार के गबन का केस अदालत में चल रहा है। दूसरे १४/१५ हजार रुपया स्कूल की छत पाटने और इमारत बनाने के लिये सरकार से दिया गया था जो अध्यापकों के निवासगृहों में ही खर्च कर दिया गया। मुझे विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि सीमेंट की बोरियां कितनी आई हैं और कितनी दिखाई गई हैं? इसमें बड़ा गोलमाल है और गबन मालूम पड़ता है। इटावा के इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने जांच भी की है। मैं प्रार्थना करूंगा कि किसी आडीटर द्वारा इसकी जांच कराई जाय।

यहां के प्रिंसपल और मैनेजर दोनों में खिंचाव है। उसकी वजह से सवर्ण और हरिजन दोनों तबकों के विद्यार्थियों को उकसाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आपस में खूब झगड़ा और मारकुटाई हुई। इसको सुलझाने के लिये हमारे जिले के हरिजन समिति के जो अधिकारी हैं जिनका नाम विद्यार्थी जी है, वह गये और उन्होंने मीटिंग की तथा समझाया बुझाया जिसका नतीजा यह हुआ कि उनको पीटा गया। यह हमारे अधिकारियों के साथ व्यवहार हो रहा है। आज वहां की स्थिति में विषमता बढ़ती जा रही है। इसको सुलझाने का प्रयत्न किया जाय, अन्यथा वहां साम्प्रदायिकता का जहर फैल जायगा और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा और खामख्वाह विद्यार्थियों तथा जनता में असंतोष की धारणा फैलेगी।

दूसरी बात यह है कि आज शिक्षा पद्धति के आधार पर मुझे यह कहना पड़ता है कि ९३ प्रतिशत जनता जो देहात में रहती है, जो शोषित है, पीड़ित है उस पर दया कीजिये। शिक्षा का अनुदान १६ करोड़ से ऊपर का है इसमें तीन चौथाई हिस्सा डिग्री कालेजेज तथा यूरोपियन या विशेष किस्म के स्कूलों में खर्च किया जा रहा है। एक चौथाई हिस्सा प्राथमिक पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूलों को दिया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि जनता को शिक्षित बनाने के लिये विशेष रकम रखें। इसके अलावा हरिजन और पिछड़ी जाति को वजीफे नहीं मिलते हैं। २०० रुपये की आमदनी वाले की फीस माफ नहीं होगी। इसमें एम० एल० ए० की तस्दीक के लिये दौड़ना पड़ता है। अगर नहीं हो पाती तो महरूम रह जाते हैं। गांव सभाओं के प्रधान की तस्दीक के आधार पर फीस माफ की जाय और पिछड़े वर्ग की फीस माफ की जाय। इसके साथ-साथ मुझे कहना है कि जो प्राथमिक पाठशालायें हैं मैंने अपने

क्षेत्र में ३०-४० स्कूलों का निरीक्षण किया और मैंने देखा कि स्कूलों में तिपाई, मेज, बाल्टी-लोटा, घड़ा नहीं है। छतें टूटी हुई हैं। दस दस साल से मरम्मत नहीं हुई है। यह सारी चीज ९३ प्रतिशत जनता के लिये की जा रही है। माननीय मंत्री जी इन बातों पर ध्यान दें और प्राथमिक पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों को सुविधायें प्रदान की जायं।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, १० मार्च के बाद आज मुझे इत्तिफाक से मौका मिला है। मैं चाहूंगा कि अगर टु दि प्वाइंट कहता रहूं तो पांच मिनट का टाइम बढ़ा दिया जाय।

माननीय मंत्री जी ने जो ग्रांट पेश की है इसके लिये उन को और उनके विभाग के कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अच्छे होने के बावजूद शिकायत क्यों होती है। आपको देखकर तो शुबहा होता है कि भगवान् कहां इंसाफ करता है। लोग कहते हैं कि भगवान न्याय करता है। एक आदमी में सारी खूबियां हैं, बहुतों में एक भी नहीं। आप रहने वाले हैं काशी के जो विद्या का स्थान है। आप विद्वान भी हैं, शास्त्री हैं। भगवान ने आपको चरित्र भी दिया है। जिस वक्त आजादी का बिगुल बजा कि आराम पर ठोकरें मारी तो आपने ठोकर मारी। जेलखाने पहुंचे। यह भी होता है- वक्ता नहीं होते, वक्ता हैं तो लेखक नहीं है और लेखक और वक्ता भी हैं तो उदार नहीं हैं। लेकिन भगवान ने आपको सारी खूबियां दी हैं। मैं इस पर हसद करता हूं। लेकिन साथ-साथ यह अर्ज करता हूं कि फिर क्यों शिकायतें आती है इस पर ग़ौर करना चाहिये। फिर भी हड़तालें क्यों होती हैं? अनुशासनहीनता क्यों बढ़ती जा रही है और स्कूल कालेज टूटते जा रहे हैं? इस पर ग़ौर करना चाहिये। इस पहलू पर आने से पहले, कहीं इसी बात में न रह जाऊं अपने जिले के बारे में एक आध बात अर्ज करूंगा। बस्ती जिला सबसे बड़ा जिला है। वहां कोई भी डिग्री कालेज नहीं है। हरइया में स्कूल बन चुका है। छत उसकी नहीं बन रही है। लोगों ने कहा कि कहते नहीं हो। मैंने कहा जरूर कहूंगा। मानना न मानना सरकार का काम है। उन लोगों की इच्छा है कि बभनान में एक कन्या स्कूल होना चाहिये।

मैं सन् १९३७ से असेम्बली का मेम्बर हूं। आज पहली बार अभी तक हमेशा मैंने सरकारी कर्मचारियों को सपोर्ट किया है, मगर मुझे दुख है कि आलोचना करनी पड़ रही है। अभी मैंने सुना जन संघ के एक माननीय सदस्य ने कहा। वह एक अफसर के पास मुलाकात करने गये; साहब बहादुर टहलते रहे। एक एम० एल० ए० बात कहता है, साहब बहादुर फरमाते हैं कि यह तो पालिटिकल एजेंसी की बात की जा रही है। आपकी मुहब्बत और इख्लाक, माननीय मुख्य मंत्री की मुहब्बत और इख़लाक तो ऐसा और आप के सर्वेंट ऐसी बदतमीजी करें! अफसोस की बात है, आपको ख़बर न हो। हमारे यहां क्या था? उदारता थी शराफत थी।

श्री अध्यक्ष---अब आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१९ मार्च, १९५९।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ५८७ पर)

उत्तर प्रदेशीय खेल कूद परिषद् ने भारतीय खेलों के पुनरुत्थान तथा बढ़ावा देने के निमित्त १ अप्रैल, १९५७ से लेकर अब तक दो बार भारतीय व्यायाम प्रदर्शनों का आयोजन किया।

इसकी महत्ता को समझते हुये इसका व्यापक रूप पर आयोजन पहली बार १९–२० तथा २१ फरवरी, १९५८ को किया गया, तथा राज्य के प्रमुख दो स्थानों से जिसमें पुलिस, प्रान्तीय रक्षक दल, विश्वविद्यालयों, व्यायामशालाओं, तथा राज्य की १० डिवीजनल टीमों को खेल में सम्मिलित होने के हेतु बुलाया गया। इसमें कुल ३० टीमें थी, तथा लगभग १९ हजार रुपया कुल खर्च हुआ। इस बात का यथाशील प्रयत्न किया गया कि खेल-कूद का प्रचार विस्तृत रूप से हो। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित खेलों का आयोजन था:—

१—मल्लयुद्ध	४—कबड्डी	७—कुश्ती
२—आसन	५—खो-खो	८—धनुर्विद्या
३—मलखम्भ	६—कुदाई-फंदाई	९—वर्जिश आदि

इनके अतिरिक्त धनुर्विद्या, नाल, लाठी, नट-विद्या, कुश्ती, मुक्की, गद्दा, मूग्दर, तलवार, बनाबनेठी, आसन, मलखम्भ, रस्सा-कशी, कूदना फांदना, घुड़सवारी आदि के प्रदर्शन का भी आयोजन था।

द्वितीय व्यायाम समारोह—यह समारोह ७,८ तथा ९ दिसम्बर, १९५८ को हुआ। इसका आयोजन पहले की अपेक्षा अधिकतर विस्तृत रूप से किया गया। इसमें भी उपरोक्त व्यायाम में भाग लेने वाले लोग बुलाये गये। लेकिन इस में देश के कोने-कोने तक प्रचार करने के हेतु राज्य के बाहर की एक विश्व विख्यात व्यायामशाला बड़ौदा से बुलाई गई थी, ताकि व्यायाम प्रेमी अपनी-अपनी कमी को, एक दूसरे से सीख कर पूरा कर सकें। इसमें भी पहल व्यायाम समारोह की तरह खेलों का आयोजन हुआ, मगर यह ध्यान रखा गया कि उन्हीं खेलों को और अधिक सुचारु रूप से जनता के सामने रखा जाय। इसमें परिषद् ने प्रचारार्थ सिनेमा तथा अन्य साधनों का सफल प्रयोग किया। इसमें कुल खर्च २०,००० रुपये का हुआ।

परिषद् भारतीय खेलों को प्रोत्साहन करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रही है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६–८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८९ पर)

ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत देवरिया जनपद में १९५६–५७ व १९५७–५८ में भिन्न भिन्न उद्योगों को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	उद्योग का नाम	१९५६–५७ ऋण (रु० में)	१९५६–५७ अनुदान (रु० में)	१९५७–५८ ऋण (रु० में)	१९५७–५८ अनुदान (रु० में)
१	खंडसारी उद्योग	८,०००	१,०००	१,३००	--
२	कम्बल उद्योग	५००	--	--	--
३	बिस्कुट व लैमनजूस	३,०००	--	--	--
४	जूता उद्योग	३,१५०	--	१५,१००	--
५	चर्म शोधन	१,०००	--	४,१००	--
६	होजरी उद्योग	२,८५०	--	२,०००	--
७	हस्तकरघा उद्योग	२,०००	--	--	--
८	बढ़ई गीरी व फर्नीचर उद्योग	--	--	१,८००	
९	तेलघानी	--	--	१,६००	--
१०	मोमबत्ती उद्योग	--	--	१,५००	--
११	आइरन फाउन्ड्री	--	--	२,५००	--
१२	नट, बोल्ट व खराद उद्योग	--	--	२,०००	--
१३	सिलाई उद्योग	--	--	१,७००	--
१४	साइकिल के भाग बनाना	--	--	१,०००	--
१५	टोकरी उद्योग	--	--	५००	--
१६	दरी कालीन उद्योग	--	--	३,९००	५००
१७	एलेक्ट्रोप्लेटिंग	--	--	४,०००	--
१८	टाट पट्टी उद्योग	--	--	५००	--
१९	रंगाई व छपाई उद्योग	--	--	५००	--
२०	कृषि-यंत्र निर्माण	--	--	६,०००	--
२१	फिनाइल उद्योग	--	--	६,०००	--
२२	रेडियो असेम्बलिंग	--	--	४,०००	--
२३	खूली तथा आरा मशीन	--	--	३,०००	--
२४	हड्डी पिसाई उद्योग	--	--	६,०००	--
२५	जल रंग वाटर कलर	--	--	२,०००	--
	योग ..	२०,५००	१,०००	७१,०००	५००

देवरिया में १९५६-५७ व १९५७-५८ में ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत दी गई आर्थिक सहायता से चालू प्रमुख उद्योगों की सूची

उद्योग का नाम
१--रेडियो असेम्बलिंग
२--कृषि यंत्र निर्माण
३--फिनाइल उद्योग
४--चर्म शोधन
५--हस्त करघा उद्योग
६--होजरी उद्योग
७--दरी व कालीन उद्योग
८--मोमबत्ती उद्योग
९--फर्नीचर उद्योग
१०--कम्बल उद्योग
११--तेलघानी उद्योग
१२--रंगाई व छपाई उद्योग
१३--जूता उद्योग

क्रम-संख्या	नाम व पता
१९५६-५७	
	१--श्री लक्ष्मी नारायन सिंह, ग्राम जयनगर, पोस्ट बरहज, जिला देवरिया ।
	२--श्री राम स्वरूप गुप्ता, भरौली बाजार, देवरिया ।
	३--श्री राम भजन हरिजन, गरुलपार, देवरिया ।
१९५७-५८	
	४--श्री मजहल हक़, बांसदेवरिया, देवरिया ।
	५--श्री लियाकत हुसेन, तहसील रोड, देवरिया ।
	६--श्री कैलाश पति मिश्रा, भूइली पिपरा, सुनादी पट्टी, देवरिया।
	७--श्री राम वृक्ष, चांदपार, देवरिया ।
	८--श्री रियासत खां, बांसपार, देवरिया ।
	९--श्री ओम् प्रकाश, कलेक्टरी रोड, देवरिया ।
	१०--श्रीमती कृष्णा मिश्रा, ग्राम रामनाथ, देवरिया ।
	११--श्री मनोरथ हरिजन, भटवरिया, देवरिया ।
	१२--श्री रामदास गुप्ता, बैकुन्ठपुर, देवरिया ।
	१३--श्री छूट्टू प्रसाद, पडरौना, देवरिया ।
	१४--श्री भूधूराखन राय, खैराबान, गौरी बाजार, देवरिया ।
	१५--श्री दौलतराम, गरुलपुर देवरिया ।
	१६--श्री कृष्ण कान्त बरनवाल, बरहज, देवरिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०७ पर)

साल	व्यक्ति का नाम	दी गई तकावी की रकम
	नलकूपों के लिये दी गई तकावी	
		रु०
१९५७	१--श्री जीत सिंह	४,०००
	२--करम सिंह	३,५००
१९५८	१--श्री हरबन्श सिंह	१०,०००
	२--श्री सरदार सोहन सिंह	४,३००
	३--श्री मोहम्मद उल्ला खां	४,७००
	साधारण पक्के कुंओं के लिये दी गई तकावी	
१९५७	१--श्री हबीब अहमद खां	५००
	२--श्री हरबन्श बहादुर	५००
१९५८	१--श्री बाबू राम	५००
	२--श्री मोहर सिंह	५००
	३--श्री डोरी लाल	७५०
	४--श्री मकसूद अली खां	७५०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०९ पर)

	Name of Department	No. of persons employed
1.	S. A. D. (Establishment)	78
2.	Appointment (A) Department	42
3.	General Administrative Department	113
4.	Power (A) Department	721
5.	P. W. D. (A) Department	28,587
6.	P. W. D. (B) Department	13
7.	Power (B) Department	11
8.	Revenue (C) Department	62
9.	Revenue (D) Department	973
10.	Forest Department	3,450
11.	Home Police (A) Department	4,760
12.	Transport Department	450
13.	Legislative Department	14
14.	L. S. G. (B) Department	141
15.	Municipal (B) Department	12
16.	Industries (A) Department	3,637
17.	Industries (B) Department	850
18.	Industries (C) Department	1,365
19.	Indusrries (D) Department	254
20.	Labour (B) Department	308
21.	Social Welfare Department	98
22.	Agriculture (B) Department	1,395
23.	Agriculture (C) Department	3
24.	Animal Husbandry and Fisheries Department ..	637
25.	Planning (A) Department	4,093
26.	Medical (A) Department	2,192
27.	Planning Research and Action Institute	250
28.	Planning (B) Department	2,003
29.	Medical (B) Department	66
30.	Relief and Rehabilitation (A) Department	27
31.	Relief and Rehabilitation (C) Department	544
32.	Relief and Rehabilitation (D) Department	650
33.	Information (A) Department	167
34.	Finance (Services) Department	22
35.	Harijan Sahayak Department	90
36.	Finance (AST) Department	364
	Total ..	58,442

Employment made in the Government Sector from April, 1956	58,442
Add 52 per cent regarding other trades and commerce ..	30,368
	88,810
or say ..	90,000 (round)

विधान सभा

DEPARTMENTS FROM WHOM INFORMATION WAS RECEIVED SUBSEQUENTLY

1.	Economic and Statistics Department	423
2.	Irrigation (A) Department	3,850
3.	Finance (E-3) Department	18
4.	Judicial (A) Department	244
5.	Education (B) Department	2,026
6.	Harijan Sahayak Department	90
7.	Education (C) Department	8
8.	Agriculture Engineering Department	2,090
9.	General Administration Department	1,895
10.	Government Estate Department	9
11.	Home (Jails) Department	789
12.	Housing Department	32
13.	Social Welfare Department	664
14.	Appointment (B) Department	14
15.	Forest Department	516
16.	Revenue (C) Department	570
		13,238
	Add 52 per cent for Private Sector regarding other Trades and Commerce.	6,800
		20,038
		or 20,000 (round)

संसद ग्रंथालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१७ एल० ए०—१९५९—८४५।